वर्ष: 39 अंक: 149 अक्तूबर-दिसंबर 2016

राजभाषा भारती

जय भारत

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

जन जन की
भाषा है हिंदी

हिंदी दिवस समारोह 2016 में मंचासीन अतिथिगण

हिंदी दिवस समारोह 2016 में माननीय राष्ट्रपति महोदय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए वर्तमान सचिव (रा.भा.) एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री प्रभास कुमार झा

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे

—निराला

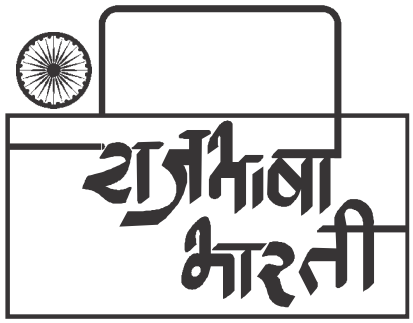

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 39

अंक : 149

(अक्तूबर-दिसंबर, 2016)

⇨ **संरक्षक**

प्रभास कुमार झा
सचिव, राजभाषा विभाग

⇨ **प्रतिपालक**

डॉ॰ बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

⇨ **संपादक**

डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)
दूरभाष-011-23438250

⇨ **उप संपादक**

डॉ॰ धनेश द्विवेदी
दूरभाष-011-23438137

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र व्यवहार का पता:

संपादक,
राजभाषा विभाग
एन डी सी सी भवन -II,
चौथा तल, बी विंग
नई दिल्ली-110 001
ईमेल-patrika-ol@nic.in

नि:शुल्क वितरण के लिये

- **संपादकीय**
- **उद्‌बोधन-सचिव (रा॰ भा॰)**
- **संयुक्त सचिव की कलम से** 1-2
- **साक्षात्कार** 3-6
- **चिंतन**

1 हिंदी की वर्तनी और देवनागरी लिपि का मानकीकरण - डॉ॰ संध्या वात्स्यायन 7-11

2 राजभाषा हिंदी: बढ़ती जिम्मेदारियां और चुनौतियां - टी॰ रामराज रेड्डी 12-16

3 प्रशासनिक हिंदी का सरलीकरण - डॉ॰ श्रीनारायण सिंह 17-23

- **सांस्कृतिक**

4 अरुणाचल प्रदेश की बौद्‌ध संस्कृति - डॉ॰ बी के सिंह 24-30

5 अंडमान का हिंदी बाल साहित्य - डॉ॰ व्यास मणि त्रिपाठी 31-36

- **साहित्यिक**

6 तमिलभाषी साहित्यकारों का हिंदी साहित्य को योगदान - डॉ॰ पी आर वासुदेवन 37-41

7 नागा लेखिकाएं: साहित्यिक आयाम - रमणिका गुप्ता 42-48

- **तकनीकी**

8 सूचना प्रौद्‌योगिकी और हिंदी - डॉ॰ हरीश कुमार सेठी 49-57

9 सोशल मीडिया और हिंदी - डॉ॰ एम एल गुप्ता 58-63

- **विशेष**

11 हिंदी शिक्षण की भाषा - डॉ॰ जय प्रकाश कर्दम 64-74

12 इसरो में राजभाषा हिंदी और तकनीकी गतिविधियों में समन्वय - संतोष कुमार 75-81

13 मीडिया की बदलती शब्दावली - डॉ॰ धनेश द्‌विवेदी 82-83

- **कार्यशालाएं/संगोष्ठी/हिंदी दिवस/पाठकों के पत्र** 84-95

संपादकीय

नानापुराणनिगमागमवेत्ता, संस्कृत के प्रकांड पंडित गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना तत्कालीन समाज की जन-भाषा अवधी में की और लोकनायक कहलाए। काव्य के समस्त मानदंडों: भाषा, रस, छंद, अलंकार की पराकाष्ठा पर खरी उतरने वाली केशवदास की रामचन्द्रिका ''कठिन काव्य'' बन कर रह गई। यही नहीं आधुनिक युग के तमाम लेखकों/कवियों/कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद को एक अलग स्थान, उनकी जनभाषा के कारण मिला। पाणिनि के शब्दानुशासन में बंधी संस्कृत ने देववाणी का स्थान तो प्राप्त कर लिया, किंतु सहज न होने के कारण उसे जनवाणी होने का गौरव नहीं प्राप्त हुआ।

चौदहवीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा का आरंभ जनभाषा के रूप में हुआ। तत्कालीन पाश्चात्य समाज में अभिजात्य वर्ग की भाषा फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक थी। संभ्रांत लोग अंग्रेजी बोलने में अपनी अवमानना समझते थे। लेकिन जनभाषा और सरल भाषा होने के नाते अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार तेजी से हुआ और देखते-देखते उसने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया।

संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के कठिन होने की चर्चा प्राय: होती रहती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं: पहला कारण राजभाषा के रूप में हिंदी मुख्यत: अनुवाद की भाषा के रूप में प्रचलित हुई है। अनुवादकों की अपनी एक सीमा होती है। भाषा और विषय दोनों का एक साथ ज्ञान प्राय: कम होता है। अनुवाद के लिए शब्दकोषों से लिए गये तत्सम शब्दों की भरमार हो जाने से भाषा अपरिचित और दुरूह हो जाती है।

दूसरा कारण यह है कि हिंदी का प्रयोग करते समय हम शब्दों के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ को ढूंढ़ते हैं, उसमें स्फोट ढूंढ़ते हैं। शब्दों की प्रतिच्छाया ढूंढते हैं। प्रयोग के आधार पर रूढ़ हुए शब्दों को स्वीकारने में हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि जब

संपूर्ण देश 'नोटबंदी' को सहजता से स्वीकार कर लेता है तब भी हम 'विमुद्रीकरण' के व्यामोह से बच नहीं पाते हैं।

गौण कारणों में से एक यह भी है कि हिंदी का मौलिक प्रयोग करते समय हम शब्दकोष देखने से बचने की कोशिश करते हैं। कारण जो भी हो किंतु यह सत्य है कि भाषा और सरिता सदैव सहजता की ओर प्रवाहित होते हैं।

राजभाषा भारती के प्रस्तुत अंक में आपको आहट मिलेगी राजभाषा विभाग के नए संरक्षक की और आहट मिलेगी हिंदी के सरल, सहज और सुबोध रूप की: 'जो चले वह हिंदी है'। पत्रिका का स्थायी स्तंभ 'संयुक्त सचिव की कलम से' राजभाषा विभाग की गतिविधियों की अद्यतन जानकारी से आपको अवगत कराएगा। अंक में सरल हिंदी पर केंद्रित कुछ प्रमुख लेख 'प्रशासनिक हिंदी का सरलीकरण', 'हिंदी शिक्षण की भाषा'' एवं 'मीडिया की बदलती शब्दावली' आदि में सहज हिंदी और सरल हिंदी के रूप प्रतिविंबित होंगे। भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति की महती जिम्मेदारी हिंदी के कंधो पर है। इससे गुंफित कुछ लेख अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध संस्कृति, अंडमान का हिंदी बाल साहित्य, नागा लेखिकाएं: साहित्यिक आयाम और तमिल भाषी साहित्यकारों का हिंदी साहित्य में योगदान' आदि यदि आपको सुरुचिपूर्ण लगते हैं, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा।

श्री मनजीत सिंह की कलाकृति भी आपको नयेपन का अहसास कराएगी तथा यह अंक राजभाषा भारती के 150वें–'विशेषांक' की पूर्वपीठिका के रूप में भी प्रस्तुत है।

आशा है यह अंक आपको रुचिकर और उपयोगी लगेगा। राजभाषा भारती के प्रति आपकी स्नेहवत् प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

—संपादक

उद्‌बोधन

राजभाषा विभाग के सचिव पद पर मैंने कुछ दिनों पूर्व पदभार ग्रहण किया है। यह मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात है कि हिंदी के प्रति पुनः समर्पित होने का बहुमूल्य अवसर मिला है और मैं इस उत्तरदायित्व का पूरी क्षमता के साथ निर्वहन करने हेतु कृतसंकल्प हूं।

हिंदी वास्तव में करोड़ों करोड़ की जनभाषा है, न केवल इस देश में वरन् बाहर के देशों में भी। यह घर-परिवार, खेत,-खलिहान, बाजार, कारोबार, फिल्म, पत्रकारिता, साहित्य, यानि जीवन के हर विविध पहलू में जीवंत व गतिमान है। इसके बिना सामाजिक जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है।

हिंदी न केवल मेरी वरन् असंख्य लोगों के हृदय, भाव, उद्‌गार की भाषा भी है। यह एक महान धारा है जो हमें जोड़ती और समृदध् करती है।

हमारा संविधान इसे राजभाषा का दर्जा देता है और इसे हिन्दुस्तानी धरोहर के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें संस्कृत रूपी गोमुख व अन्य महान द्रविड़ व अन्य क्षेत्रों की भाषाओं का प्रवाह मिलता है। दरअसल हिंदी एक समुद्र है और इसमें अन्य भाषाओं व संस्कृतियों के तत्वों को ग्रहण कर अपना बनाने की अद्‌भुत क्षमता है। साथ ही, हिंदी की आंतरिक शक्ति ने दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों को भी दूर तक प्रभावित किया है।

हिंदी वस्तुतः हमारी जनभाषा व हृदभाषा है। हिंदी हमारे अस्तित्व व अस्मिता की पहचान है। हमें यह बात याद रखनी होगी कि हम हिंदी से बने हैं न कि हिंदी हमसे।

एक बहुत बड़ी चुनौती राजभाषा रूपी हिंदी और जनभाषा हिंदी के बीच की खाई को पाटना है। इस दिशा में बहुत कुछ हुआ भी है और बहुत कुछ होना बाकी है। भाषा जो जन में चल रही है, वही शासन, प्रशासन में चलेगी, अन्यथा वह अप्रासंगिक व व्यवहार से कट जाएगी। मुख्य बात यह है कि हमें अपने आपको हिंदी का जीवंत सेवक समझना होगा और हिंदी के स्वाभिमान का प्रहरी बनना होगा। हमें राजभाषा हिंदी को मूल कार्यों की जननी के रूप में देखना होगा और अमल में लाना होगा।

हिंदी की वृहत स्वीकार्यता तथा व्यापक फैलाव के नाते हमें जनाधारित नई समझ व सोच विकसित करनी होगी। इस हेतु केंद्र के विभागों व कार्यालयों के नेतृत्व पर हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने व तदनुरूप कार्य संस्कृति विकसित करने का महती दायित्व है। हिंदी संवर्ग के अधिकारियों व कर्मियों का अधिकतम उपयोग सहयोगदाता व उत्प्रेरक के रूप में किया जाए, ताकि सारे विभागीय लोग हिंदी में मूलत: कार्य तथा अनुवाद कार्य स्वत: कर सकें। इसे साकार करने हेतु हिंदी संवर्ग को सशक्त किया जाए, ताकि वे कौशल निर्माण का कार्य कर सकें जिसमें प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, शब्दावलियों का विकास आदि आते हैं। केंद्रीय विभागों/कार्यालयों में किए जा रहे हिंदी संबंधी कार्यों का मूल्यांकन व रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हो और किसी भी दशा में गलत आंकड़े न दिए जाएं।

राजभाषा विभाग इस महान अभियान का एक छोटा हिस्सा भर है। इस विभाग का कार्य दीये से दीया जलाना, सहपथिक व मार्गदर्शक का है। सच्चाई यह है कि वर्तमान परिवेश व जनभावना की मांग भी यही है कि जनभाषा में ही पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, साहित्य, तकनीकों आदि का चलन हो, ताकि सबको विकास व प्रगति का समान अवसर उपलब्ध हो सके।

हम पत्रिका के इस अंक से राजभाषा के सरलीकरण की दिशा में नई पहल भी कर रहे हैं।

—प्रभास कुमार झा

संयुक्त सचिव की कलम से.....

आप सब के समक्ष राजभाषा भारती का यह अंक प्रस्तुत करते हुए मैं आत्मीय खुशी का अनुभव कर रहा हूं।

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'राजभाषा भारती' की गौरवशाली विकास यात्रा वर्ष 1978 से सतत् रूप से जारी है। इस पत्रिका के माध्यम से देश भर के हिंदी प्रेमियों को अपनी सृजनात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति का सुअवसर मिलता है। पिछले अंक में हमने जो नई पहल की थी उसी के अनुक्रम में प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों ने राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित कुछ उल्लेखनीय कार्य निष्पादित किए हैं जिन्हें मैं आप सब के साथ साझा करना चाहता हूं।

दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी थे जिनके कर-कमलों द्वारा राजभाषा हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च पुरस्कार-राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। आदरणीय माननीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रीजीजू ने समारोह की शोभा बढ़ाई। प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा विभाग ने एक सफल और सार्थक समारोह का आयोजन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि राजभाषा विभाग द्वारा हर वित्त वर्ष के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर चार क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इस वित्त वर्ष का प्रथम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन (उत्तरी क्षेत्रों के लिए) दिनांक 06.10.2016 को आगरा में आयोजित किया गया जिसमें केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दूसरा क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन (पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए) सिक्किम की राजधानी गंगटोक में दिनांक 12.11.2016 को आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश पाटिल थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू विशिष्ट अतिथि थे। इन सम्मेलनों में वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए। ये दोनों ही सम्मेलन बहुत ही सफल और सार्थक रहे। इन सम्मेलनों में पहली बार विभाग के सचिव महोदय और मैंने संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्य-सचिवों के साथ समागम/परस्पर चर्चा करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने के उद्देश्य से गहन मंथन किया।

पिछले कुछ समय में राजभाषा विभाग का यह प्रयास रहा है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि में तकनीकी स्तर पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए और सभी संबंधितों को ''सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी'' विषय से संबंधित अद्यतन सूचना दी जाए। इसलिए राजभाषा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हर वर्ष राजभाषा विभाग के तत्वावधान में चार तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन राजभाषा विभाग की एक और नई पहल है। इन तकनीकी संगोष्ठियों में हिंदी से जुड़े सभी मुद्दों पर न सिर्फ व्यापक चर्चा होती है बल्कि हिंदी के फोंट, यूनिकोड का प्रयोग, गूगल वॉयस टू टेक्स्ट टाइपिंग आदि जैसे हिंदी से जुड़े सभी विषयों को प्रदर्शित कर समझाया जाता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग से संबंधित सभी विषयों पर विस्तृत अद्यतन जानकारी दी जाती है। विभाग द्वारा दिनांक 26.08.2016 को अमृतसर में और दिनांक 23.09.2016 को बेंगलूरू में तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसकी सभी प्रतिभागियों ने बहुत सराहना की और इन आयोजनों के लिए विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरा मानना है कि इन आयोजनों से विशेषकर उन लोगों को हिंदी में कार्य करने में मदद मिलेगी जो हिंदी में काम तो करना चाहते हैं लेकिन पर्याप्त अद्यतन जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्र सरकार के कार्यालय में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी क्रम में, ब्यूरो द्वारा देश के विभिन्न शहरों में 09 उच्च स्तरीय अनुवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 140 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। ब्यूरो द्वारा सितम्बर, अक्तूबर तथा नवंबर 2016 में कुल 5,451 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की गई।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 442वीं, 443वीं, 444वीं गहन हिंदी कार्यशाला एवं राजभाषा अधिकारियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा देश के विभिन्न शहरों में 03 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना द्वारा दिनांक 24.10.2016 को नई दिल्ली एवं बडोदरा केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा का संचालन किया गया। उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति की तीन उप समितियों ने अक्तूबर, 2016 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कुल 74 अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया।

इस समय देश भर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ़ कर 438 पहुंच गई है। सदस्य कार्यालयों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में उस समिति का विभाजन किया जाता है ताकि समिति के कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सके। देश के विभिन्न नगरों में 178 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया।

आशा है कि आपको राजभाषा भारती का यह अंक पसंद आएगा। राजभाषा भारती के आगामी अंकों को और बेहतर बनाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। आपके सुझावों और मनोभावों का हार्दिक स्वागत है। आप सब को मेरी अशेष शुभकामनाएं।

—डॉ बिपिन बिहारी

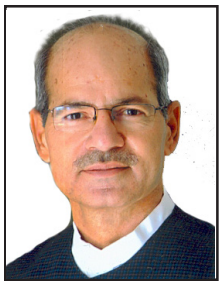

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का साक्षात्कार

प्रश्न 1: देश में राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर: जहां तक हिंदी भाषा का प्रश्न है यह पूरे देश में जानी व समझी जाती है। हम देश के किसी भी हिस्से में जायें हिंदी भाषा से परिचित तथा काम करने वाले लोग मिलते हैं। हां केन्द सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है परन्तु समग्र रूप से देखा जाए तो आज के बाज़ारीकरण के युग में हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है। देश की अधिकांश जनता हिंदी समझती है, अत: अपना उत्पाद बेचने वाली कंपनियां अपने अधिकांश विज्ञापन हिंदी में ही देती हैं।

प्रश्न 2: आपके द्वारा हिंदी तथा अंग्रेजी में कई पुस्तकों का लेखन किया गया, आपके अनुसार लेखन में भाषा का क्या महत्व है?

उत्तर: मैंने अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी पुस्तकें लिखी हैं। जब हृदय के उद्‌गार कलम के माध्यम से कागज पर उतरते हैं तो लेखन कार्य होता है। इसलिए मुझे यह लगता है कि लेखन में भाषा का बहुत अधिक महत्व है। लेखक को यह देखना होता है कि वह जिन लोगों के लिए अपना लेख लिख रहा है वे किस भाषा को आसानी से समझते हैं। पाठकों को पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि यह विषय उनका अपना है और लेखक की भाषा पर मजबूत पकड़ होने से ही वह अपने विचारों को सही रूप में शब्दबद्ध कर सकता है।

प्रश्न 3: आप नर्मदा समग्र योजना के सूत्रधार रहे हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार का कार्य हुआ है तथा इस तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन में हिंदी भाषा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?

उत्तर: मैं तो कहता हूं कि जो भी योजनाएं जनता से जुड़ी हैं, वे जनता की भाषा में ही होनी चाहिए क्योंकि इस तरह की योजनाओं की सफलता के लिए जनता को जागरूक बनाना और गोलबंद करना जरूरी होता है। इसलिए ऐसी योजनाओं में हिंदी भाषा की भूमिका और महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इसमें दो राय नहीं कि भारत के विशाल भू-भाग में बोली, लिखी एवं समझी जाने वाली भाषा हिंदी ही है।

प्रश्न 4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति से आप संतुष्ट हैं?

उत्तर: केन्द्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों की तरह हमारे मंत्रालय में भी सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। मैंने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। मैंने अधिकारियों को मूलत: हिंदी में काम करने को कहा है। मैंने मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों को भी सचेत किया है कि वे अनुवाद करते समय आम बोलचाल की और सरल हिंदी का प्रयोग करें। मैंने मंत्रालय में रिक्त पड़े लगभग 50. हिंदी पदों को भरने के भी प्रयास किए हैं और इस संबंध में हमारे सचिव ने राजभाषा विभाग के सचिव को हाल ही में पत्र लिखा है। मैं यह भी प्रयास कर रहा हूं कि जब तक राजभाषा विभाग द्वारा नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं करा दिए जाते, तब तक रिक्त हिंदी पदों पर सेवा-निवृत्त अधिकारियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त कर लिया जाए। हमारे मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग की अपनी कुछ अलग समस्याएं हैं, इसलिए मैंने संबंधित अधिकारियों को राजभाषा प्रभाग का सुदृढ़ीकरण करने के लिए भी कहा है।

प्रश्न 5: हिंदी के प्रति आप का प्रेम सर्वविदित है, क्या मंत्रालय में अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में हो इसके लिए कुछ विशेष कार्य-योजना है?

उत्तर: जैसाकि मैंने ऊपर कहा है, मंत्रालय में अधिकांश कार्य हिंदी में सुनिश्चित करने के लिए मैंने अधिकारियों को अपना काम मूलत: हिंदी में करने के लिए और राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों को हिंदी अनुवाद में सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा है। मैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अधिकारियों से परामर्श करता रहता हूं और मेरा इरादा निकट भविष्य में अपने मंत्रालय में हिंदी में कामकाज को और अधिक बढ़ाने का है। आप यह भी जानते हैं कि भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती यह तो स्व-प्रेरणा है, जिससे हम अपनी भाषा, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होते हैं। यहां मैं यह भी बता दूं कि हम संविधान की पालना कर राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकते हैं और संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहा गया है, यह हम सभी जानते हैं।

प्रश्न 6: मंत्रालय की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 'क' क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा हिंदी में कार्य करने का प्रतिशत संतोषजनक कहा जा सकता है, परंतु 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में यह काफी कम है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर: यह सच है कि 'क' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ पत्राचार की तुलना में 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के कार्यालयों के साथ हिंदी में कम पत्राचार हुआ है, परन्तु मेरा मानना है कि मैंने हाल में अधिकारियों को अपना कामकाज मूलत: हिंदी में करने के जो आदेश दिए हैं, उनसे स्थिति में सुधार होगा। मैंने मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग को भी इस दिशा में सक्रिय बने रहने के लिए कहा है।

प्रश्न 7: 30 जून को समाप्त तिमाही के अंतर्गत पत्रावली पर हिंदी काम-काज के प्रतिशत में सुधार की

आवश्यकता है। इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की कार्य-योजना है?

उत्तर: हिंदी में कामकाज की स्थिति प्रत्येक तिमाही में बदलती रहती है। अप्रैल-जून 2016 की तिमाही के दौरान हिंदी में कामकाज के प्रतिशत में आई कमी को दूर करने के लिए मैंने राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों को निदेश दिए हैं कि वे मंत्रालय के अधिकांश अनुभागों/प्रभागों में व्यक्तिगत रूप से जाएं, उनका राजभाषी निरीक्षण करें तथा उनके सामने हिंदी में काम करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें।

प्रश्न 8: भारतीय परिप्रेक्ष्य में रोजगार की दृष्टि से भाषा का महत्व किस प्रकार का है?

उत्तर: जहां तक हिंदी का संबंध है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगारों के अवसर बहुत अधिक बढ़े हैं। सरकारी कार्यालयों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में तो हिंदी कार्मिक नियुक्त होते हैं, प्राइवेट टीवी एवं रेडियो चैनलों, पत्र-पत्रिकाओं में भी हिंदी अनुवाद की बढ़ती मांग के कारण अनुवादकों आदि की जरूरत बढ़ती जा रही है। हिंदी मीडिया की बात की जाए तो संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों, न्यूजरीडर्स, प्रूफरीडर्स, रेडियोजॉकी आदि की भी बहुत जरूरत है। अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद के लिए भी अनुवादकों की जरूरत बढ़ती जा रही है।

प्रश्न 9: प्राणि एवं वानिकी विज्ञान का अध्ययन हिंदी भाषा में हो, इसके लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर: मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि प्राणि-विज्ञान और वानिकी विज्ञान जैसे विषयों में अध्ययन-अध्यापन हिंदी भाषा में भी हो। इसके लिए कोई कार्यक्रम बनाने से पहले यह देखना होगा कि इन विषयों के लिए बाजार में हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों और संबंधित संस्थानों के पुस्तकालयों में भी इन्हें पर्याप्त संख्या में खरीदा जाए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन विषयों को हिंदी भाषा में पढ़ाने वाले अध्यापक भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। हालांकि मूल रूप से तो यह विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का है परंतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आने वाले संस्थानों में इस दिशा में हम पहल करेंगे।

प्रश्न 10: क्या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जैसे उच्च संस्थानों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना है?

उत्तर: भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में हिंदी भाषा को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव के जरिए बढ़ावा देने की हमारी योजना है। इस संबंध में, मैं इन संस्थानों से संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों से परामर्श करने के बारे में पहले से ही सोच रहा हूं। साथ ही, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय ने भारतीय वन सेवा की परीक्षा का एक माध्यम हिंदी भी रखे जाने का अनुमोदन कर दिया है और अब यह मामला संघ लोक सेवा आयोग में विचाराधीन है।

प्रश्न 11: महोदय, आप दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद गठित अनुशंसा अनुपालन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, इस नई जिम्मेदारी पर आप क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर: दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद गठित अनुशंसा समिति के उपाध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व और भी बढ़ जाता है। मेरी कोशिश है कि सम्मेलन में पारित अनुशंसाओं पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित हो और उन उद्देश्यों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए जिनके लिए यह सम्मेलन किया गया था।

प्रश्न 12: आने वाले समय में विश्व हिंदी सम्मेलनों की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?

उत्तर: विश्व हिंदी सम्मेलनों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभायी है। दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन से पहले जो सम्मेलन आयोजित हुए, वे अधिकांशत: साहित्य तक ही सीमित थे परंतु दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में आज की मांग के अनुरूप अन्य विषयों को भी स्थान मिला है। भविष्य में आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी इसी तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि इन सम्मेलनों में युवा वर्ग की प्रतिभागिता और बढ़ेगी।

प्रश्न 13: क्या वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का महत्व बढ़ रहा है तथा इसके क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं?

उत्तर: इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। हिंदी आज बाजार और तकनीक की भाषा बन चुकी है। स्वतंत्रता से पहले जहां अंग्रेजी का वर्चस्व था, वहीं धीरे-धीरे हिंदी वापस अपना स्थान प्राप्त कर रही है क्योंकि भारत आज विश्व में एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और एक बड़े बाजार के रूप में भी उभर रहा है। ऐसे आयोजनों के निश्चय ही सकारात्मक परिणाम होंगे और हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा मिलेगा। इस प्रकार हिंदी दुनिया के कोने-कोने में अपनी पहचान स्थापित करेगी।

प्रश्न 14: हिंदी को आगे बढ़ाने और इसका अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है?

उत्तर: जहां तक सरकारी कार्यालयों का संबंध है, मुझे लगता है कि कार्मिकों के लिए आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशालाओं में कंप्यूटर एवं आईटी से संबंधित जानकारी अवश्य शामिल की जानी चाहिए। यूनिकोड एनकोडिंग का और अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अत्याधुनिक हिंदी ई-टूल्स और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कहा जाना चाहिए तथा लेखकों को हिंदी पुस्तक लेखन के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

हिंदी की वर्तनी और देवनागरी लिपि का मानकीकरण

—डॉ॰ संध्या वात्स्यायन,

हिंदी भाषा की प्रकृति सामासिक है यानि यह केवल संघ की राजभाषा, हिंदी भाषी प्रदेशों की हिंदी नहीं है, बल्कि पूरे देश की भाषाओं के स्वरूपों, पदों, शैलियों, मुहावरों, वाक्यांशों को आत्मसात करने वाली हिंदी है। मुख्य रूप से संस्कृत से और गौण रूप से अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हुई अपनी शब्द सम्पदा में वृद्धि करती है। इसमें मराठी का पावती शब्द है तो उर्दू का कागज भी आमफहम हो जाता है और पुर्तगाली से आगत बोतल शब्द भी अपनी पूरी धमक के साथ मौजूद है। हिंदी को अपने स्थानीय रूप में हिन्दुस्तानी, उर्दू, रेख्ता, गुजराती, देहलवी, हैदराबादी, हिंदुई, हिंदी, दक्खिनी हिंदी आदि विविध नामों से पुकारा जाता रहा है। देश के पूर्वी क्षेत्र में इसी की मिश्रित शैली पूर्वी हिंदी कहलाती है। हिंदी कभी भी धर्म विशेष की भाषा नहीं रही है। हिंदी को हिंदी नाम भी मुसलमानों ने दिया है। उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर खुद को हिंदी का कवि कहते हैं:—

क्या जानूं लोग कहते हैं किसको सरुरे कल्ब
आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जबां के बीच।

हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी मूलत: संस्कृत भाषा की लिपि है और अब इसे अनेक भाषाओं ने अपनाया है। बहरहाल हिंदी भाषा का सर्वप्रमुख गुण ध्वन्यात्मकता है। हिंदी में उच्चरित ध्वनियों को व्यक्त करना बड़ा सरल है। जैसा बोला जाए, वैसा ही लिखा जाए। लिखित वर्ण या प्रतीक ध्वनियों के उच्चारण को प्रतिबिंबित करते हैं। उच्चारण स्वरों का ही होता है, व्यंजनों का नहीं। इसलिए स्वर को अक्षर कहा गया है। व्यंजनों का उपयोग रूप परिवर्तन दिखाने के लिए किया जाता है जिससे विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है। यह देवनागरी लिपि की बहुमुखी विशेषता के कारण ही संभव था और आज भी है परन्तु यह बात शत-प्रतिशत अब सही नहीं है। इसके अनेक कारण हैं—क्षेत्रीय-आंचलिक प्रभाव, अनेकरूपता, भ्रम, परंपरा का निर्वाह आदि। जब यह अनुभव किया जाने लगा कि एक ही शब्द में अनेक वर्तनी मिलती हैं तो इनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी सार्थक शब्द की तलाश हुई। (हुई शब्द की विविधता दृष्टव्य है—हुयी, हुइ, हुई, हुवी)। इस कारण से मानकीकरण की आवश्यकता महसूस हुई।

वर्तनी से आशय किसी भाषा में शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया से है। वर्तनी लिखने की रीति को भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्राय: अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती है। हिंदी में वर्तनी पर बल काफी समय तक नहीं दिया गया था जबकि अन्य कई भाषाओं, जैसे उर्दू और अंग्रेजी में वर्तनी पर बल दिया जाता था। *हिंदी शब्द सागर* और *संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर* के प्रारंभिक संस्करणों के साथ ही सन् 1950 में प्रकाशित *प्रामाणिक हिंदी कोश* (आचार्य रामचंद्र वर्मा) में इसका प्रयोग न होना यह संकेत करता है कि इस शताब्दी के मध्य तक इसकी कोई जरूरत नहीं समझी गयी। बिहार में 'विवरण', बंगाल में -बनान' शब्द वर्तनी के पर्याय के रूप में प्रचलित थे। इसके अलावा प्रचलन में कुछ अन्य शब्द

थे—अक्षरन्यास, अक्षर विन्यास, वर्णान्यास, वर्ण विन्यास, अक्षरी आदि। शिक्षा के प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी ने अक्षर विन्यास शब्द का प्रयोग बहुत समय तक किया। यही वर्ण विन्यास है। *अमरकोश* में लिपि के लिए अक्षर विन्यास तथा लिखितम का प्रयोग भी पर्याय के रूप में मिलता है। छठे दशक में वर्तनी शब्द को स्थान मिला जिसका संदर्भ तब प्रकाशित हुई दो पुस्तकों *शुद्ध अक्षरी कैसे सीखें* (प्रो॰ मुरलीधर श्रीवास्तव) एवम् हिंदी की वर्तनी (रमापति शुक्ल) में मिलता है। वर्तनी शब्द भी संस्कृत भाषा का है, जिसकी व्युत्पत्तियां देते हुए आचार्य निशांतकेतू ने 'वर्तनी' शब्द के कोशगत अर्थ बताए हैं—पथ, मार्ग, जीवन और दूसरा अर्थ है पीसना, चूर्ण बनाना, तकुआना, ज्ञानमंडल, वाराणासी द्वारा प्रकाशित *बृहत हिंदी कोश* में पहली बार वर्तनी का अर्थ हिज्जे दिया गया। काफी विवेचन के बाद वर्तनी की बड़ी व्यापक परिभाषा स्थिर की गई:

भाषा साम्राज्य के अंतर्गत भी शब्दों की सीमा में अक्षरों की जो आचार संहिता अथवा उनका अनुशासनागत संविधान है, उसे ही हम वर्तनी की संज्ञा दे सकते हैं। ..... वर्तनी भाषा की वर्तमान है। वर्तनी भाषा का अनुशासित आवर्तन है, वर्तनी शब्दों का संस्कारिता पद विन्यास है। वर्तनी अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु सूत्रहै। वह अक्षर संस्थान और वर्ण क्रम विन्याय है।

आचार्य रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने संस्कृत व्याकरण के वार्तिक से इसका संबंध स्थापित करते हुए व्यक्त किया। वार्तिक एवं वर्तनी दोनों शब्दों के ध्वनिसाम्य एवं अर्थसाम्य में समानता है। सूत्र के द्वारा शब्द साधना का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है तथा वार्तिक में सूत्रों द्वारा त्रुटिपूर्ण कथन पर पूर्ण विचार किया जाता है। वर्तनी भी इसी समानांतर प्रक्रिया से गुजरती है। वर्तनी का भी सामूहिक विशुद्ध स्वरूप ही भाषा की समृद्धि के लिए ग्राहय है। वर्तनी शब्द के विरोधी होते हुए भी आचार्य नंददुलारे वाजपेयी का इस शब्द के उत्थान हेतु योगदान तथा हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण उल्लेखनीय है।

प्रो॰ रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार हिंदी की वर्णमाला पूर्णत: ध्वन्यात्मक होने के कारण हिंदी की वर्तनी की समस्या उतनी गंभीर नहीं, जितनी अंग्रेजी की क्योंकि आज भी हिंदी के लिखित शब्द अपने उच्चरित रूप से अधिक भिन्न नहीं है। उपर्युक्त सभी शब्दों के होते हुए भी अब इस अर्थ में वर्तनी ही मान्य हो गया और भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली ने न केवल इस शब्द को मान्यता दी, वरन् एकरूपता की दृष्टि से कुछ नियम भी स्थिर किए हैं।

भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा-भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं, जिस भाषा-रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी काम-काज एवं सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना, उसका मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण (मानक भाषा के विकास) के तीन सोपान हैं—'बोली', पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमिति क्षेत्र आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है। कोई नियमित व्याकरण नहीं होता। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य-व्यवहार साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। द्वितीय सोपान-'भाषा', वहीं बोली कुछ भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता

है और इसी कारण से वह व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है, उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है, तब वह बोली न रहकर 'भाषा' की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। तृतीय सोपान— 'मानक भाषा' यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है। उसका परिनिष्ठित रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इसी समिति में पहुंचकर भाषा 'मानक भाषा' बन जाती है। उसी को (शुद्ध)', 'उच्च-स्तरीय', 'परिमार्जित' आदि भी कहा जाता है। मानक भाषा के तत्व ऐतिहासिक, स्वायत्तता, केन्द्रोन्मुखता, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, व्याकरणिक साम्यता और सर्वविधि एकरूपता है। मानकीकरण का प्रमुख दोष यह है कि इसकी भाषा में स्थिरता आने लगती है जिसमें भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है।

चूंकि हिंदी राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है तथा देश विदेश में व्यापक रूप से प्रयुक्त हो रही है इसलिए इसका मानकीकरण रूप में शिक्षण और लेखन न किया जाए तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 1961 में वर्तनी आयोग का गठन किया गया था हालांकि इससे पहले देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कदम शिवप्रसाद सितारेहिंद ने उठाया जब उन्होंने क ख ग ज़ फ पांच अरबी-फारसी ध्वनियों के लिए चिह्नों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज शुरू किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने *हरिश्चन्द्र मैगजीन* के जरिये खड़ी बोली को व्यावाहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को 'ठेठ हिंदी' की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग (1900-20) सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। *सरस्वती* पत्रिका के सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी जी ने *सरस्वती* पत्रिका के जरिये खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने-संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा-साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने *हिंदी व्याकरण* के नाम से एक वृहद व्याकरण लिखा। छायावादी युग (1918-1937) व छायावादोत्तर युग (1936) में हिंदी के मानकीकरण के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किये गए परन्तु भाषा का लिखित स्वरूप मोटे तौर पर स्पष्ट था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। मानकीकरण की दिशा में अनेक गैर-सरकारी प्रयास काका कालेलकर समिति (1941), नागरी प्रचारिणी सभा समिति (1945), आचार्य नरेंद्र देव समिति (1947) के रूप में सामने आए थे परंतु समन्वय के अभाव में एकरूपता नहीं लाई जा सकी थी। अत: केंद्र सरकार के तत्वाधान में यह कार्य हुआ और 1980 में अंतिम सुझाव के साथ ही देवनागरी लिपि का मानकीकृत रूप जारी किया गया और सिफ़ारिश की गई की एकरूपता के दृष्टिकोण से इनका ही अनुसरण किया जाए।[3]

इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा—इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से 'भारतीय हिंदी परिषद' का तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्दीय हिंदी निदेशालय का। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉ॰ धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। इस समिति के सदस्यों में धीरेन्द्र वर्मा ने ''देवनागरी लिपि चिह्नों में एकरूपता', हरदेव बाहरी ने 'वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने 'हिंदी व्याकरण' तथा माता प्रसाद गुप्त ने 'हिंदी शब्द-भंडार का स्थिरीकरण' विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने

लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा 'हिंदी वर्तनी का मानकीकीण' (1983) प्रकाशित किया।

हिंदी भाषा के मानकीकरण के सम्बन्ध में ध्यातव्य है की साँस, हँस,आँगन, मैं इन शब्दों में नासिक्य व्यंजनों का उपयोग नहीं बल्कि व्यंजन ध्वनियों में स्वरों का नासिक्यीकरण है। शब्दों के अंत में, चाहे वे क्रिया हों या किसी शब्द का बहुवचनी रूप, उनमें नियमानुसार स्वर की ही नासिक्यीकृत उच्चारण होता है, जैसे, मैं, हैं, हूँ, सकूँ, गिरूँ, उठूँ आदि। एन॰सी॰आर॰टी॰ की प्रारंभिक शिक्षा की भाषा पुस्तकों में इसी प्रकार सिखाया जाता है ताकि बच्चों के मस्तिष्क में संकल्पना घर कर जाए कि स्वरों के नासिक्यीकरण तथा नासिक्य व्यंजनों के स्वर रहित प्रयोग में क्या अंतर है। बाद में चलकर ऊंची कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में स्वरों के नासिक्यीकरण तथा नासिक्य व्यंजनों के स्वर रहित प्रयोग के लेखन में कोई अंतर नहीं रखा जाता है और दोनों के ही लिए अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। हंस और हँस जैसे शब्दों में अंतर एवं अर्थांतर का ज्ञान संदर्भ के अनुसार होता रहता है। नासिक्य व्यंजनों के स्वर रहित प्रयोग केवल वहीं करने की सिफ़ारिश की गई है जहाँ आवश्यक हो, जैसे, कन्या, संन्यासी, सम्मत आदि।[4] अगस्त-सितम्बर 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफ़ारिश उल्लेखनीय है। उसमें कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत चिह्न लगाने पड़े। अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। अंग्रेजी से फुलस्टॉप के रूप में बिंदु को छोड़कर पूर्णविराम को यथावत रखते हुए अन्य विरामादि चिह्न यथावत ग्रहण कर लिए गए है। विसर्ग के चिह्न को कोलन के चिह्न के रूप में लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है किन्तु दोनों में अंतर यह है कि विसर्ग शब्द के साथ सटाकर लिखा जाता है वही कोलन शब्द से कुछ दूरी पर प्रयुक्त किया जाता है। अखबारों (बी॰बी॰सी, टाइम्स ग्रुप, सरिता-मुक्ता ग्रुप आदि) में पूर्णविराम की जगह Fullstop का प्रयोग सिर्फ सुविधा और शीघ्रता की दृष्टि से किया जाता है क्योंकि कीबोर्ड लेआऊट में Fullstop सामान्य की से टाइप हो जाता है किन्तु पूर्णविराम के लिए शिफ्ट की दबाए रखकर टाइप करना पड़ता है (inscript में) जिससे अतिरिक्त भार पड़ता है और कुछ मिलीसेकेण्ड की टंकण गति कम होती है किन्तु एडवांस्ड कम्प्यूटिंग यथा सहज भाषिक प्रक्रिया के प्रयोगों में यह गलत है और अनेकानेक भयंकर समस्याओं को जन्म देता है। इस गड़बड़ी सम्बन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत है[5]:—

"Mr. A.B. Strong has paid a sum, of Rs. 5,678.50 by online payment through hdfcbank.com." इस वाक्य में dot (.) का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। "Mr. A. (abbreviation) B. (abbreviation) Strong has paid a sum of Rs. (abbreviation) 5,678 (Decimal point) 50 by online payment through hdfcbank(dot) com (full stop)". इससे शब्दबोध में काफी परेशानी होती है। और CAT (Computer Aided Translation) हेतु वाक्यखण्ड बनाने के दौरान गलत स्थान पर वाक्य विच्छेद हो जाता है। अंग्रेजी के फुलस्टॉप (.) का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है— (1) Fullstop या वाक्यान्त (U002E) (2) संक्षिप्ति चिह्न abbreviation (3)1(DOT) वेबसाइट पतों तथा ईमेल में विशेष पहचान हेतु (4) गणित में गुणा के लिए (2.2 = 4) (5) Rs. 1234.50 में दशमलव के रूप में (6) अनुच्छेद के अंत के अतिरिक्त अन्य प्रयोग भी हैं जैसे dotted line...के लिए, अत: पूर्णविराम के स्थान पर फुलस्टॉप का प्रयोग करना सर्वथा गलत है। अनजाने में भयंकर समस्या पैदा करना है—तकनीकी रूप से अवैज्ञानिक है। इसके विपरीत हिंदी (देवनागरी)यूनीकोड में वाक्य-अन्त हेतु पूर्णविराम/दण्ड (1) निर्धारित है।

अंग्रेजों ने देवनागरी पर आरोप लगाया था कि इसमें एफ़ और जेड ध्वनियों को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अत: देवनागरी सुधार समिति ने सुझाव दिया कि हमारे पास, उत्क्षिप्त ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने की व्यवस्था है। अत: हम इसका उपयोग करने का नियम बना सकते हैं। इस प्रकार यह निर्णय किया गया कि अंग्रेजी के एफ़ और जेड की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ज तथा फ के नीचे बिंदु लगाने का नियम नियत किया जा सकता है। आजकल कुछ लोग रोमन वर्णमाला और रोमन लिपी का उपयोग करके हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। यह खतरनाक प्रयोग है। रोमन लिपि अत्यंत दोषपूर्ण है जिसके लिए जॉज बर्नार्ड शॉ जैसे विद्वान ने कहा है कि "English spelling is an international calamity" जिन ध्वनियों का हम उपयोग कर सकते हैं उन्हें लिखने में नितांत असमर्थ है। जो लोग रोमन लिपि का इस्तेमाल करके हिंदी लिख रहे हैं या हिंदी लिखने के लिए रोमन प्रणाली का उपयोग करने की सलाह देते हैं, वे जाने-अनजाने हिंदी भाषा व संस्कृति का अहित कर रहे हैं। इस विषय पर व्यापक और गंभीरता से वैज्ञानिक चर्चा की जरूरत है।

मानक हिंदी से संबंधित ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिल सकते हैं। भाषा गतिशील होती है और बदलती सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के साथ भाषा का स्वरूप भी बदलता रहता है। अनुवादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भाषा के मानक रूप का प्रयोग करें मगर ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता है। दिक्कत तो तब आती है जब एक शब्द के अनेक रूप प्रचलित होते हैं और हमारे लिए उस शब्द का मानक रूप चुनना लगभग असंभव हो जाता है। कई बार व्याकरण और विरामादि चिह्नों के प्रयोग को लेकर भी मतैक्य नहीं हो पाता है। किसी भी विकासशील भाषा के उच्चारण गठन में अनेकरूपता मिलाना स्वाभाविक है और यूँ अभी हिंदी अपने अखिल भारतीय स्वरूप को ग्रहण कर चुकी है इसलिए इसे व्याकरण के कठोर नियमों में बाँधा नहीं जा सकता। टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में तो हिंदी भाषा में एकरूपता और मानकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। भाषा विषयक कठोर नियम बना देने से उनकी स्वीकार्यता तो संदेहास्पद हो जाती है, साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का थोड़ा-सा डर रहता है। फलत: भाषा जीवंत और समयानुरूप नहीं रह पाती। हिंदी वर्णमाला के मानकीकरण में और हिंदी वर्तनी के एकरूपता विषयक नियम निर्धारित करते समय इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए, जहाँ तक बन पड़ा है, काफ़ी हद तक उदारतापूर्ण नीति अपनाई गई है।

—एसोसिएट प्रोफेसर
अदिति महाविद्यालय
औचंदी रोड, बवाना
दिल्ली-110039

[1] राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि और सामाजिक प्रकृति, राजकुमार सैनी, राजभाषा हिंदी, प्रकाशन विभाग, पृष्ठ-51

[2] भाटिया, कैलाश चन्द्र (प्रकाशन), *हिंदी की मानक वर्तनी*, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ 2

[3] www.bharatdiscovery.org/india

[4] वर्तनी आयोग द्वारा मानकीकृत देवनागरी की नवीनतम वर्णमाला व लेखन विधि, डॉ॰ दलसिंगार यादव, निदेशक, राजभाषा परिषद, नागपुर

[5] http://harirama.blogspot.in/2008-07-01archive.html

राजभाषा हिंदी: बढ़ती जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ

— टी॰ रामराज रेड्डी

सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहते है। हर देश में भाषा के तीन रूप मिलते है- 1. बोली 2. भाषा 3. राजभाषा। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियाँ बोली जाती है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह बोली भाषा बन जाती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा या राजभाषा का स्थान पा लेती है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, पर बहुत विचार-विमर्श के बाद संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा (राष्ट्रभाषा नहीं) का गौरव प्रदान किया है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है-जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जापान की जापानी आदि। आज हिंदुस्तान को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, परन्तु दु:ख की बात यह है कि सात दशाब्दी के बावजूद भी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो सकी।

हिंदी भारत की अत्यंत प्राचीन भाषा 'संस्कृत' की उत्तराधिकारिणी है। 'हिंदी' शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। इसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया है। हिंदी किसी सप्रंदाय या धर्म की भाषा नहीं है, इस पर सबका समान अधिकार है। हिंदी करीब 30 करोड़ भारतवासियों की मातृभाषा है और 40 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है। वर्तमान में विश्व के लगभग सौ देशों में हिंदी का या तो जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयोग होता है अथवा उन देशों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की सम्यक व्यवस्था है। चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है, और जो भाषा जितनी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जायेगी उसकी जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही बढ़ जाती है। भाषा के प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी का प्रथम स्थान है और हिंदी का स्थान दूसरा और चीनी भाषा का स्थान तीसरा है अत: हमारे देश की आबादी चीन से कम होने के बावजूद भी भाषा की प्रयोग की दृष्टि से उनसे आगे है। अंग्रेजी भाषा प्रयोग की दृष्टि से प्रथम स्थान बनाने में हमारा भी हाथ है क्योंकि भारत में भी अंग्रेजी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिकता की है अर्थात इसमें संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा और 15 वर्ष बाद केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा-राजभाषा घोषित करने की बात थी परन्तु अनुच्छेद 343(3) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनिश्चित काल के लिए संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिक बन गई अत: जब तक भारत के 29 राज्यों में से एक भी राज्य हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने में आपत्ति जताएगा तब तक हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं बन सकती है। अत: प्रत्येक भारतवासी

की जिम्मेदारी है कि इसे राष्ट्रभाषा बनाने में अपना सम्पूर्ण योगदान दें। मातृभाषा वैयक्तिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बोध कराती है, राष्ट्रभाषा समाज को स्वदेशी भाव-बोध से सम्मिलित कराते हृए वैश्विक धरातल पर राष्ट्रीय स्वाभिमान की विशिष्ट पहचान दिलाती है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके पास एक सशक्त भाषा हो। हिंदी एक सशक्त भाषा है इसका लोहा सारा विश्व मानता है परन्तु हमारे देश की क्षेत्रीय भावना कभी-कभी इसे कमजोर बनाने की कोशित करती है। वर्तमान में 40 से अधिक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम के तहत् भाषा के अलावा, भारतीय संस्कृति, इतिहास, समाज आदि के बारे में भी पढ़ाया जाता है। उत्तरी अमरीका में 114 हिंदी पढ़ाने वाले केंद्र है, जबकि सोवियत रूस में 7 हिंदी शोध स्थान हैं। अमरीका के येन विश्वविद्यालय में सन् 1815 से हिंदी की व्यवस्था है। इसका मतलब विश्व मंच पर हिंदी सदियों पहले से ही विराजमान है। अत: हिंदीतर राज्यों को राष्ट्रहित में हिंदी को अपनी बड़ी बहन स्वीकारते हुए सर्वसम्मति से उसे राष्ट्रभाषा बनाने में सहमति देनी चाहिए। सामने आने वाली हर चुनौतियों को सामना करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है।

भारत की आजादी के बाद विश्व के अनेक देशों में हिंदी अध्ययन-अध्यापन तथा रचनात्मक लेखन में वृद्धि होने लगी, तो कुछ हिंदी प्रेमियों ने हिंदी का विश्वमंच स्थापित करने की दिशा में कार्य करना अपनी जिम्मेदारी समझी और सामने आने वाली हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े जिसके परिणाम के रूप में हमारे पास दस अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन की सफल गाथाएं प्रस्तुत है। अन्तर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत के अलावा विश्व के कई देशों जैसे मॉरीशस (1976), त्रिनिनाद (1996), लंदन (1999), सूरीनाम (2003), न्यूयार्क (2007) और दक्षिण अफ्रीका (2012) में हो चुकी है और हर जगह अपनी सफलता का ध्वज लहराया है। विश्व हिंदी सम्मेलन को सफल बनाने के पीछे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और तत्कालीन प्रधानमंत्री का अमूल्य योगदान है। हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हमारी है।

बात जब राजभाषा हिंदी की बढ़ती जिम्मेदारियों और चुनौतियों की हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की चर्चा जरूर होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व की सर्वोच्च-संस्था है। विश्व के प्राय: सभी राष्ट्र उसके सदस्य है। यह संस्था विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधियों के लिए परस्पर विचार-विनिमय हेतु एक वैश्विक मंच उपस्थित कराती है। आज संयुक्त राष्ट्रसंघ में छह आधिकारिक भाषाएं प्रयुक्त होती हैं- 1. अंग्रेजी 2. अरबी 3. चीनी 4. फ्रेंच 5. रूसी 6. स्पेनिश। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है प्रयोग की दृष्टि से देखा जाय तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की छह आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी को छोड़ दें तो विश्व में हिंदी का प्रयोग इन सबसे अधिक है और बात जब सबसे ज्यादा बोलने वालों की आती है तो हमारा स्थान चीनी के बाद आता है यानी हम अंग्रेजी को भी पीछे छोड़ चुके है, तो हमारे सामने सवाल उठता है कि हिंदी कब संयुक्त राष्ट्रसंघ की सातवीं आधिकारिक भाषा बनेगी। सन् 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी

Page/ पृष्ट-4[टी॰ रामराज रेड्डी, कनिष्ठ सलाहकार (हिंदी), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, हैदराबाद-500030, www.ramrajsuryavanshi.blogspot.in]

सम्मेलन में जब प्रख्यात साहित्यकार काका कालेलकर ने पूरे विश्वास के साथ प्रस्तावित किया कि ''संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी को मान्यता मिलने से विश्व शोषणरहित, शांतिपूर्ण और संघर्षरहित समाज रचना के अधिक समीप पहुँच सकेगा। हिंदी की मूल प्रेरणा, त्याग और सेवा है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिंदी विश्व सेवा के लिए उपस्थित है।'' इस सम्मेलन में उपस्थित विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया परन्तु केवल समर्थन मात्र से हिंदी संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा नहीं बन जाती है इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। आवाज ही नहीं, संघर्ष करने की आवश्यकता है इसके लिए भारत सरकार का प्रयास बहुत जरूरी है। यह वह समय है, जब हिंदी के पक्ष में अनेक अनुकूलताएं हैं। केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जिसके दृष्टि-पत्र में हिंदी को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का मुद्दा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्तराष्ट्र महासभा को दो बार हिंदी में संबोधित किया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और पी॰वी नरसिंहा राव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दे चुके है। परन्तु उनके और हमारे प्रयास के 40 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हिंदी संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बन नही पाई।

राजभाषा हिंदी को जन-जन की भाषा बनाने के लिए भारत सरकार की राजभाषा विभाग का प्रयास सराहनीय है। मुझे यह लेख लिखने की प्रेरणा भी राजभाषा विभाग के प्रयासों (राजभाषा भारती) से ही मिली है। राजभाषा विभाग केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/कार्यालयों में राजभाषा से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन कराने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, परन्तु इस कोशिश का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सभी राजभाषा से संबंधित सभी प्रावधानों को सौ प्रतिशत पूरा करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। हमें राजभाषा का प्रयोग सिर्फ संवैधानिक प्रावधान तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए। हम अपने कार्यालय को हिंदी का माहौल दें। बैठकें/संगोष्ठियाँ/प्राशासनिक कार्य आदि हिंदी में करने पर जोर दें। हिंदी को जन-जन की भाषा बनाने के लिए केवल राजभाषा विभाग के प्रयास काफी नहीं है। भारत के अधिकांश कार्यालयों में दस्तावेजों का निर्माण मूल रूप से अंग्रेजी में होता है और बाद में उनका हिंदी अनुवाद, इससे हिंदी एक अनुवाद की भाषा बन कर रह जाती है। हमारा मकसद इसे अनुवाद की भाषा नहीं बनाना है बल्कि इसे जनभाषा बनाना है। हमारे दफ्तरों में दस्तावेजों के मूल रूप अंग्रेजी में तैयार होने का सिलसिला आज से नहीं है, हम स्वतंत्रता के पहले की बात नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर रहे हैं, भारत जब स्वाधीन राष्ट्र बन गया तब स्वतंत्र भारत की विधि की प्रथम पुस्तक अर्थात संविधान की रचना का कार्य अंग्रेजी भाषा में आंरभ हुआ। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा में देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मनीषियों, समाज सुधारकों और विद्ववानों का प्रतिनिधित्व था। लगभग सभी सदस्य हिंदी भाषा अच्छी तरह से जानते थे। किन्तु कुछ सदस्य अंग्रेजी भाषा में अधिक पारंगत थे। फिर भी हिंदी को संविधान बनाने की भाषा अपनाते हुए मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में बनाने का प्रयास किया। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि अधिकांश भारतीयों की भाषा हिंदी होने के बावजूद हमारा संविधान हिंदी में तैयार नहीं हो सका। संविधान सभा ने ऐसा नहीं किया बल्कि एक संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को यह प्राधिकार

दिया कि वह अपने अधिकार से संविधान का हिंदी अनुवाद 26 जनवरी, 1950, जिसको संविधान प्रवृत होना था, तब तक तैयार कराएं और प्राधिकृत पाठ के रूप में इसे प्रकाशित कराएं। परन्तु इसका प्राधिकृत अनुवाद रूप प्रकाशित होने में लगभग चालीस वर्ष लग गये, संविधान प्राधिकृत हिंदी अनुवाद 1988 को प्रकाशित हुआ। इसका श्रेय भी हिंदी प्रेमियों को ही जाता है, जिनके अथक प्रयास ने इसे सफल बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी शुरूआत ही अंग्रेजी भाषा से हुई अत: आज तक सिलसिला चल रहा है, परन्तु हिंदी अगर ठान ले तो वे दिन दूर नहीं कि जब सरकार को संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना होगा।

युवा वर्ग किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है और भारत के पास विश्व की अन्य देशों की दृष्टि से युवाशक्ति सबसे ज्यादा है। युवकों को सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार की है परन्तु भारत के सभी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है, और हिंदी का ज्ञान केवल हिंदी से संबंधित नौकरियों के लिए ही अनिवार्य है। अत: युवकों को लगता है कि नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है हिंदी नहीं, इससे उनका झुकाव अंग्रेजी की तरफ हो जाता है। अत: हिंदी की बढ़ती जिम्मेदारियों और चुनौतियों को ध्यान में रख कर सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में अंग्रेजी, तर्कशक्ति, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान के साथ-साथ हिंदी भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य विषय के रूप में रखे तो बहुत सा युवा वर्ग हिंदी भाषा का प्रयोग करना आरंभ करेंगे। यूँ तो सरकारी नौकरियों में पूछे गये प्रश्न पत्रों का रूप द्विभाषित होता है परन्तु इतने से काम नहीं चलेगा। हिंदी को रोजगार की भाषा बनाना आज की आवश्यकता है।

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इस युग में किसी भी भाषा के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग अनिवार्य है। ग्लोबलाइजेसन के दौर में कम्प्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग के बिना कोई भी भाषा विश्व पटल पर अपना अस्तित्व बनाये रखने में असमर्थ है। आज इंटरनेट मनुष्य के लिए सूचना-प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ उपहार सिद्ध हुआ है। यह हाई-टेक का पर्याय है और सूचना क्रांति का संवाहक। सही अर्थों में दुनिया को एक गांव में इसी तंत्र ने बदला है। इंटरनेट पर अंग्रेजी का ही वर्चस्व है, लेकिन अन्य भाषाएं भी पीछे नहीं है। पहले कठिनाइयां थी अब नहीं है। कठिनाइयां इसलिए थी क्योंकि हर किसी का पोर्टल या वेबसाइट का अलग-अलग फॉट हुआ करता था, फॉट पोर्टल या वेबसाईट की कलात्मक पहचान है, जब तक इंटनेट के उपभोक्ता संबंधित फॉट अपने कम्प्यूटर में डाउनलोड नहीं कर लेते थे तब तक वह जंक सामग्री के रूप में दिखती थी। इसलिए अंग्रेजी के अलावा अन्य सभी भाषाओं के पोर्टल तक जिसमें हिंदी भी शामिल है, इंटरनेट उपभोक्ता तक पंहुचने में कठिनाइयां होती थी। इन समस्याओं के निवारण हेतु जेराक्स कंपनी के जे बेकर और एपल कंपनी के मार्क डेविस ने सन् 1987 में 'यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट' के निर्माण पर अनुसंधान कार्य किया, जिसने यूनीकोड व्यवस्था को जन्म दिया। यूनीकोड कम्प्यूटर डाटा को फॉट की परिधि से बाहर रखता है। अत: यूनीकोड फॉट (मंगल) में लिखी गई सामग्री बिना किसी फॉट के डाउनलोड किए विश्व के किसी भी कम्प्यूटर में बिना समस्या के देखी जा सकती है। क्योंकि मंगल फॉट विश्व के हर कम्प्यूटर में इनबिल्ट (पहले से ही लोड) रहता है। अत: हम कह सकते है मंगल से सब कुछ मंगलमय हो गया। इंटरनेट पर पहला भारतीय भाषा की पोर्टल हिंदी भाषा में ही

था, विश्व की पहली हिंदी वेबसाइट नईदुनिया डॉट कॉम है, इसका श्रेय बेबदुनिया डॉट कॉम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक श्री विनय छजलानी को जाता है। आज भारत की लगभग सभी भाषाओं में वेबसाइट मौजूद है। वर्तमान में इंटनेट पर हिंदी बढ़ रही है, भले ही इसकी रफ्तार कम हो, इसकी रफ्तार को तेज करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। आज केंद्र और राज्य सरकार की 9 हजार वेबसाइट हिंदी में है।, लगभग एक लाख ब्लॉग हिंदी में है, विकीपीडिया में एक लाख से अधिक हिंदी लेख है, विकास पीडिया के पास भी हिंदी सामग्री की भरमार है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय भाषा हिंदी के लिए यह सामग्री बहुत कम है। आज हर सोशल मीडिया जैसे-फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस आदि में गूगल इनपुट या इंडिक के द्वारा कोई भी बिना टाइपिंग ज्ञान के टंकण कर सकते हैं। अत: हम आज से ही सोशल मीडिया में हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दे, तो इंटरनेट पर हिंदी सामग्री भी अपने आप बढ़ जायेगी।

अंतत: निष्कर्ष के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने हिंदी सेवा को सबसे बडी समाज सेवा कहा है अर्थात हम सबको मिलकर हिंदी की सेवा में लग जाना चाहिए। राजभाषा की सेवा करना अपनी जिम्मेदारी समझ कर इसके मार्ग में आई हर चुनौती का सामना करते हुए इसे राष्ट्रभाषा के मुकाम तक पंहुचाना है। इसके लिए हम आज से माइक्रोसॉफ्ट के इंडिक या गूगल इनपुट्स या अगर टंकण का ज्ञान हो तो किसी भी हिंदी सॉफ्टवेयर से इंटरनेट में इतनी हिंदी सामग्री भर दें कि आने वाली पीढ़ी को हिंदी सामग्री इकट्ठा करने के लिए पुस्तकालय जाने की जरूरत न पड़े, बस गूगल पर खोज दबाते ही उनकी झोली भर जाय, क्योंकि आज की पीढ़ी के बच्चे सब कुछ ई-रूप में पाना चाहते हैं। इंटरनेट में हिंदी सामग्री की कमी के कारण ही आज बहुत से विद्यार्थी संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम का चयन करते है। इंटरनेट पर हिंदी को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग का प्रयास प्रशंसनीय है। भारत में एक मात्र राजभाषा विभाग की ही वेबसाइट है जो बाई डिफोल्ट हिंदी भाषा में खुलती है हालांकि यह अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, भारत सरकार के अन्य वेबसाइट भी हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं परन्तु वे बाई डिफोल्ट अंग्रेजी भाषा में खुलती हैं और उनमें हिंदी का चयन करने का विकल्प रहता हैं । राजभाषा विभाग सरकारी फाईलों पर पनपने वाले साहित्य को अपनी वेबसाईट में डालकर सरकारी साहित्य को लोकप्रिय साहित्य बनाने का प्रयास कर रहा है, आज उनके प्रयास हमारे सहयोग, हमारी सेवा की जरूरत है। अंत में मैं हिंदी भाषा के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए यह लेख सामाप्त कर रहा हूं।

''आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें।''

—महात्मा गाँधी

जय हिंद, जय हिंदी।

—कनिष्ठ सलाहकार (हिंदी)
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
हैदराबाद - 500030

प्रशासनिक हिंदी का सरलीकरण

—डॉ॰ श्रीनारायण सिंह

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। व्यक्ति मन और संपूर्ण सामाजिक जीवन अपने पूरे राग-रंग, रीति-रिवाज, परिवेश, परंपरा, सरोकार, सभ्यता एवं संस्कृति के साथ भाषा में ही मुखर होते हैं। इसीलिए भाषा व्यक्ति के साथ-साथ पूरे समाज की पहचान तथा धरोहर होती है। इसीलिए भाषा और समाज का संबंध एक-दूसरे पर अवलंबित एवं अन्योन्याश्रित होता है। इसीलिए आज के विश्वग्राम में जब कोई भाषा पिछड़ जाती है और अपने बोलने वाले समाज द्वारा त्याग दी जाती है, तब केवल एक भाषा का ही देश निकाला नहीं होता, बल्कि उस भाषा को बोलने वाला पूरा समाज पराई भाषा पर आश्रित एवं अवलंबित हो जाता है। ऐसा समाज अपनी पहचान खोकर नकलची और दोयम दर्जे का समाज बन जाता है। आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले न जाने कितने मानव-समाज आधुनिक बनने की होड़ में अपनी भाषाई पहचान खोकर नकलची बन गए हैं। मानव इतिहास के एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 200 वर्षों में केवल अफ्रीका में ही लगभग एक हजार भाषाएं लोक व्यवहार से वंचित होने के कारण मिट गईं। 'यूनेस्को' के वियाना सम्मेलन-1996 की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा दौर में दुनिया में प्रचलित लगभग 6,800 भाषाओं और बोलियों में से कोई भाषा अथवा बोली हर पखवाड़े अपने बोलने वाले समाज द्वारा छोड़ दिए जाने से विलोप कर शिकार हो रही है। यह सिलसिला अगर जारी रहा तो दुनिया में बोली जा रही भाषाओं और बोलियों की तीन चौथाई आने वाले 100 वर्षों में खत्म हो जाएंगी। मतलब साफ है कि भाषा और समाज का संबंध आदमी की पहचान और संस्कृति से संबंध होने के साथ-साथ उपयोगिता आधारित भी होता है। विकास की दौड़ में जो भाषा अपने बोलने वालों को बेहतर जीवन सुलभ नहीं करा पाती, उस भाषा को उसका बोलता समाज छोड़ देता है। वैसे अपनी भाषा को हीन मानते हुए उसे छोड़ देना और पराई भाषा को सफलता की कुंजी समझकर अपना लेने का सिलसिला मानव समाज के लिए कोई नया नहीं है। यूनेस्को की 'इंटरेक्टिव एटलस' की रिपोर्ट के अनुसार अपनी भाषाओं को भूलने में भारत का नंबर अव्वल है। भारत के बाद अमेरिका का नंबर है। भाषा और समाज का रिश्ता द्वंद्वात्मक और बहुत आयामी होता है। एक भाषा की मौत का मतलब है उसके वक्ता समाज की धरोहर और संस्कृति का खत्म होना, मानव सभ्यता की एक विशिष्ट पहचान का मिट जाना और एक समूचे समाज का नकलची और पिछलग्गू बन जाना। ऐसा समाज गुलाम बनने को अभिशापित होता है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भाषा के सवाल को आजादी की लड़ाई से जोड़ा। उनका मानना था, 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है'। अकारण नहीं यूनेस्को ने 21 फरवरी के दिन को 'विश्व मातृभाषा दिवस' घोषित किया है। दुनिया भर में भाषाएं और बोलियां जिस तेजी से मिट रही हैं, अगर यही हाल रहा तो हमारी बहुभाषी तथा बहुलतामूलक दुनिया एकभाषी बनकर विविधता विहीन, परंपरा तथा धरोहर से वंचित एक रस, एकरंगी और उबाऊ हो सकती है।

भारत में भाषा के साथ समाज का व्यवहार और सरोकार बिल्कुल अलग तरह का रहा है। भाषाएं हमारी आकांक्षा और प्रगति को कदम-दर-कदम साकार करने में सक्षम रही हैं। किंतु शताब्दियों की गुलामी ने हमारी भाषा, शिक्षा, संस्कृति, चिंतन और स्वभाव को इस कदर कुंद कर दिया कि हम हीन भावना से ग्रस्त हो अपनी चीजों को हेय और विदेशी चीजों को श्रेष्ठ समझने लगे। हमारे भाषा व्यवहार पर विदेशी भाषाएं

थोपी गईं। हमारी शिक्षा में, शासन के कामकाज में, यहां तक कि नैसर्गिक न्याय प्रणाली में विदेशी भाषाओं का चलन शुरू हुआ और हम अपनी भाषाओं की तुलना में विदेशी भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानने के लिए विवश किए गए।

भला हो स्वाधीनता आंदोलन का, जिसने गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी और स्वभाषा के प्रति भारत के सोए हुए आत्मसम्मान को जगाया। स्वाधीनता और हिंदी एक दूसरे की पूरक बनी। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। इसका परिणाम हुआ कि देश जब आजाद हुआ तो हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। किंतु तभी हिंदी में राजकाज के लिए ढांचागत सुविधा नहीं होने की बात कह कर वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अंग्रेजी में काम करने की कामचलाऊ व्यवस्था शुरू हुई। यह कामचलाऊ व्यवस्था हमारे संघीय ढांचे का एक तरह से स्थायी स्वभाव बन गयी है। आज भी भारत संघ के कामकाज की भाषा वही है, जो अंग्रेजी हुकूमत की भाषा थी। संवैधानिक प्रावधानों के निर्वाह के लिए हिंदी एक तरह से अनुवाद की भाषा बन कर रह गई है।

वैसे अनुवाद भाषाओं के बीच संवाद जोड़ने और ज्ञान का प्रसार करने के कारण स्वभाव से आधुनिक होता है। अनुवाद सृजन का अनुसृजन होने के चलते सर्जनात्मक और अभिनव अनुशासन है। परंतु अनुवाद शब्दांतर और वाक्यांतरण होने पर जटिल और बोझिल हो जाता है। प्रशासन में जो हिंदी चलती है, उसका अधिकांश मौलिक लेखन नहीं, बल्कि अनुवाद है। इसलिए प्रशासनिक हिंदी को कुछ लोग तंज से अनुवादी हिंदी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि प्रशासनिक हिंदी में सरलता और सहजता के बजाय प्रायः जटिलता मिलती है। प्रशासनिक हिंदी में जो पारिभाषिक शब्द प्रयोग होते हैं, उसका अधिकांश संस्कृतनिष्ठ है और मानक को ध्यान में रख कर गढ़े गए हैं। ऐसे शब्द आम जन-जीवन की बोली-वाणी में व्यवहार नहीं होते। फलस्वरूप प्रशासनिक हिंदी सामान्य हिंदी से भिन्न है। वैसे प्रशासनिक हिंदी भाषा की यह भिन्नता कोई दोष नहीं है। दुनिया की सभी भाषाओं में प्रशासनिक, अकादमिक और बोलचाल के रूप अलग-अलग होते हैं। किंतु प्रशासनिक हिंदी की भिन्नता के कारण दूसरे हैं। प्रशासनिक हिंदी पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के चलते आमलोगों के लिए कुछ हद तक कठिन हो सकती है, जो स्वाभाविक है। परंतु प्रशासनिक हिंदी प्रशासन के लोगों के लिए भी चुनौती है। इसका कारण प्रशासनिक अंग्रेजी के पाठों, मसौदों आदि का हिंदी में हू-बू-हू, शब्द-दर-शब्द, वाक्य-दर-वाक्य अनुवाद करना है। ऐसा अनुवाद हिंदी भाषा की प्रकृति और स्वभाव के अनुरूप नहीं होता। इसमें हिंदी की स्वाभाविक वाक्य-सरंचना से भिन्न अंग्रेजी वाक्य-रचना की नकल होती है। फलस्वरूप वाक्य जटिल, अटपटे और असंगत होते हैं। ऐसे अनुवादों में या तो अर्थ का लोप हो जाता है या अर्थ का अनर्थ। ऐसे में पाठक को खीझ के सिवा कुछ हासिल नहीं होता।

सरकार के कार्यकलाप में हिंदी का प्रसार नहीं होने का कारण हिंदी को अंग्रेजी की नकलची और अनुवादी भाषा बना देता है। प्रशासनिक अंग्रेजी में संयोजकों का प्रयोग कर लंबे वाक्य लिखने का चलन है। अंग्रेजी कर्मप्रधान भाषा है। उसमें 'पैसिव वॉइस' का इस्तेमाल ज्यादा होता है। परंतु हिंदी कर्ताप्रधान भाषा है। अंग्रेजी में उपवाक्यों के रचाव में 'जो' और 'कि' जैसे संयोजकों की बहुतायत मिलती है, जो हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। प्रशासनिक अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण करते समय अनुवादक शब्दों का तो हिंदी अनुवाद कर देता है, परंतु अंग्रेजी की संरचना को जस-का-तस रहने देता है। परिणाम होता है कि प्रशासनिक हिंदी कृत्रिम और जटिल हो जाती है। इसलिए प्रशासनिक हिंदी के सरल, सहज और सुबोध होने के लिए केवल शब्दावली महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु वाक्य संरचना का मौलिक, स्वाभाविक और सहज होना भी उतना ही आवश्यक है। लोकतांत्रिक

शासन प्रणाली की सफलता के लिए बड़ा जरूरी है कि शासन के कामकाज को लोग जानें और उससे जुडें। इसमें भाषा की भूमिका सर्वोपरि होती है।

इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक हिंदी को सरल और सहज बनाने की मांग व्यापक और तेज हुई है। जनाकांक्षों के उभार के दौर में शासन के कार्य-कलाप से लोग वाकिफ हों, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन और आमजन की भाषा एक हो। भारत में यह कार्य सरल हिंदी के माध्यम से ही हो सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का जिम्मा संघ सरकार को सौंपा गया है। इसके लिए संस्कृत समेत संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को हिंदी में अपनाने पर जोर दिया गया है, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों के चलन के लिए जरूरी कार्रवाई करने, शब्द संकलन करने और उनका व्यवहार करने, शब्दावली तैयार करने आदि कार्यों के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) गठित किया गया है। किंतु व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग और प्रसार सुनिश्चित करने का कार्य-भार गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग को दिया गया है। विभाग यह कार्य अपने अधीनस्थ कार्यालयों यथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के माध्यम से करता है।

वैसे तो भाषा प्रयोग में सरलता तथा सहजता का मामला पूरी तरह से व्यक्ति के भाषा ज्ञान पर निर्भर करता है। इस कार्य के लिए कोई सर्वस्वीकृत मानदंड नहीं है। भाषा के परिचित शब्द सरल और सहज लगते हैं तो अपरिचित शब्द कठिन। बार-बार नजर आने व सुने जाने से कठिन और दुर्बोध लगने वाले शब्द भी जाने-पहचाने लगते हैं। किंतु हिंदी भाषा के विशाल वक्ता समाज की विविधता और शब्द, मुहावरे, शैली और शिल्प जैसे भाषागत व्यवहार के मद्देनजर यह समझना बड़ा जरूरी है कि हिंदी सरल और सहज भाव की भाषा है। कृत्रिम और जटिल विन्यास से हिंदी की अभिव्यक्ति अगम और हास्यास्पद हो जाती है। इस दृष्टि से राजभाषा विभाग के निदेश से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा तैयार की जा रही 'सरल प्रशासनिक शब्दावली' को सरलीकरण की दिशा में एक लघु प्रयास माना जा सकता है। ब्यूरो द्वारा तैयार और राजभाषा विभाग की वेबसाइट (www.rajbhasha.gov.in अथवा www.rajbhasha.nic.in हिंदी शब्दकोष प्रशासनिक भाषा का सरलीकरण) के माध्यम से अब तक ऑनलाइन की गई 'सरल प्रशासनिक शब्दावली' में कुल 5,467 शब्द संकलित हैं, जिनमें से 2,200 शब्दों के कई सरल पर्याय प्रस्तुत किए गए हैं। इस शब्दावली में प्रशासन में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों के लिए मानक हिंदी शब्द तथा लोकजीवन में प्रचलित सरल हिंदी पर्याय दिए गए हैं। शब्दों के अर्थ, भाव और संकल्पना को समझाने के लिए उनके वाक्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। व्यवहारकर्ताओं की अतिरिक्त सुविधा के लिए शब्दों की भेदगत पहचान जैसे — संज्ञा, क्रिया, विशेषण, लिंग आदि के संकेत भी दिए गए हैं।

वैसे तो प्रशासनिक हिंदी को सरल बनाने का कार्य मूल रूप से हिंदी में प्रशासनिक लेखन से होगा। इस बुनियादी कार्य के लिए शासन और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर अभियानी मानसिकता बनानी होगी। यह बेहद जरूरी और महान कार्य राष्ट्रीय स्वाभिमान से प्रेरित हो समवेत रूप से किए जाने से ही संभव होगा। इसमें सरल प्रशासनिक शब्दों की भूमिका एक हद तक ही सहायक होगी। फिर भी जब मुख्य कार्य न हो रहा हो, तब सहायक छुटपुट कार्यों की भूमिका परिवर्तनकामी तैयारी के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किया जा रहा 'प्रशासनिक हिंदी का सरलीकरण' इसी मायने में महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कार्य के कुछ उदाहरण भारतीय शासन और प्रशासन से

जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्तर से व्यापक विचार तथा व्यवहार करने के लिए यहां प्रस्तुत हैं:—

1.	absolute authority	(n) - पूर्ण अधिकार, पूर्ण प्राधिकारी
2.	absolute discretion	(n) - पूर्ण विवेक
3.	absolute value	(n) - निरपेक्ष मूल्य
4.	affordable	(adj) - 1. वहनीय 2. किफायती, सस्ता
5.	affordable price	(n) - कम कीमत
6.	age limit	(n) - आयुसीमा
7.	agency	(n) - एजेंसी
8.	agenda	(n) - कार्यसूची
9.	aggrieved	(adj) - पीड़ित
10.	agitation	(n) - आंदोलन
11.	agree	(v) - सहमत होना, राजी होना
12.	agreement	(n) - 1. समझौता 2. सहमति
13.	appointment	(n) - 1. नियुक्ति 2. मुलाकात का समय
14.	assessment	(n) - 1. मूल्यांकन 2. measure निर्धारण
15.	austerity	(n) - मितव्ययियता उपाय, किफायत के उपाय, मितोपभोग उपाय
16.	authenticate	(n) - प्रामाणिक ठहराना
17.	authorize	(n) - प्राधिकृत करना, अधिकृत करना
18.	bio-data	(n) - जीवनवृत्त, परिचय
19.	birth control	(n)-जन्म नियंत्रण संतति, निरोध
20.	blank cheque	(n) - 1. कोरा चेक 2. व्यापक अधिकार
21.	blanket ban	(n) - पूर्ण प्रतिबंध
22.	bonafide resident	(n) - वास्तविक निवासी
23.	bottleneck	(n) - बाधा, गत्यवरोध (v) - बाधा डालना/ बाधा पहुंचना
24.	brief resume	(n) - संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त वृत्त
25.	buffer stock	(n) - सुरक्षित भंडार, बफ़र स्टॉक
26.	bullion market	(n) - सराफ़ा बाजार
27.	by hand	(adv p) - हाथों–हाथ, दस्ती
28.	citizen charter	(n) - नागरिक चार्टर, नागरिक अधिकार–पत्र
29.	civil society	(n) - सभ्य समाज, नगर समाज, शिष्ट समाज, जन समाज
30.	civilian	(n) - असैनिक नागरिक
31.	cooling off period	(n) - 1. विश्राम अवधि 2. उपशमन अवधि
32.	creamy layer	(n) - सम्पन्न वर्ग, मलाईदार वर्ग मलाई

परन, नवोन्नत वर्ग

33. cut off marks (n) - न्यूनतम अंक, विच्छेदक अंक

34. cut off date (n) - अंतिम तारीख, निर्णायक तारीख, विच्छेदक तिथि, निर्दिष्ट तारीख

35. demotion (n) - पदावनति

36. developed country (n) - विकसित देश

37. developed country (n) - विकासशील देश

38. diaspora (n) - डायास्पोरा, प्रवासी

39. differentiate (n) - भेद होना, भेद करना, अंतर करना

40. differently abled (n) - अन्यथा सक्षम, भिन्न रूप से सक्षम

41. difficult (n) - मुश्किल, कठिन

42. difficult station (n) - असुविधाजनक स्टेशन, कठिन स्टेशन

43. difficulty (n) - कठिनाई

44. digit (n) - अंक

45. digital divide (n) - डिजिटल अंतर

46. digital signature (n) - डिजिटल हस्ताक्षर

47. digitize (n) - डिजिटीकरण करना, अंकीयकरण करना

48. differentiate (n) - भेद होना, भेद करना, अंतर करना

49. differently abled (n) - अन्यथा सक्षम, भिन्न रूप से सक्षम

50. difficult (n) - मुश्किल, कठिन

51. difficult station (n) - असुविधाजनक स्टेशन, कठिन स्टेशन

52. difficulty (n) - कठिनाई

53. disallow (n) - अस्वीकृत करना, नामंजूर करना

54. disputed (n) - विवादित

55. disrupt (n) - बाधित करना, बाधित होना

56. distant education (n) - दूरस्थ शिक्षा

57. divide (n) - अंतर (v) -
1. विभाजित करना, विभाजित होना
2. बांटना

58. drought prone area (n) - सूखा संभावित-क्षेत्र, सूखाप्रवण-क्षेत्र

59. fabricated (n) - गढ़ा हुआ, मनगढ़त

60. fault finding (n) - गलती खोजना, छिद्रान्वेषण,दोष निकालना

61. feasible (n) - व्यवहार्य, संभव

62. feeder post (n) - स्रोत पद, फीडर पदप्रदायक पद

63. fire drill (n) - आग बुझाने का अभ्यास, ड्रिल

64. firefighting equipment (n) - अग्निशमन उपकरण
65. first generation (n)/(adj) - पहली पीढ़ी
66. fitment (n) - निर्धारण
67. flag march (n) - फ्लैगमार्च
(v) - फ्लैगमार्च करना
68. flag off (n) - रवाना करना
69. flaw (n) - रवाना करना
70. flexi time (n) - लचीला कार्य–समय
71. flip-flop (n) - बार–बार राय बदलना
72. floating rate (n) - अस्थिर दर
73. floating population (n) - चल आबादी
74. floating voter (n) - अस्थिर मतदाता
75. floor of the House (n) - सदन
76. flying visit (np) - संक्षिप्त दौरा
77. fly past (n) - सलामी उड़ान
78. food security (n) - खाद्य सुरक्षा
79. foolproof (adj) - विश्वसनीय और आसान
80. footage (n) - तस्वीर, फुटेज
81. foreclosure (n) - 1. पहले चुकाना, पूर्वमोचन
2. पुरोबंध
3. निषेध
82. foreign service (n) - 1. विदेश सेवा
2. विभागेतर सेवा, अन्यत्र सेवा
83. forethought (n) - पूर्व–चिंतन
84. formally (adv) - विधिवत् रूप से
85. forthright (adj) - स्पष्टवादी
(adv) - स्पष्ट रूप से
86. forthwith (adv) - तत्काल
87. full-fledged (adj) - पूर्ण विकसित, संपूर्ण
88. functionality (n) - 1. व्यावहारिकता
2. कार्यक्षमता
89. funding (n) - निधीयन धन, (देना), वित्त पोषण
90. fund raising (n) - धन जुटाना
91. gadget (n) - उपकरण, गैजेट
92. game changer (n) - दिशा–परिवर्तक
93. game-plan (n) - रणनीति, योजना
94. garrison (n) - 1. सैन्य टुकड़ी
2. दुर्ग
(v) - रक्षा करना
95. gender (n) - लिंग
96. gender awareness (n) - महिलाओं के प्रति जागरुकता
97. gender bias (n) - महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह
98. gender budget (n) - महिला कल्याणकारी बजट

99.	gender determination	(n) –लिंग निर्धारण
100.	gender discrimination	(n)– महिलाओं के प्रति भेदभाव
101.	gender issues	(n) – स्त्रीपुरुष संबंधी मुद्दे–
102.	gender ratio	(n) – स्त्रीपुरुष अनुपात–
103.	gender representation	(n) – महिला प्रतिनिधित्व
104.	gender resources	(n) – महिला संसाधन
105.	gender sensitizations	(n) – महिलाहित संवेदनशीलता
106.	gender training	(n) – महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता प्रशिक्षण
107.	gender violence	(n) – महिलाओं के विरूद्ध हिंसा
108.	gender welfare	(n) – महिला कल्याण
109.	generation gap	(n) – पीढ़ी अंतराल
110.	genocide	(n) – जन–संहार, नरसंहार, जातिसंहार
111.	glass ceiling	(n) – अद्दश्य बाधा
112.	global reach	(n) – वैश्विक पहुंच
113.	global village	(n) – विश्व ग्राम
114.	global warming	(n) – भूमंडलीय तापवृद्धि
115.	grass-roots level	(n) – निचले स्तर, जमीनी स्तर
116.	grass roots plan	(n) – आधार भूत योजना,
117.	green emission norms	(n) – ग्रीन उत्सर्जन मानक
118.	green belt	(n) – हरित पट्टी
119.	green building	(n) – हरित भवन
120.	green field	(adj) –नया उद्योग
121.	green-house gas	(n) – ग्रीनहाउस गैस
122.	green-house effect	(n) – ग्रीन हाउस प्रभाव
123.	green movement	(n) – हरित आंदोलन
124.	green politics	(n) – हरित राजनीति
125.	green revolution	(n) – हरित क्रांति
126.	grey area	(n) – अस्पष्ट
127.	grey field	(adj) –पुराना
128.	grey market	(n) – अवैध बाज़ार
129.	gross domestic product	(n) – सकल घरेलू उत्पाद
130.	ground-breaking	(adj) – अभिनव
131.	ground rule	(n) – मूल सिद्धांत
132.	ground zero	(n) – घटना स्थल, ग्राउंड ज़ीरो
132.	growth engine	(n) – विकाससाधन
133.	gun battle	(n) – मुठभेड़
134.	gunboat diplomacy	(n) – सैन्य कूटनीति

—निदेशक
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
नई दिल्ली–110022

अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध संस्कृति

—डॉ॰ बी के सिंह

अरुणाचल प्रदेश अपने नैसर्गिक सौंदर्य, सदाबहार घाटियों, वनाच्छादित पर्वतों, बहुरंगी संस्कृति, समृद्ध विरासत, बहुजातीय समाज, भाषायी वैविध्य एवं नयनाभिराम वन्य-प्राणियों के कारण देश में विशिष्ट स्थान रखता है। अनेक नदियों एवं झरनों से अभिसिंचित अरुणाचल की सुरम्य भूमि में भगवान भाष्कर सर्वप्रथम अपनी रश्मि विकीर्ण करते हैं, इसलिए इसे उगते हुए सूर्य की भूमि का अभिधान दिया गया है।

अरुणाचल जनजातियों का एक बड़ा वर्ग बौद्ध धर्म में आस्था रखता है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 61,400 लोग बौद्ध मतावलंबी हैं। यह वहां की कुल जनसंख्या का 13.13 प्रतिशत है। प्रदेश की मोंपा जनजाति सबसे अधिक जनसंख्यावाली बौद्ध जनजाति है। यहां महायान और हीनयान दोनों शाखाओं के मतावलंबी लोग निवास करते हैं। अरुणाचल की निम्नलिखित जनजातियां बौद्ध धर्म में विश्वास करती हैं–

मोंपा, खाम्ती, खंबा, मेंबा, सिंहफो, शेरदुक्पेन और जखरिड़

इनमें से मोंपा, शेरदुक्पेन और मेंबा जनजातियां बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विश्वास करती हैं जबकि खाम्ती और सिंहफो हीनयान शाखा में आस्था रखती हैं। बौद्ध मत की महायान शाखा को उत्तरी बौद्ध मत कहा जाता है। यह मत संभवत: सातवीं शताब्दी में कश्मीर से तिब्बत में प्रविष्ट हुआ, पुन: वह भूटान होते हुए अरुणाचल में वापस आया और वहां की मोंपा, शेरदुक्पेन और मेंबा जनजातियों में लोकप्रिय हुआ। हीनयान शाखा को दक्षिणी बौद्ध मत कहा जाता है। यह बर्मा से भारत में वापस आया और खाम्ती, सिंहफो इत्यादि जनजातियों में प्रचलित हुआ।

इन बौद्ध मतावलंबी जातियों की धार्मिक आस्था के साथ स्थानीय धर्म, देवी -देवताओं और विश्वासों का भी समावेश हो गया है। इन देवी-देवताओं को ये जनजातियों भिन्न-भिन्न नामों से संबोधित करती हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों के प्रति वे लोग गहरी श्रद्धा रखते हैं लेकिन बौद्ध मत के विरुद्ध ये लोग मांसाहारी हैं। केवल लामा (पुजारी) लोग शाकाहारी होते हैं। ये लोग भगवान बुद्ध को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। ये उन्हें दयालु, चमत्कारी, सर्वहितकारी और पथप्रदर्शक मानते हैं। इनके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लामा इस समाज के पथप्रदर्शक, आध्यात्मिक गुरु, अभिभावक और दिशानिर्देशक होते हैं। ये बच्चों का नामकरण संस्कार कराते हैं, विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं, रोगियों को नीरोग करते हैं तथा लोगों को सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं।

'गोंपा' ग्रामवासियों की आध्यात्मिक आस्था सबसे प्रमुख स्थल है। प्रत्येक गांव में गोंपा की स्थापना होती है। गोंपा बस्ती से थोड़ी दूर पर ऊँचे स्थान पर स्थापित करने की परंपरा है। गोंपा में जाने के लिए मुख्यद्वार होता है जिसके निकट ही काकालिंग बना होता है। सभी ग्रामवासी सम्मिलित रूप से गोम्पा की देखभाल और मरम्मत कराते हैं तथा पुजारी का खर्च वहन करते हैं। तवांग जिले का गोम्पा बौद्ध मतावलंबियों (महायान शाखा) की आध्यात्मिक आस्था का

सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्र है। इसे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध गोम्पा माना जाता है। यह लगभग 350 वर्ष पुराना है। समुद्र तल से इस गोम्पा की ऊंचाई दस हजार फीट है। यहां पर 500 लामाओं के ठहरने की व्यवस्था है। यह भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा बौद्ध गोम्पा है। इसके आस-पास मोंपा और शेरदुक्पेन जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह गोम्पा इन बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है। यह तवांग घाटी में बर्फीली पर्वत चोटियों से घिरा हुआ और हरित वनों के मध्य में स्थित है। इसकी स्थापना मेरा लामा ने सत्रहवीं शताब्दी में कराई थी। इस किलेनुमा गोम्पा में पुस्तकालय भी है जिसमें दुर्लभ पुस्तकें और प्राचीन अभिलेख सुरक्षित हैं। तिब्बती के पांचवें दलाई लामा के काल में मेरा लामा रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस गोम्पा के शिलान्यास के समय मेरा लामा ने तामदिंग (घोड़ों के भगवान) के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। उस समय से यह क्षेत्र तवांग (ता-घोड़ा) के नाम से विख्यात हुआ। तवांग नाम की उत्पत्ति के संबंध में अन्य कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार मेरा लामा अपने घोड़े पर सवार होकर आए और इस जग पर आकर उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़ा रोककर लोगों को आशीर्वाद दिया। (ता-घोड़ा, बोंग-आशीर्वाद)। एक दूसरे आख्यान के अनुसार बौद्ध मठ के लिए मेरा लामा जगह का चुनाव नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उनका घोड़ा इस स्थान पर आकर रुक गया और इस प्रकार बौद्ध गोम्पा के लिए स्थान के चयन की अनिश्चितता दूर हो गई। (ता-घोड़ा, वांग-चुनना)। अरूणाचल की बौद्ध मतावलंबी जनजातियों के लिए तवांग गोम्पा धार्मिक-सांकृतिक गतिविधियों का केन्द्र है।

मोंपा अरुणाचल की प्रमुख बौद्ध धर्मावलंबी जनजाति है। तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों में इनकी अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ये लोग बौद्ध धर्म की महायान शाखा में आस्था रखते हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 38,862 है। तवांग का एशिया प्रसिद्ध गोंपा इनकी आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्रीय स्थल है। मोंपा भूमि घने वनों और गहरी घाटियों से श्रीसंपन्न है। कामेंग नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। मोंपा लोग तिब्बती-मंगोलियन मूल के हैं। ये लोग शांत, व्यवहारकुशल, दयालु, आतिथ्यकारी और उद्यमशील होते हैं।

कुछ विद्वानों का अभिमत है कि 'मोंपा' नाम तिब्बतवासियों का दिया हुआ है। उन्होंने तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मोंपा नाम से संबोधित किया। तिब्बत भाषा में 'मोंपा' का अर्थ हैं निम्न भूमि का निवास। मोन-निम्न देश अथवा नीचे की भूमि, पा-संबंधित। पूर्वी भूटान के लोगों को तिब्बतवासियों द्वारा 'द्रुक्पा' कहा गया। इसलिए भूटानी अप्रवासियों का 'द्रुक्पा' कहा गया। इसलिए भूटानी अप्रवासियों का 'द्रुक्पा' अथवा 'दक्ता' की संज्ञा दी गई। मोंपा संज्ञा उस स्थान की ओर इंगित करता है जहां ये लोग बसे थे। कुछ लोगों की मान्यता है कि तवांग के मोंपा सिक्किम से देशांतरित होकर आए थे। अपने देशांतरगमन के संबंध में इनका लोकसाहित्य मौन है, इसलिए इनके देशांतरगमन के संबंध में स्पष्टत: कुछ भी कहना कठिन है। ऐसा विश्वास है कि वे लोग तिब्बत से भूटान होकर आए थे।

मोंपा समाज में बच्चों के जन्म से जुड़े अनेक रीति-रिवाज प्रचलित हैं। एक रिवाज के अनुसार किसी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चा और उसकी मां को गर्म जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है ताकि वह आकाश और पृथ्वी को देख ले और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। उसके बाद बच्चे को एक नाम भी दिया जाता है। दूसरा रिवाज है कि जन्म के तीन रातों के उपरांत बच्चे को बाहर निकाला जाता है। बच्चे का शुद्धिकरण

संस्कार संपन्न कराने के लिए एक लामा को आमंत्रित किया जाता है। लामा बच्चे का नामकरण संस्कार करता है और उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। मोंपा समाज बौद्ध धर्म की महायान शाखा में आस्था रखता है। यह मठ इनकी आध्यात्मिक चेतना का विराम है। भारत में यह अपने प्रकार का सबसे बड़ा बौद्ध गोंपा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग दस हजार फीट है। इसमें पांच सौ लामाओं के रहने की व्यवस्था है। यह गोंपा तवांग की हरित घाटी में स्थित है जो तीन ओर से (पूरव को छोड़कर) पहाड़ियों और बर्फ आच्छादित पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। घने जंगल के मध्य में स्थित यह बौद्ध मठ अपने प्राकृति सौंदर्य और वास्तुकाल की उत्तमता के कारण भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी प्रसिद्ध है।

बौद्ध धर्म के विचार और दर्शन के अतिरिक्त मोंपा लोगों के धर्म के साथ कुछ स्थानीय देवी-देवता और रीति-रिवाज भी जुड़ गए हैं सर्वप्रथम जब इनका बौद्ध धर्म से परिचय हुआ तब लामा लोगों ने प्राचीन धर्मिक देवी-देवताओं की पूजा की विधि भी निर्धारित कर दी लेकिन जनसामान्य लोगों के मन में अभी भी भय बना हुआ था और फसलों के नष्ट होने, बीमार होने अथवा मृत्यु होने पर संकट की घड़ी में वे सोचने लगते थे कि यह सब प्राचीन देवी-देवताओं की पूजा नहीं करने के कारण उनके कोप का परिणाम तो नहीं है। लामा लोगों ने इस स्थिति के निराकरण के लिए इन देवताओं को स्थानीय रक्षक देवता के रूप में स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार इनकी पूजा करने की अनुमति प्रदान कर दी।

अरुणाचल का लोहित जिला खाम्ती जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है। 1991 की जनगणना के अनुसार खाम्ती जनजाति की कुल जनसंख्या 8,339 है। विद्वानों की मान्यता है कि इनका मूल निवास बर्मा की इरावदी नदी घाटी में बोर-खाम्ती क्षेत्र था। वे भारत में 18वीं सदी के मध्यकाल से लेकर 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध के बीच में देशांतरित होकर आए। ई॰टी॰ डालटन और मेकैन्जी ने अनुमान लगाया है कि खाम्ती लोगों के प्रथम दल ने सदिया के दक्षिण में टंगापानी में सर्वप्रथम अपना आवास स्थापित किया। कुछ अन्य विद्धानों की अवधारणा है कि अरुणाचल के चांगलांग जिले में स्थिति विजयनगर में खाम्पी लोगों का प्रथम दल आया था। खुदाई के उपरांत विजयनगर में बौद्ध स्तूप का पता चला है। यह स्तूप खाम्ती लोगों से संबंधित है, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं की मान्यता है। ये लोग अपने को ताई खाम्ती कहते हैं क्योंकि उनका संबंध ताई प्रजाति से है। इन लोगों के जीवन और संस्कृति पर चीन की ताई संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ये लोग ताई वर्ग की भाषा भी बोलते हैं। इनकी संस्कृति और परंपरा पर बर्मा का प्रभाव भी है। कुछ विद्धानों का कहना है कि खाम्ती लोग बर्मा के शान प्रदेश से देशांतरित होकर आए थे। जब वे प्रथम बार असम में प्रविष्ट हुए तो असम राजा की अनुमति से टेंगापानी नामक नदी के किनारे बस गए। लेकिन 1794 के दौरान राजा गौड़ी नाथ सिह के शासनकाल में अनिश्चितकालीन गृह-युद्ध आरंभ हो गया। उसी दौरान वे संभवत: टंगापानी से सिंहफो लोगों द्वारा निष्कासित कर दिए गए। इसके बाद वे लोग लोहित जिले में बस गए। लोहित नदी के बाएं किनारे पर इस जनजाति की अधिकांश आबादी बसी है।

खाम्ती शब्दी का अर्थ है स्वर्ण से भरपूर भूमि। खाम का अर्थ होता हे सोना और ति का अर्थ होता है स्थान। जो लोग ऐसे स्थान पर रहते थे उन्हें खाम्ती के नाम से जाना जाता था। इस शब्द का दूसरा अर्थ है किसी स्थान से चिपक कर रहने वाला। (खाम-चिपकना, ति-एक स्थान) इस प्रकार खाम्ती लोगों का जो मूल निवास स्थान था वह सोने से भरपूर था अथवा धन-वैभव से संपन्न था।

इस समुदाय के लोग बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विपरीत ये लोग मांस-मछली खाते हैं। ये एक सर्वव्यापी, सार्वकालिक और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं जिन्हें खाम्ती भाषा में यान-खुन-सांग कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म से परिचित होने के पूर्व ये लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी आस्था के कुछ अवशेष अभी भी उनके धार्मिक क्रिया-कलाप में विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के उपरांत खाम्ती समाज धीरे-धीरे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ओर सूक्ष्मताओं को अपने भीतर गहराई से उतारता गया। अब इस समुदाय के लोग गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार अपना आचरण करते हैं। इन लोगों का विश्वास है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और मानव को दुख देना ईश्वर को दुखी करना है। ये लोग अब ऊंच-नीच और अमीर-गरीब के भेदभाव को नहीं मानते हैं और न ही किसी विशिष्ट कुलोत्पन्न व्यक्ति को विशिष्ट सम्मान देते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य की स्थिति का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक क्रिया-कलापों से होता है। निर्वाण की प्राप्ति ही मानव का चरम लक्ष्य है।

एक धार्मिक खाम्ती अपना दैनिक जीवन प्रार्थना से आरंभ करता है जिसे *स्वी-खु* कहा जाता है। प्रार्थना गांव के मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने की जाती है। खाम्ती समाज भगवान बुद्ध की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के पथप्रदर्शक तथा सत्य और ईमान का मार्ग दिखाने वाले एक नैतिक उपदेशक के रूप में करता है। इन लोगों की धारणा है कि गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म की परंपरा में चौथा स्थान है। वे विश्व के एक महान धार्मिक उपदेशक थे और अपनी मृत्यु के पांच हजार वर्षों के बाद पंचम बौद्ध उपदेशक अरी मितिया के रूप में प्रकट हुए।

बौद्ध विहार को *चांग* अथवा *बापू चांग* कहा जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां स्थापित रहती है। प्रत्येक गांव में *चांग* का निर्माण किया जाता है। चांग में पूजा के लिए पुजारी होते हैं जिन्हें *भिक्खु* अथवा *बापू* कहा जाता है। पुजारियों को खाम्ती समाज में चीफ से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। उसे अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांव का कोई कार्य पुजारी की सलाह के बिना संपन्न नहीं होता है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति गांववासी करते हैं। पुजारी प्रत्येक घर से सुबह चढ़ाए गए चढ़ावे को एकत्रित करता है। घर की महिलाएं चढ़ावा और तैयार भोजन देने के लिए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर पुजारी का इंतजार करती रहती है। वह गांववासियों को त्योहारों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में दिशा निर्देशन करने के अतिरिक्त बच्चों को शिक्षा भी देता है।

भगवान बुद्ध का जन्म दिन और पुण्य तिथि खाम्ती लोग उल्लासपूर्वक मनाते है। इन अवसरों पर बुद्ध के विचारों और उपदेशों की चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त *संकेन* पर्व भी खाम्ती लोग परंपरागत उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह नए वर्ष का पर्व है। खाम्ती वर्ष के प्रथम दिन इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। *संकेन* का अर्थ है *जल क्रीड़ा।* इस दिन स्त्री-पुरुष और बच्चे एक दूसरे पर जल छींटते है और नव वर्ष की बधाई देते है। त्योहार के कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। गांव के नवयुवक एक अस्थाई चांग का निर्माण करते हैं तथा उसे फूल-पत्तियों से सजाते है। गोंपा से भगवान बुद्ध की मूर्ति को निकालकर अस्थाई चांग में स्थापित किया जाता है। समारोहपूर्वक प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। इस स्थल को स्थानीय भाषा में *क्यांग-फ्रा* कहते हैं। मूर्ति पर जल का छिड़काव त्योहार का प्रमुख आकर्षण होता है। पुजारीगण कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं तथा नवयुवक, पुरुष और महिलाएं नाचते-गाते मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं। लड़के-लड़कियां एक-दूसरे

पर जल और कीचड़ डालते हैं। सायंकाल में संपूर्ण ग्राम के निवासी उस स्थान पर एकत्रित होते हैं और चांग में मोमबत्ती जलाते हैं तथा सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन प्रतिमा को स्नान कराकर पुन: उसे गोंपा में स्थापित कर दिया जाता है। उस समय भी पुजारीगण कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं।

तिब्बती-मंगोलियन मूल के सुंदर रंगरूप एवं चिताकर्षक शारीरिक गठनवाली शेरदुक्पेन जनजाति अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इनका कद मध्यम होता है। अरुणाचल का पश्चिमी कामेंग जिला इनका निवास स्थान है। प° कामेंग जिले का रूपा, जिगांव और शेरगांव नामक तीन गांवों में ही मुख्य रूप से इनकी अधिकांश आबादी निवास करती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कामेंग है जिसके नाम के आधार पर जिले का नामकरण किया गया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में निष्ठा रखने वाली यह जनजाति शांतिप्रिय, शिष्ट, भद्र एवं दूसरों का आदर करने वाली है। इस समुदाय के लोग विश्वासी और ईमानदार होते हैं। इसकी जनसंख्या लगभग तीन हजार है। ऐसी मान्यता है कि इनके पूर्वज तिब्बत से आए थे। कहा जाता है तिब्बती राजा के तृतीय पुत्र इनके शासक थे। राजा की पत्नी असम की एक राजकुमारी थी। तिब्बती सम्राट के प्रथम और द्वितीय पुत्र क्रमश: ल्हासा और भूटान के शासक थे। इनका भूटान के साथ घनिष्ठ संबंध था।

शेरदुक्पेन समाज बौद्ध मतावलंबी है। ये लोग बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के साथ इसमें स्थानीय लोक विश्वास एवं परंपरा भी जुड़ गई है। भगवान बुद्ध को स्थानीय भाषा में कोंचोजम कहा जाता है। भगवान बुद्ध अत्यंत दयालु, चमत्कारी और तेजस्वी ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन लोगों की मान्यता है कि देवी-देवताओं की निष्ठापूर्वक अराधना करने से वे हम पर प्रसन्न रहते हैं तथा धन-धान्य से परिपूर्ण करते हैं। *गोम्बु छा दकपा* ऐसे देवता हैं जो दुष्टात्माओं से मानव की रक्षा करते हैं। *गेपु नाम्से* मनुष्य की कामना पूर्ण करने वाले देवता हैं। इसी प्रकार ग्रामदेवता, वनदेवता और स्वर्गदेव की भी पूजा-अर्चना की जाती है। इनका विश्वास है कि सूर्य की संख्या सात है और ये सभी एक साथ रहते हैं।

इस समुदाय में पुजारियों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। पुजारी वर्ग के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये लोगों का दिशा-निर्देशन करते हैं, बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा करते हैं, रोगी लोगों को आरोग्य करने के लिए ईश्वर एवं देवी-देवताओं से प्रार्थना करते हैं। बिना पुजारी के शेरदुक्पेन लोगों का कोई संस्कार संपन्न नहीं हो सकता है। उन्हें लामा कहा जाता है। बौद्ध मठ को *गोंम्पा* कहा जाता है जो शेरदुक्पेन लोगों की धार्मिक आस्था का केन्द्र बिन्दु होता है। रूपा और शेरगांव दोनों गांवों में गोंपा है जिसमें तिब्बती शैली में भगवान की अनेक मूर्तियां स्थापित हैं रूपा ग्राम का गोम्पा शेरदुक्पेन क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गोंपा है। प्रत्येक गोंपा में लामा होते है जो गोंपा की देखरेख और भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। गोंपा में जाने के लिए एक मुख्यद्वार होता है जिसे *काकालिंग* कहते हैं। वह वर्गाकार होता है जिसमें पत्थर से बनी दो समानांतर दीवार होती हैं और छत लकड़ी अथवा बांस की बनी होती है। इसमें भगवान बुद्ध और अन्य बौद्ध आत्माओं के चित्र होते हैं। रूपा और शेरगांव के मठों में भी काकालिंग बना हुआ है।

शेरदुक्पेन समुदाय के पर्व-त्योहार कृषि पर आधाति हैं। ये लोग कई त्योहार मनाते हैं जिनमें *लोसर और छेकर* सबसे महत्वपूर्ण है। इन त्योहारों में ये धन्य-धान्य और आरोग्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। *लोसर* नववर्ष का त्योहार है। यह जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक मनाया जाता है। त्योहार के प्रथम दिन सभी ग्रामवासी

ब्रहममुर्हत में ही जग जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो देर तक सोया रहेगा उसका आने वाला वर्ष सुखमय व्यतीत नहीं होगा। स्नानादि के उपरांत लोग नए कपड़े धारण करते हैं और महिलाओं द्वारा बनाया गया बिस्कुट खाते हैं। बिस्कुट *खासपेर* कहा जाता है। नास्ते के बाद ये लोग मदिरा पान करते हैं। इसके बाद लामा प्रत्येक घर में जाकर पारंपरिक विधि से त्योहार का संस्कार संपन्न कराता है। पर्व के अंतिम दिन सभी ग्रामवासी गोंपा में जाकर ईश्वर से अपनी सुख-समृद्धि और धन-वैभव की कामना करते हैं। त्योहार के अंतिम चरण में सभी गांववासी किसी नदी या झरने के तट पर जाकर नाचते गाते और खुशी मनाते हैं तथा एक-दूसरे पर जल का छिड़काव करते हैं। छोटा व्यक्ति बड़े-बूढ़ों से आर्शीर्वचन लेता है और उनसे इनाम भी प्राप्त करता है।

छेकर भी इस समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह मई माह में एक सप्ताह तक मनाया जाता हैं। यह धन-धान्य और सुखाकांक्षा से मनाया जाने वाला रंगारंग त्योहार है। इसमें भी भगवान बुद्ध एवं अन्य बौद्ध महापुरुषों की पूजा की जाती है। पर्व से संबंधित विधि-संस्कार बौद्ध लामाओं के हाथों संपन्न होता है। त्योहार के प्रथम और दूसरे दिन संपूर्ण गांववासियों के कल्याण और सुख के लिए लामा बौद्ध मठों में प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्माओं को भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि दुष्ट आत्माएं अप्रसन्न होने पर रोग का कारण बनती है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है।

अरूणाचल के लोहित, चांगलांग और तिरप जिलों में सिंहफो जनजाति का निवास है। सिंहुफो लोग मंगोलियन मूल के हैं और इनकी औसत ऊचांई पांच फीट छः इंच होती है। इनकी नाक चपटी होती है और चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ का अभाव होता है। ये लोग बहुत परिश्रमी और उद्यमशील होते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 2,798 है। इन लोगों के मूल निवास के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है लेकिन सामान्य धारणा है कि ऊपरी बर्मा इनका मूल निवास स्थान था। ऐसा विश्वास है कि सिंहफो लोगों का संबंध ऊपरी बर्मा (अब म्यांमार) के कचिन से है। म्यांमार से देशांतरित होकर जब ये लोग ब्रहमपुत्र घाटी में बस गए, उसके बाद से उन्हें *सिंहफो* कहा जाने लगा। इनकी भाषा में *सिंहफो* का अर्थ *मनुष्य* है। *सिंहफो* परंपरा के अनुसार इनका मूल निवास स्थान *हुमांग* घाटी था जो पतकई क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में एक विस्तृत भूभाग था।

हुमांग स्वयं एक सिंहफो शब्द है जिसका अर्थ होता है- मानव सिर का अवरोधक अथवा बाड़ (ह = मानव का सिर, कांग-आड या अवरोधक) यह नाम बर्मावासियों द्वारा सिंहफो लोगों के भीषण नरसंहार का संकेत करता है। कहा जाता है कि वह नरसंहार इतना भीषण था कि मानव के कटे सिर से ऐसा ऊंचा अवरोधक या आड़ बन गया जिसने बर्मावासियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।

सिंहफो समाज बौद्ध धर्मावलबीं है। इनकी धार्मिक आस्था के अंतर्गत अनेक *नत* होते हैं जो मानव का कल्याण करते हैं। सिंहफो लोग नत के अंतर्गत सभी दैवी शक्तियों की गणना करते हैं। कुछ नत अधिक शक्तिशाली होते हैं तो कुछ कम शक्तिशाली समझे जाते हैं। विभिन्न अवसरों पर इन नतों की पूजा की जाती है और गाय, सुअर, मुर्गी, बकरा आदि की बलि दी जाती है। सिंफा नत, फन नत, सुसुम नत, बोम नत, इन्ला नत, कुनत, इंकानत इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण नत हैं जिनके सम्मुख सिंहफो समाज श्रृद्धापूर्वक अपना सिर झुकाता है। इनमें से कुछ नतों को पशुबलि द्वारा प्रसन्न किया जाता है और कुछ नत ऐसे भी हैं जो

शाकाहारी व्यंजनों द्वारा खुश होते हैं। लड़ाई में व्यक्ति जब घायल होता है तो *पालन नत* की पूजा की जाती है और यदि घायल व्यक्ति के शरीर से रक्तप्रवाह हो रहा हो तो श्मा नत की पूजा की जाती है। *नलाशी नत* आकाश का देवता है जो वर्षा और धूप देता है। जब सिंहफो समाज किसी विशेष अभियान पर जाता है तो जाने के पूर्व वह भैसों की बलि देकर अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। यह समुदाय अनेक प्राकर के धार्मिक त्योहार मनाता है जिनमें *संकेन* त्योहार सबसे प्रमुख है। यह एक बौद्ध त्योहार है जो चैत्र-बैशाख (मार्च-अप्रैल) महीने में बनाया जाता है। यह बौद्ध कैलेंडर के अनुसार नववर्ष का पर्व है। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को समारोहपूर्वक स्नान कराया जाता है। यह तीन दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। पर्व के प्रथम दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति को गोंपा से बाहर लाकर सुसज्जित पंडाल में स्थापित किया जाता है और पारंपरिक रीति से लामाओं द्वारा मूर्ति को स्नान कराया जाता है। लोग नाच-गाकर खुशियां मनाते है तथा एक-दूसरे पर जल छीटकर नववर्ष की शुभकामनाएं देते है।

अरूणाचल की मेंबा और खंबा दोनों जनजातियों की आबादी बहुत कम है। 1991 की जनगणना के अनुसार मेंबा की जनसंख्या 1,169 तथा खंबा की जनसंख्या 1,333 है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से यह जनजातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं। भौगोलिक कारणों से ये लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। आवागमन के साधनों का अभाव इनके विकास में बहुत बड़ी बाधा है। खंबा लोग यंग-संग-चु घाटी में और मेंबा लोग जेलिंग के निकट बसे हुए हैं। अरुणाचल के वेस्ट सियांग और अपर सियांग जिले इनके निवास क्षेत्र हैं। दोनों जनजातियां बौद्ध धर्म में विश्वास रखती हैं। *दुबा* मेंबा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। टुटिंग का गोंपा इनके धार्मिक क्रियाकलाप का सबसे प्रमुख केंद्र है। पर्व के दिन रंग-बिरंगे कपड़ों में सुसज्जित होकर सभी लोग गोंपा में एकत्रित होते हैं। *दुबा* का शाब्दिक अर्थ होता है बुरी शक्तियों का विनाश। मेंबा परंपरा के अनुसार यह त्योहार लोगों की भलाई और समाज में सुख-शांति की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और अच्छी शक्तियों की प्रबलता के कारण समुदाय के लोग सुखी और स्वस्थ रहते हैं। सभी लोग दुर्भाग्य, रोग और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए इष्ट देवता की प्रार्थना करते हैं। लोगों का विश्वास है कि दुबा त्योहार नहीं मनाने से वे सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते है। इस पर्व के अवसर पर अजगर, घोड़े, सिंह, बंदर इत्यादि जानवरों के मुखौटे पहनकर लोग नृत्य करते हैं।

संदर्भ:-

1. डॉ॰ वीरेन्द्र परमार - अरुणाचल के आदिवासी और उनका लोकसाहित्य (2009) - राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. डॉ॰ जे॰ एन॰ चौधरी - अरुणाचल पेनोरेमा
3. श्री निरंजन सरकार - बुद्धिज्म एमौंग मोंपाज एंड शेरदुक्पेन्स (1990)
4. श्री टी॰के॰एम॰ बरुआ - द सिंहफोज एंड देयर रिलीजन (1977)

—उपनिदेशक (राजभाषा)
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड
भूजल भवन, एन एच-4,
फरीदाबाद-121001
ईमेल:bkscgwb@gmail.com

अण्डमान का हिंदी बाल साहित्य

— डॉ व्यास मणि त्रिपाठी

मनोरंजन के साथ बालकों का व्यक्तित्व विकास बाल साहित्य का उद्देश्य है। हिंदी में बाल साहित्य-सृजन का प्रस्थान बिन्दु बीसवीं शताब्दी से ही माना जाता है लेकिन इसके पहले दादी-नानी की कहानियों, लोरियों एवं खेलगीतों में बच्चों के व्यक्तित्व-निर्माण की प्रचुर सामग्री होती थी। आज न तो उस जमाने की दादियां और नानियां रही और न ही बीते जमाने की अल्हड़ और मस्ती भरा बचपन। भागमभाग और आपाधापी के युग में सब कुछ जल्दी पा जाने की होड़ में जहां बचपन दाइयों, नर्सों एवं शिशु-गृहों में व्यतीत होने के लिए अभिशप्त हुआ है वहीं दूसरी ओर बाल साहित्य-सृजन की ओर रचनाकारों का काफी ध्यान गया है विभिन्न बाल पत्रिकाओं, साप्ताहिकों एवं दैनिक समाचार पत्रों के अलावा बाल-कविता, कहानी, नाटक आदि के एकल संग्रहों अथवा संचयनों के माध्यम से परोसी गई रचनायें इसका प्रमाण हैं। जहां तक अण्डमान-निकोबार में सृजित हिंदी बाल साहित्य की बात है तो उसमें भी अब प्रौढ़ता आ रही है।

अण्डमान तथा निकोबार में ही नहीं बल्कि किसी भी प्रदेश, देश अथवा संसार के किसी कोने में सृजित बाल साहित्य दो रूपों में बच्चे को प्राप्त होता है- वह जिसकी सृष्टि उसने स्वयं की और वह जो दूसरों द्वारा उसके लिए सृजित हुआ। द्वीपों में रचित हिंदी की बाल रचना कौन सी है? उसका रचनाकार कौन है? उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? आदि प्रश्न किसी भी साहित्यान्वेषी की जिज्ञासा के प्रश्न हो सकते हैं। मैंने जब यहां के बाल साहित्य को टटोलना शुरू किया तब मुझे भी इन प्रश्नों का साक्षात्कार करना पड़ा था। मेरी जिज्ञासा का शमन करने के लिए कोई इतिहास-ग्रन्थ तो नहीं उपलब्ध हुआ किन्तु सन् 1976-77 ई॰ में प्रकाशित 'देश गीतांजलि' मुझे मिली। इसमें अन्य गीतकारों के साथ-साथ द्वीपों के कुछ गीतकारों के गीत भी संकलित हैं। इस संकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश-भक्ति के साथ-साथ चरित्र निर्माण की शिक्षा देना रहा है। यहां के विद्यालयों में विभिन्न अवसरों पर ये गीत गाये जाते रहे हैं। इस संकलन के गीत जहां बालकों को राष्ट्र धर्म, नैतिकता, सदाचार, त्याग और बलिदान का पाठ पढाते हैं वहीं द्वीप समूह की सुन्दरता, सागर-पहाड़, वन-प्रान्तर की मनोरम झांकी के साथ-साथ 'कालापानी' की भयंकरता के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य उत्साह और स्वाभिमान से परिचित कराते हैं। विनोद तिवारी का प्रसिद्ध गीत 'ऐसा मुझे लगता है, तारे आसमान के/धरती पे आये बने द्वीप अण्डमान के। अण्डमान निकोबार की नैसर्गिक सुषमा की झांकी है। यह अपने सृजन काल से लेकर आज तक विद्यालयों में उमंग के साथ गाया जाता है। बच्चे सहज ढंग से इसे गाते और अपने परिवेश से परिचित होते हैं। राजनारायाण बिसारिया का गीत ''काले-काले बादल/नीला है जलधिजल/जादू वाले टापुओं की हवा बड़ी चंचल/धूप है सुनहली/चांदनी रूपहली/भोर है अंगूरी, शाम है सिन्दूरी/खड़े-खड़े नाचते हैं/नारियल के जंगल।'' अपनी गत्वरता में जो बिम्ब प्रस्तुत करता है वह बच्चों के लिए न केवल सहज ग्राह्य है बल्कि खेल-खेल में द्वीप समूह की विशेषताओं को जानने समझने में मददगार भी है।

बालक के चारों और फैला संसार ही बाल साहित्य का विषय है। इसकी परिधि में पेड़-पौधे, फूल, तितली, वर्षा, बादल, सूरज, चांद, तारे, आसमान, हाथी, शेर, चूहा, बिल्ली आदि के साथ सरदी गर्मी, पाला, पत्थर सब शामिल हैं यानी एक पक्षी से लेकर अनन्त आकाश घास-फूस से लेकर नारियल-सुपारी के वृक्ष तक का संसार बाल साहित्य का विषय है किन्तु उसकी एक बड़ी शर्त यह है कि वह बोधगम्य हो और वह बालक को प्रेरित-प्रोत्साहित करे। खेल-खेल में हंसते-गाते हुए बच्चों को शिक्षित करना आज की शिक्षा नीति की प्रधान विशेषता है। बाल साहित्य का कर्तव्य भी इसी प्रकार का होना चाहिए। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है वह अपने परिवेश को जानना समझना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है। उसमें आत्मीयता की गंध भरने की ललक जागती है, अपना-पराया का भाव जागता है। एक सच्चा इंसान बनने की भूमि तैयार होती है। इस भूमि में जैसा बीजारोपण होगा वैसी ही बालक का चरित्र निर्मित होगा। बालक को अपने परिवेश का बोध कराने वाली कविताएं यहां कुछ अधिक ही लिखी गई हैं। ओमप्रकाश वर्मा द्वारा रचित 'कितने प्यारे प्यारे द्वीप' अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की झांकी प्रस्तुत करने वाला गीत है-

'कितने प्यारे प्यारे द्वीप
सव द्वीपों से न्यारे द्वीप
आसमान के तारे द्वीप
सीमा के रखवाले द्वीप।'

बाल साहित्य में शिष्ट साहित्य की तरह देश-काल की गूंज भले न सुनायी दे लेकिन बच्चों के आस-पास का जीवन अवश्य झंकृत होता रहता है। अण्डमान के बच्चे नारियल, सुपारी, पडाक, गर्जन, सफेदा, चुगलुम आदि से परिचित हैं इसलिए कविताओं में इनका वर्णन मिलता है-''यहां नारियल और सुपारी/नैसर्गिक परिवेश में/ खड़े हुए हैं वीर सिपाही/मानो सैनिक वेश में/ केला, काजू और पपीता/ऑगन-ऑगन गाते गान। पवन पालना झूल रहे हैं/खेतों में हरियाले धान। ''(कृति, पृष्ठ सं॰ 74)

तीन से अठारह वर्ष तक की अवस्था के लिए लिखी गई कविताएँ बाल कविता का बोध कराती हैं। जाहिर है इस अवस्था में शिशु, बालक और किशोर आते हैं। इनसे संबंधित साहित्य अलग-अलग रूप, आकार उद्देश्य का होकर भी बाल साहित्य के अंतर्गत ही आयेगा। शिशु के लिए लिखी गई रचनाओं में प्रेरणा-प्रोत्साहन और संदेश के लिए उतनी गुंजाइश नहीं होगी जितनी किशोर अवस्था के लिए लिखी गई रचनाओं में होगी। बच्चों में साहस, संकल्प, निर्भयता, परिश्रम आदि का भाव जगाना बाल साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए। यदि किशोरों को उनकी भीतरी शक्ति से परिचित नहीं कराया जायेगा तो वे एक सक्षम मनुष्य कैसे बन पायेंगे? सहज, सरल शब्दों में बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यास मणि त्रिपाठी की 'नन्हें हाथ' शीर्षक कविता एक प्रेरक कविता है- ''नन्हें हाथों से डरकर, नभ खुद ही झुक जायेगा/जीवन के मरूस्थल में भी, फूल सदा मुस्कायेगा/ नन्हें हाथों के बल से शिला चूर हो जायेगी/धीर वीर पतवार देख सरिता राह बतायेगी/ हो उमंग कुछ करने की, उम्र न आड़े आयेगी/ संकल्प, शक्ति, निष्ठा ही, ध्रुव प्रहलाद बनायेगी।'' हमारे देश के बच्चे, ध्रुव, प्रहलाद और अभिमन्यु बनते हैं तो इसलिए कि वे सीधे सादे और सरल मन होते हुए भी साहसी कर्मठ और वीर होते हैं। जयबहादुर शर्मा भारत के बच्चों की पहचान कराते हुए लिखते हैं-''हम हैं भारत के बच्चे, सीधे सादे मन के सच्चे/ सही राह पर चलते हैं हम/नही विघ्न

से डरते हैं हम/दुश्मन ऑच उठाता हम पर उसको मार भगाते हैं हम। नहीं किसी का खौफ हमें है, मैत्री भाव का शौक हमें है/जो भी हमसे टकराता है, वही परास्त हो जाता है/बड़ों–बड़ों का मान है सीखा/गीता–कर्म का ज्ञान है सीखा/ हम है। भारत के बच्चे/ सीधे सादे मन के सच्चे।'' (द्वीप लहरी, अंक–34, पृष्ठ सं॰ 51)

अण्डमान के हिंदी कवियों ने देश भक्ति संबंधी बाल गीतों की रचना की है।'' देशगीतांजलि' में शारदाराम, ओम प्रकाश मल्होत्रा, सुरेशनन्दन प्रसाद सिंह की रचनायें संकलित हैं। आनन्द वल्लभ शर्मा 'सरोज' ने देशभक्ति संबंधी कई बालगीतों की रचना की है। देश की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए व्यास मणि त्रिपाठी ने जो गीत लिखा है उसकी कुछ पक्तियां यहां प्रस्तुत हैं–''सबसे प्यारा मेरा देश/सबसे न्यारा मेरा देश/मुकुट हिमालय पहन खड़ा है, सागर धोता पॉव/भोलापन बसता है हरदम, खेत–खेत हर गॉव। राम, कृष्ण, गौतम, गांधी की कर्मभूमि यह देश/शांति स्नेह सद्भाव, अहिंसा कण–कण का संदेश/सबसे प्यारा मेरा देश/सबसे न्यारा मेरा देश।

कभी 'कालापानी' के नाम से कुख्यात अण्डमान–निकोबार अब मुक्ति तीर्थ के रूप में समादृत है। स्वतंत्रता सेनानियों के चरण रज से पावन यह धरती 'पुण्य भूमि' है। यह शहीदों के त्याग और बलिदानों की महागाथा की भूमि है। अंग्रेजों की दुर्दमनीयता के विरुद्ध 'वंदेमातरम' का जयघोष करने वाले स्वाधीनता संग्राम के महानायकों के अदभ्य साहस और निर्भयता की भूमि है। मानव के कोल्हू में जोते जाने की नृशंसता तथा करूणागाथा की भूमि है। अमानवीयता, क्रूरता और प्राणलेवा प्रहारों के बावजूद न झुकने और न टूटने की प्राणवता और संकल्पों की भूमि है। यही कारण है कि यहां की रचनाधर्मिता में ये सभी पक्ष प्रबलता के साथ उभरते रहे हैं। बाल कविताओं में भी इन पक्षों की मौजूदगी देखी जा सकती है। 'आओं बच्चों! तुम्हें दिखाये झॉकी हिन्दुस्तान की' गीत जिस प्रकार त्याग और बलिदान की गाथा से सबको रोमांचित और करूणार्द्र कर देता है। उसी प्रकार यहाँ रचित गीत/कविताओं में भी श्रद्धा सम्मान और रोमांच उत्पन्न करने की क्षमता है। 'पावन माटी' के प्रति सर झुकाने का अनुरोध करती दीपिका की ये पंक्तियाँ किसी ने किसी रूप में 'इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की' का स्मरण करा जाती है।

''ये माटी है पावन मेरा अण्डमान, चलो सर
झुकायें करें इसका मान
जरा याद कर लें वो गुजरा जमाना
शहीदों के खूँ से लिखा था फसाना।
गुलामी में जकड़ी थी मॉ भारती
सभी ओर आंतक, न थी शांति।''

प्रथम स्वतंत्रता–संग्राम के वीरों को 'कालपानी' की सजा देकर अंडमान भेजा गया था। उन्हें किस तरह की यातनायें दी गईं, उनके मान मर्दन के लिए कितनी प्रताड़नायें दी गई। उनका स्वामिमान रौंदा लेकिन वे न झुके, न टूटे बल्कि 'वंदेमातरम' का नारा बुलंद करते रहे–फांसी पर भी चढ़े तो 'वंदेमातरम' गाते हुए–उन शहीदों के त्याग और बलिदान का रशीदा इकबाल 'सना' ने इस प्रकार याद किया है–जो कथा काव्य के रूप में स्वतंत्रता के द्वीपों में आगमन का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है–

''सत्तावन की जंग में फिरंगी खिलाफ
बुलंद जब किया था सभी ने आवाज
आजादी गुनाह है बताया गया था
हजारों को फाँसी चढ़ाया गया था
सजा कुछ ने पाई समन्दर के पार

सेमिरामीज में फिर होके सवार
वतन के लिए चल पड़ा था दीवाना
कहां से शुरू हम करें ये फसाना
शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना।´

अण्डमान-निकोबार सागर की गोद में स्थित है। यहां के लोगों का सागर से गहरा नाता है। सागर-तट पर विचरण करते, मौज मस्ती करते बच्चों को सागर दुलारता है तो डराता भी है। वह मुक्ता माणिक्य लुटाता है तो लूटता भी है। उसके कई रूप हैं। कभी वह सुरमई नजर आता है तो कभी सिंदूरी। कभी रूपहला और नीला तो है ही। वह वर्षा का कारण भी है। विजय कुमार शर्मा की इस भूमिका का स्मरण करते हैं-''सागर से गागर भर अपनी श्यामल मेघ चले/गगन डगर पर इठलाते-बलखाते मेघ चले। हंसी ठिठोली करते मेघा जब तक जल छलकायें/जल की बूंदे धरती पर गिर सोंधी महक जगायें/जीवन-रस बरसाते आस जगाते मेघ चले/सागर से गागर भर अपनी श्यामल मेघ चल।'' (द्वीप लहरी, अंक-29, पृष्ठ सं॰ 39) व्यास मणि त्रिपाठी ने 'सुना आपने' शीर्षक कविता में बच्चों की एकता का संदेश देने के लिए लहरों को ही आधार बनाया है-''उछल कूदती, नर्तन करती/हिल-हिल संगीत सुनाती/किन्तु कभी क्या सुना आपने? दुबली, पतली, मोटी, तगड़ी/आपस में बॅटती हैं लहरें/ईर्ष्या से जलती हैं लहरें।'' (कालापानी संज्ञा मुझको खलती है, काव्य संग्रह पृष्ठ सं॰ 89)

बाल साहित्यकार प्रकृति की विभिन्न मुद्राओं की सर्वाधिक वर्णन करते हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे प्रकृति और उसके क्रिया कलापों से परिचित हों। अधिकांश कवियों ने बादल पर कवितायें लिखी हैं। जयबहादुर शर्मा लिखते हैं-''मैं हूं एक आवारा बादल/गर्जन-तर्जन करता रमता/उड़ता बनता नर्तन करता/चलता-फिरता निशिदिन क्रमशः उमड़-घुमड़ हर लेता जनमन/मैं हूँ एक आवारा बादल''। (द्वीप लहरी, अंक-44, पृष्ठ सं॰ 31)

जीव-जन्तु, पशु-पक्षियों के प्रति बच्चों के मन में कौतूहल, जिज्ञासा और आकर्षण का भाव रहता है। शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश आदि से संबंधित कहानियां और कविताएँ बच्चों को अधिक आनंदित करती हैं इसलिए इन पर काफी साहित्य मिलता है। जगदीश नारायण राय 'चूहे' शीर्षक कविता में चूहों के रंग, रूप आकार से लेकर क्रिया कलापों का मनोहारी वर्णन करते हैं-''सागर तट चूहें बहुत अलग-अलग है रंग/कोई लाल सफेद तो कोई श्यामल रंग/कोई श्यामल रंग काम बस गड़बड़ झाला/हाथ साफ कर रहे बना मकड़ी का जाला/कहते कवि जगदीश न होता रूप उजागर/देख रहा दिन रात काम इनका यह सागर।'' (द्वीपायन, पृष्ठ सं॰ 28)।

ग्रामीण बच्चों के लिए हाट, बाजार और मेला विशेष आनंद देने वाले होते हैं। किंतु शहरी बच्चों के लिए भी वे आकर्षण का केन्द्र होते हैं। जयबहादुर शर्मा अपनी 'मेला' शीर्षक बाल कविता में बच्चों के कौतूहल और उल्लास का बड़ा ही सजीव वर्णन करते हैं-''आया मौसम मेलों का/बढ़कर एक से खेलों का/कहीं पे झूला, कहीं पे चरखी/इधर उधर मदारी/कूप मौत के खेलों का/आया मौसम मेलों का/.....जादूगर है खेल दिखाता/बच्चों को है खूब भाता/कागज से ये नोट बनाता/माटी को बूँदी कर देता/देख तमाशा दौडे आते/भीड़बनी रेलम पेलों का/आया मौसम मेलों का।'' (द्वीप लहरी, अंक-34, पृष्ठ सं॰ 52-53)। खेल खिलौनों में गुब्बारों का अपना महब्व है। बच्चे गुब्बारों

की ओर जल्दी आकृष्ट होते हैं। बाल कविता का कोष गुब्बारे तथा गुब्बारे वालों से संबंधित कविताओं से भरा पड़ा है। जगदीश नारायण राय 'गुब्बारे वाला' कविता में खिलन्दड़ी भाषा का सार्थक प्रयोग करते हैं–''फेंक के जर्सी, कोट दुशाला /आया है गुब्बारे वाला/माटी लाठी मोटी खाल/सबकी सीधी कर दे चाल/दुनिया भर में है व्यापार/गुब्बारों का ठेकेदार/ गरम–गरम गुब्बारे लाया/आसमान के बीच उड़ाया/ इन गुब्बारों में धूप/चून्नू–मुन्नू सब हैं चूप.....आसमान में जितने तारे/मानों उतने है गुब्बारे/बीच चौक में डेरा डाला/बच्चों को ललचाने वाला/नकली रूप बनाने वाला/सबको राह दिखाने वाला/फेंक के जर्सी कोट दुशाला/आया है गुब्बारे वाला। (द्वीपायन, पृष्ठ सं॰ 97)

आज मानव वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों का उपयोग करते हुए मंगल तथा वृहस्पति ग्रहों पर पहुँचने की ओर अग्रसर है। मोटर साइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, वायुयान आदि की सवारी उसे रोमांच, आनंद और सुविधा देती हैं फिर भी साइकिल का महत्व कम नहीं हुआ है। साइकिल बच्चों को काफी प्रिय है। जवान और बुजुर्ग लोगों को भी वह भाती है। तभी तो जय बहादुर शर्मा –'साइकिल' पर कविता लिखते हैं– ''बड़ी निराली है ये सवारी/सबसे प्यारी साइकिल हमारी/नहीं तेल पेट्रोल न खाती/चलती रहती हर दिन राती/चाहे सड़क हो या पगडंडी/चारों ओर दिखाती झंडी/चाहे नर हो या नारी/बालक, बूढे सबकी प्यारी/....टन–टन बजती इसकी घंटी/राह छोड़ देता है बंटी/चाहे/अम्मी हो या अंटी/सबको प्यारी इसकी घंटी। (द्वीप लहरी, अंक–34, पृष्ठ सं॰ 51)।

मार्च का महीना बच्चों की परीक्षा का महीना होता है। परीक्षा से तो सभी घबराते हैं फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं। बच्चों के दिल की धड़कन नापते हुए जय बहादुर शर्मा कविता लिखते हैं–'मार्च का महीना'। इसकी कुछ पक्तियाँ यहां प्रस्तुत हैं–''आया फिर से मार्च महीना/पूरे वर्ष जो बहा पसीना/करने लगा है–धक धक सीना/खूब पढ़ी हैं निशा, रबीना/आया फिर से मार्च महीना/डब्ल्यू बब्लू राजू मंजू/मोहित अंकित साजी संजू/ जुटे हैं सब तैयारी में/डर से कॉप रही है मीना/आया फिर से मार्च महीना।'' (द्वीप लहरी, अंक–34, पृष्ठ सं॰ 52)।

बाल कविता के अंतर्गत लोरियां एवं प्रभातियाँ भी आती हैं। ये शिशु को सुलाने और जगाने से संबंधित हैं। मॉ, दादी, नानी और कभी–कभी पिता द्वारा इनका गायन भी किया जाता है। सृष्टि के उत्पत्ति के समय से ही मॉ द्वारा लोरी सुनाने की शुरूआत हुई होगी। लोरी की रचना के लिए किसी खास पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती। शिशु को सुलाते समय मॉ के मुँह में प्रवाहित सहज उद्‌गार ही लोरी का रूप ले लेते हैं। लोरी और प्रभाती बच्चों को संस्कारित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अण्डमान में भी लोरियां/प्रभातियां गाई/सुनाई जाती हैं लेकिन उनका लिखित रूप कम ही मिलता है। अमरजीत कौर सेतिया की लोरी की कुछ पंक्तियां यहां प्रस्तुत हैं–''सो जा, सांझ पकाया धुँआ धुंधला/तेरी अम्मा पकायी मीठी खीर/जिये रे तेरा वीर/ सो जा री मेरी लाड़ली/ मैं तो सुबह गई थी कर्मकार में/फिर भी भूली नहीं मै तेरे प्यार में/तेरी याद में बीता दिन सारा/फिर भी न मन हारा/सो जा री मेरी लाड़ली तेरी झोली में भर दूं खुशियाँ आज री/ कल क्या होगा लाडो तेरा भाग्य सी/सो जा री मेरी लाड़ली।'' (अंडमान की हिंदी कविता–संपादक–व्यास मणि त्रिपाठी, पृष्ठ सं॰ 33)। वैसे तो लोरी के

आलम्बन–आश्रय माँ और शिशु होते हैं, कृष्ण कुमार 'विश्वेन्द्र' की 'लोरी' शीर्षक कविता में सुनाने और सुनने का कार्य नारियल वृक्ष और लहरों के बीच होता है। (संदर्भ, वही, पृष्ठ सं॰ 56) डॉ॰ राम कृपाल तिवारी, डॉ॰ रोशन आरा दिलबर', डी॰ एम॰ सावित्री॰ दुर्ग, विजय सिंह दीप, मंगत राम, बासु कुमार, अशोक श्रीवास्तव, बृजेश तिवारी, अनिरूद्ध त्रिपाठी आदि द्वीपों के जाने–माने रचनाकार हैं। इनसे हिंदी बाल कविता को बहुत उम्मीदें हैं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हिंदी बाल कविता की तुलना में बाल कहानियों की रचना कम हुई है। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन प्रमुख करण यहां के कहानीकारों की बालकहानी के प्रति उदासीनता ही मानी जायेगी। वैसे भी यहां कवियों की संख्या अधिक है– कहानीकारों की कम। फिर भी कुछ कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें जय बहादुर शर्मा का 'माटी की महक', डी॰ एम॰ सावित्री का 'खामोशी' व्यास मणि त्रिपाठी का 'एक आस्था ऐसी भी' उल्लेखनीय है। जय बहादुर शर्मा को पशु पक्षियों से कुछ अधिक ही लगाव है और इसीलिए उन्होंने चमत्कारी मैना''अनोखा बंदर''बम बम (बकरी) की बफादारी, फ्लोरा शेरनी' शीर्षक कहानियां लिखी हैं।'तरैना तीरे' कहानी में तरैना के किनारे के बछड़ो का जुझारूपन वर्णित है। पशु–पक्षियों से संबंधित कहानियों को बाल कहानी के अंतर्गत रखने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस आधार पर उपर्युक्त कहानियों में बाल कहानी के कुछ गुण अवश्य मिलते हैं।

विद्यालयों में अनेक अवसरों पर बाल कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका, रूपक, एकांकी आदि का मंचन किया जाता है। उन्हें देखकर बाल कलाकारों की प्रतिभा की दाद देनी पड़ती है। यहां के बच्चों में नृत्य, गीत, संगीत और अभिनय की अदभुत क्षमता है लेकिन उन्हें अण्डमान के बाहर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं मिलता और इसलिए धीरे–धीरे उनकी प्रतिभा का क्षरण होता चला जाता है। नवम्बर 2011 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से यहां के बच्चों के लिए एक नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की कहानी 'काबुली वाला' का नाट्य रूपांतरण बच्चों से अभिनीत करवाकर जब इसका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आमंत्रित अतिथियों के समक्ष मंचन करवाया गया तब तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गूंज उठा। सभी ने बच्चों की अभिनय क्षमता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कई संस्थाएं समय–समय पर बाल कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए बाल नाटकों का मंचन और कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं। राष्ट्रीय नाटय विद्यालय के द्वीपों के एक मात्र स्नातक नरेशचन्द्र लाल ने द्वीपों की बाल प्रतिभा को उभारने के लिए काफी प्रयास किया है। वे समय–समय पर नाट्य प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि बच्चे रंगमंच और अभिनय की बारीकियों से परिचित हो सकें।

अंडमान का हिंदी बाल साहित्य अपनी यात्रा पर गतिशील है। अभी उसको राजमार्ग नहीं मिला है लेकिन उसका पथ–प्रशस्त है।

—जे॰जी 167 टाइप 4
जंगलीघाट, पोर्ट ब्लेयर,
अंडमान–744103

तमिलभाषी साहित्यकारों का हिंदी साहित्य को योगदान

—डॉ॰ पी आर वासुदेवन

कविता एवं वैभव वही श्रेष्ठ है, तो पतित पावन गंगा के समान सबके लिए हितकर, स्वास्थ्यकर तथा लाभदायक हुआ करता है। हमारे देश में साहित्य का मुख्य उद्देश्य 'स्वांत सुखाय' माना जाता है। साथ ही उसे परहित कारक के रूप में भी स्वीकार किया गया है। विद्वानों ने साहित्य की आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रयोजनों का विवेचन तथा विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। बोध एवं ज्ञान एक ही वाहन के दो पहिए हैं। वाहन इन दो पहियों के सहारे संसार के पथ पर अग्रसर होता रहता है। तत्पश्चात् श्रव्य काव्य तथा दृश्य के रूप में साहित्य का सृजन प्रारंभ हुआ। धीरे-धीरे टीकाऐं, व्याख्या और गद्य काव्यों का श्रीगणेश होने लगा। साहित्य का मुख्य अभिप्राय 'बहुजन हिताए बहुजन सुखाय है'। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था, संगठन, संघ, तथा संगठन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। प्रत्येक संस्था, संस्थान तथा संगठन की अपनी अपनी पृथक प्रवृतियां हुआ करती हैं। कहीं कहीं इन संगठनों की कार्य प्रणालियों में भिन्नता में एकता का आभास हो जाया करता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकता राष्ट्र के लिए अनिवार्य प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की एकता तथा एकात्मकता भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा विचारों के आदान-प्रदान की संवाहिका है । आदान-प्रदान के द्वारा सद्भावना पनपने लगती है । इससे हृदय से हृदय की पहचान हो जाया करती है, यह पहचान मनुष्य को एक दूसरे के निकट पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है। ऐसी निकटता ऐसी करीबी घनिष्ठता में परिवर्तित हो जाया करती है। सद्भावना सहयोग के सूत्र को सुदृढ़ बना देती है। सहयोग और सहकारी भावना संजीवनी का कार्य सम्पन्न कर सकती है। समाज और राष्ट्र के विकास में इस प्रकार की भावना अपेक्षित है। इस भावना को भाषा तथा साहित्यिक द्वारा चरितार्थ किया जा सकता है। भाषा का सहित्य से, समाज का समाज से, समाज का राष्ट्र से अन्योय संबंध कालान्तर से चला आ रहा है। उसी प्रकार साहित्य का संस्कृति से, संस्कृति का मानव की प्रवृत्ति से, मानव की प्रवृत्ति का प्रकृति से सरोकार है। राजभाषा हिंदी भारतीय भाषाओं को परस्पर जोड़ने वाली एक श्रृंखला है। एक रेशमी अनुंबंध है। जो देशकाल की सीमा को पार करके साहित्य के इतिहास में अपने लिए अविस्मरणीय हस्ताक्षर के रूप में अंकित स्थापित होकर युगों-युगों तक स्पंदित एवं अनुगुंजित होता रहेगा और जिसकी अनुगूंज वीणापाणि की वीणा में मुखरित होती रहेगी। 'एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी,' यह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई का मूलमंत्र है। इसी मूलमंत्र के आधार पर सभा हिंदी प्रचार प्रसार के कार्यों में संलग्न रही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई का कार्य सन 1918 से 1926 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा सम्पन्न होता रहा। हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ मद्रास के हिंदीतर भाषा-भाषियों में साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करने का श्रेय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की मातृसंस्था साहित्य सम्मेलन प्रयाग को है। हिंदी प्रचार आंदोलन में पत्र-पत्रिकाओं का श्लाघनीय योगदान रहा है। जनवरी 1923 में सम्मेलन ने हिंदी प्रचार आंदोलन अभियान स्वरूप हिंदी प्रचारक एक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद इसे मासिक बना दिया गया। प्रारंभ में हिंदी प्रचारक में उत्तर भारत के हिंदी लेखकों की रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। सन 1927 से पत्रिका में स्थानीय हिंदी प्रचारकों तथा हिंदी विद्यार्थियों के लेख आदि प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार साहित्यिक प्रवृति

आरंभ हो गई। सन् 1930 के करीब करीब तमिल की पत्र-पत्रिकाओं में प्रेमचंद, विसंम्भरनाथ कौशिक, जयशंकर प्रसाद, पंडित सुदर्शन, आचार्य चतुरसेन शास्त्री तथा जैनेन्द्र कुमार इत्यादि हिंदी कथाकारों की रचनाएं अनूदित होकर प्रकाशित होने लग गई। तत्पश्चात हिंदी के माध्यम से बगला के साहित्यकार गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर, शरत चंद्र, बंकिमचंद्र तथा द्विजेन्द्र लाला राय आदि की कृतियां तमिल की पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी।

श्रीमती अम्बुजममाल ने सन 1934 में रामचरित मानस के अयोध्याकांड एवं गोदान का तमिल अनुवाद प्रस्तुत किया। श्री के एम शिव राम शर्मा ने महाकवि सुब्रमणियम भारती की 'तराजु' 'ज्ञानरथम' आदि तमिल कृतियों का हिंदी रूपान्तर प्रस्तुत किया। श्री रा॰ विलिनाथन ने कल्कि कृष्णमूर्ति की तमिल कृति 'शेलेमलै की राजकुमारी' पार्थिपन का सपना, बाहर का आदमी, भजगोविंदम (राजाजी कृत) जय जय शंकर (शंकराचार्य की जीवनी रा॰ गणपति कृत) हृदयनाद, लहरों की आवाज (श्रीकल्कि कृष्णूर्ति कृत) की तमिल कृतियों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। आपकी 'नूपूर गाथा' (तमिल महाकाव्य) कसौटी, मास्टरजी (तमिल नाटक) पाण्डुलिपि के रूप में है। श्रीमती सरस्वती रामनाथन ने 'पौ फटेगी, गोपुर का दीप, श्री सुब्रमणियन भारती की प्रतीक कथाएं, नारी (उपन्यास अखिलन कृत) कंरिचतेन (उपन्यास राजम कृष्णन) तथा 'कम्ब रामायण' का कथासार तमिल से हिंदी में प्रस्तुत किया। श्रीनिवासाचारी ने सप्तसरिता (लेख) गांधी (जीव चरित्र), तराजु तथा नारी (उपन्यास) का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। आपने हंस, भारती, गल्प संसार, 'आजकल' आदि हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से तमिल की नवीनतम उपलब्धियों को हिंदी में प्रस्तुत करने का सराहनीय कार्य किया है। श्रीमती एच॰ बालम ने 'आण्डाल तथा ऑलवार की कविताओं' का हिंदी रूपान्तर 'मोहन लतिका' में प्रस्तुत किया है। आपने भारती की 'पांचाली शपथम्' का हिंदी अनुवाद 'पांचाली की शपथ' शीर्षक से प्रस्तुत किया है।

डॉ॰ पी॰ जयरामन अनुवाद के क्षेत्र में प्रख्यात हैं। आपने 'पुरनानूर की कथाओं' तथा राष्ट्रकवि भारती के 'तमिल पद्यों' का हिंदी में पद्यानुवाद प्रस्तुत किया है। दीपम पार्थसारथी के उपन्यास का अनुवाद 'आत्मा के राम' शीर्षक से प्रकाशित किया है। आपने अखिलन के चित्तिरप्पावैं' तमिल उपन्यास का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। आपका 'आधुनिक तमिल साहित्य एक सर्वेक्षण' ग्रंथ विशेष सराहनीय है। शा॰रा॰ सारंपाणि ने हिंदी पत्रकारिता जगत में अपने लिए एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 'दक्खिन हिंदी' के सह संपादक, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा समाचार मद्रास तथा दिल्ली के संपादक के रूप में ख्याति अर्जित की है। मल्लिका, 'राजीनामा' आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। निबंध, लेख तथा तमिल कविताओं का हिंदी अनुवाद भी आपने प्रस्तुत किया है। पत्रकारिता की दीर्घकालीन सेवाओं के निमित राष्ट्रीय स्तर पर आपका सम्मान भी हुआ है। 'सानवती की कथावस्तु' के आधार पर आपने 'पल्लविनी' उपन्यास की रचना भी की है। उमाचंद्रन 'राकाचंद्र' के उपनाम से लिखा करते थे। आप तमिल और हिंदी के उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। आपका 'मुल्लम मलरूम' तमिल उपन्यास पुरस्कृत हुआ। आपने स्वयं 'कांटा और कली' शीर्षक से तमिल उपन्यास का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। आपकी रचनाएं तमिल और हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करती थी। इनके 'मुल्लम मल्लरूम' उपन्यास पर तमिल और हिंदी में फिल्म बन चुकी है। आप आकाशवाणी मद्रास केन्द्र के हिंदी कार्यक्रमों से सम्बद्ध रहे।

टी॰ई॰ श्रीनिवासराघवन संस्कृत, हिंदी तमिल के ज्ञाता हैं। एक सुकवि भी हैं। कंदब (हिंदी काव्य संग्रह) 'अव्वैयार की नीतियां' तमिल से हिंदी में अनुवाद), 'पश्मोषि' 'नानूल' हिंदी अनुवाद, अमर कोष (संस्कृत से हिंदी में अनुवाद) के अतिरिक्त

आपने मौलिक दोहे भी लिखे हैं। आपने तिरूकुरल के कुछ अंश 'नालडियार, भारती के गीत एवं भजगोविंदम का हिंदी में अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। आपकी रचनाएं हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। डॉ॰ एस एन गणेशन हिंदी, तमिल, मलयालम तथा अंग्रेजी के ज्ञाता थे। इन चारों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। नाचती लहरें, काव्यरूप मंथन, तमिल की सुप्रसिद्ध रचना 'शिलप्पधिकारम' का आपने अपने विभागीय अध्यक्ष श्री शंकरराजु नायडु के साथ सफल अनुवाद प्रस्तुत किया। 'तमिल हिंदी व्याकरण में विषमता' आपकी उल्लेखनीय कृति है। हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन (शोध प्रबंध) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है। आप भाषा वैज्ञानिक तथा प्रखर चिंतक थे। आप साहित्यानुशीलन समिति के अध्यक्ष भी रहे। मद्रास महानगर की साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुआ करते थे। आप एक आदर्श प्राध्यापक सफल मार्गदर्शक एवं वक्ता भी थे। आप मद्रास विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। आपके शोध पत्र, निबंध लेख आदि हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित हुआ करते थे।

र॰ शौरिराजन तमिल और हिंदी के विद्वान हैं, संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता हैं। आप सृजनशील लेखक हैं। तमिल और हिंदी के आदान प्रदान के क्षेत्र में आपका योगदान स्तुत्य हैं। कालीदास कृत अभिज्ञान शंकुतलम का आपने हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया है। द्राविड़ और आर्य के संबंध में भी आपने हिंदी में काफी कुछ लिखा है। एन शंकरण के यात्रा वृतांत का हिंदी अनुवाद 'बीस साल के देश' (जर्मनी) में 'बीस दिन की' यात्रा कृति को केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने सुजाता के उपन्यास 'चौदह दिन' का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया हैं। जयकांतन की चुनी हुई कहानियों का हिंदी अनुवाद तथा टीपी मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले के शोधपरक निबंधों का सफल अनुवाद प्रस्तुत किया है। 'जयकांतन की कहानियां' पुस्तक केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत है। आप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास की मुख पत्रिका हिंदी प्रचार समाचार, दक्षिण वाणी, 'बहुब्रीहि' के संपादन मण्डल में भी हैं। साथ ही मद्रास से प्रकाशित 'ज्ञानभूमि' के संपादक भी रहे। साथ ही 'छत्रपति शिवाजी' तथा 'तमस' के तमिल रूपांतर कार्य में संलग्न रहें। आपका सभा द्वारा प्रकाशित तमिल संस्कृति ग्रंथ उल्लेखनीय है।

डॉ॰ एन॰ सुंदरम तमिल कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञाता हैं। आपने मु वरदराजनार के उपन्यास 'कोयले का टुकड़ा' शीर्षक से हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। राष्ट्रकवि भारती की राष्ट्रीय कविताओं का हिंदी रूपान्तर भी आपने प्रस्तुत किया है। आपने तिरूकुरल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। बाल साहित्य के क्षेत्र में एच दुरैस्वामी ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया है। इनकी प्रकाशित कहानियों में 'नानी की कहानी' एक स्फटिक के बीस पहलू, अव्वैयार की कथाएं इत्यादि बालोपयोगी संकलन उल्लेखनीय है। आपकी बालपयोगी पुस्तकें पुरस्कृत हुई हैं। आपने लौह पुरूष 'बल्लभ पटेल की जीवनी' पर आधारित नाटक भी लिखा। वह पाण्डुलिपि के रूप में हैं।

डॉ॰ सुब्रमणियन 'विष्णुप्रिया संस्कृत हिंदी बंगला, तमिल अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आप कवि समीक्षक एकांकीकार, निबंधकार एवं अच्छे वक्ता थे। 'विमर्श से परे' (कहानी संग्रह) 'सदर फाटक' (उपन्यास) तमिलनाडु एक्सप्रेस, इधर से उधर, उधर से किधर, रामनाम सत्य है, अमर अम्बिकापति (एंकाकी) अनामिका (हिंदी काव्य संग्रह) अतीत के चलचित्र हिंदी से तमिल में अनूदित, हिंदी साहित्य का इतिहास (तमिल में) बृहत अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश प्रकाशित है। आप सृजनशील रचनाकार थे। आलम आरा से लेकर नवीनतम फिल्मी संगीत के ज्ञाता थे।

डॉ॰ शेषन का 'कल्कि एवं वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन' शोध प्रबंध प्रकाशित है। तमिल साहित्य की झांकी प्रकाशित रचना है। आपने शिव कुमार मिश्र के 'नीलाचांद' (उपन्यास) का तमिल में अनुवाद किया है। डॉ॰ गोंविदराजन हिंदी और तमिल के ज्ञाता है। 'आलावार एवं अष्टछाप के

भक्ति काव्य का तुलानात्मक अध्ययन' शोध ग्रंथ है तमिल साहित्य की रूपरेखा, विद्यापति के कुछ चुने हुए पद उनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं हैं। सुमतीद्रंन की शिक्षा दीक्षा गुरूकुल कॉगड़ी में हुई। आपका तमिल संस्कृत तथा हिंदी तीनों भाषाओं का सम्यक ज्ञान था। आप एक सफल शिक्षक एवं वक्ता भी थे। आप हिंदी प्रचार सभा द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा विशारद, राष्ट्रभाषा प्रवीण विद्यालयों के आचार्य तथा अमेरिकन कजेलाख् मदुरै में हिंदी प्राध्यापक रहे। आप सशक्त प्रगतिशील कवि के रूप में विख्यात थे। आपके दो काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 'एक पल की याद में' शीर्षक से छठे दशक में प्रकाशित काव्य संग्रह की खूब चर्चा रही। आपके शोधपरक लेख एवं कविताएं हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे।

डॉ चंद्रकांत मुदलियार को 'तमिल और हिंदी के भक्ति साहित्य का तुलानात्मक अध्ययन विषय पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने सन 1965 में पी एच डी की उपाधि प्रदान की। वे हिंदी और संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे। डॉ॰ एन वी राजगोपालन तमिल और हिंदी के प्रकाण्ड विद्वान हैं। अंग्रेजी भाषा पर भी अच्छी पकड़ है। आप मद्रास के गवर्नमेंट आर्टस कालेज में हिंदी के प्रवक्ता रहे। तमिल और हिंदी के काव्य शास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन 1966 में आपको पी एच डी उपाधि प्रदान की। यह ग्रंथ सन 1969 में आर्य बुक डिपो नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। पूर्णम सोमवुन्दरम मौनवर्ती थे। आप तमिल और हिंदी के विद्वान थे। तमिल और उसका साहित्य ग्रंथ 'सरस्वती सहकार' दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ है। 'अनामिका' काव्य कृति आपकी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करती थी।

श्रीमती तुलसी जयरामन लोकप्रिय कवयित्री थी। मैं हूं हिंदी की बिंदी, प्रतीक्षा सागर की लहरें, आदि कविताएं कवि सम्मेलनों में विशेष ख्याति प्राप्त कर चुकी है। आपकी अनेक कविताएं हिंदी की शीर्षस्थ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करती थी। आकाशवाणी मद्रास केन्द्र में रोचक हिंदी कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय आपको है। आकाशवाणी मद्रास केन्द्र के बाद मुबई केन्द्र में हिंदी कार्यक्रमों से आप सम्बद्ध रहीं। डॉ॰ रांगेय राघव को तमिल और हिंदी का सम्यक ज्ञान था। वे हिंदी के मूर्धन्य विद्वान एवं प्रतिभाशाली साहित्यकार माने जाते थे। रागेंय राघव को उनके 'श्री गुरू गोरखनाथ और उनका युग' शोध प्रबंध पर सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने पी एच डी की उपाधि प्रदान की। आपकी रचनाएं प्राय: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हुआ करती थी 'कब तक पुकारू' आपका उल्लेखनीय ग्रंथ है।

डॉ॰ शंकरराजु नायुडु को तमिल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर समानधिकार था। आप को कम्ब रामायणम एवं तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर सन 1959 में मद्रास विश्वविद्यालय से पी एच डी की उपाधि प्रदान की गई। यह ग्रंथ सन 1971 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह शोध प्रबंध अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। लेखक स्वयं इसका हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। डॉ॰ शंकरराजु नायडु हिंदी कवि भी थे। उनकी कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। वे मद्रास विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे।

डॉ॰ मल्लिक मोहम्मद को 'आलवार भक्तों का तमिल प्रबंधम और हिंदी के कृष्ण काव्य शोध प्रबंध पर सन 1964 में अलीगढ विश्वविद्यालय ने पी एच डी की उपाधि प्रदान की। आपको वैष्णव भक्ति आंदोलन के अध्ययन पर सन 1970 में आगरा विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि प्रदान की। आप तमिल हिंदी मलयालम एवं अंग्रेजी के विद्वान हैं। आप कालीकट केरल विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। साहित्यिक सेवा के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रभाषा परिषद तथा तमिल लेखक संघ ने पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया। आप नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली के कई वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे। डॉ॰ के आर नंजुण्डन तमिल और हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ लेखक माने जाते थे। आपको 'तिरूमूलर और गोरखनाथ'' शोध प्रबंध पर सन 1963 में मेरठ विश्वविद्यालय ने पीएच डी की उपाधि प्रदान की।

डॉ॰ नागलक्ष्मी को सन 1964 में मैथिली शरण गुप्त और भारती का तुलनात्मक अध्ययन पर मद्रास विश्वविद्यालय ने पी एच डी की उपाधि प्रदान की। डॉ॰ जे॰ पार्थसाथी को सन 1966 में 'हिंदी एवं तमिल के वाक्य विन्यास का तुलानात्मक' प्रकार पर आगरा विश्वविद्यालय ने पी एच डी की उपाधि प्रदान की। इसी प्रकार डॉ सुदेरवल्ली को सन 1968 में हिंदी और तमिल के गद्य का विकास पर सागर विश्वविद्यालय ने पीएच डी को उपाधि प्रदान की। डॉ॰ वी आर जगन्नाथ को 1968 में 'सूर और पेरियालवार की कृतियों का तुलानात्मक अध्ययन पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने पीएच डी की उपाधि प्रदान की। इसी क्रम में डॉ॰एस वसन्ता को 1969 में आधुनिक हिंदी कविता में दुरुहता पर तिरूपति विश्वविद्यालय ने पी एच डी की उपाधि प्रदान की। डॉ॰ सुब्बुलक्ष्मी को सन 1973 में 'तमिल और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना पर सागर विश्वविद्यालय ने पी एच डी की उपाधि प्रदान की। डॉ॰ के आर विठ्ठलदास को सन 1979 में 'सूरदास और संतकवि श्रीमान मदन गोपाल नायकी स्वामीगल' के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पी एच डी की उपाधि प्रदान की। डॉ के ए जमुना को 'नालायिर दिव्य प्रबंधन और सूरसागर में कृष्ण कथा का स्वरूप पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की।

इसके अतिरिक्त का॰ श्री श्रीनिवासाचार्य का तमिल के प्राचीन महाकाव्य शैव सिद्धांत की परम्परा' पूर्णम रामचंद्रन का तमिल का आधुनिक काव्य साहित्य। रा॰ विलियनायान का तमिल साहित्य पर हिंदी का प्रभाव, तमिल काव्य रामकाव्य, तमिल साहित्य पर गांधीजी का प्रभाव, तमिल का नाटक साहित्य, पर पीएच डी प्रदान की गयी। श्री एस धर्मराजन का तमिल और हिंदी का तुलनात्मक व्याकरण, श्री रा॰ वेंकटकृष्णन का वैष्णव संत कवि आलवारों का जीवन और साहित्य आदि ग्रंथ प्रकाशित हुए।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में डा॰ एस विजया ने 'हरिवंशराय बच्चन और तमिल कवि कण्णदासन का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर पी एच डी उपाधि प्राप्त की। डॉ॰ आर एम श्रीनिवासन जी ने रामानुजाचार्य वैभव ग्रंथ, बीसवीं शताब्दी का तमिल साहित्य ग्रंथ प्रकाशित किया। डॉ॰ ए॰ भवानी ने कई हिंदी कहानियों को तमिल में अनूदित किया। डॉ॰ जयलक्ष्मी सुब्रमणियम ने 21 हिंदी कहानियों का तमिल में अनुवाद प्रस्तुत किया। डा॰ कमला विश्वनाथन ने सुप्रसिद्ध तमिल कहानीकार शिवशंकरी की तमिल कहानियों को हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया। हाल ही में डॉ॰ आर वी पद्मावती जी ने तमिल के कहानीकारों का हिंदी में अनुवाद बीसवीं सदी के तमिल कहानियां प्रकाशित किया। डॉ चित्रा अवस्थी अय्यर ने हिंदी और तमिल में परिभाषिक शब्दावली प्रकाशित किया। डॉ॰ राजलक्ष्मी कृष्णन ने दक्षिण के तट से, एवं शम्बुक की हत्या ग्रंथ प्रकाशित किया। डॉ एम॰ कलारानी ने तमिल की कविताओं का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। डॉ॰ जमुना कृष्णराज ने तमिल से हिंदी में कविताएं अनूदित की इन्होंने मन्नु भंडारी और शिवशंकरी की कहानियां में स्त्री विमर्श पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर मद्रास विश्वविद्यालय से पी एच डी की उपाधि भी प्राप्त की। डॉ पी आर वासुदेवन शेष ने हिंदी और तमिल कहानियों में विभिन्न परिप्रेक्ष्य पर डी लिट शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इन्होंने कई हिंदी लघु कथाओं का तमिल में अनुवाद किया है।

हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने की दिशा में तथा पाठ पुस्तक को तैयार करने वालों में श्रीमती आर चेल्ला, श्री वी॰ बालकृष्णा, श्री अनंतरामकृष्णन, डॉ के चेल्लम, श्रीमती के सुलोचना आदि तमिल भाषी लेखकों ने हिंदी साहित्य में सक्रियता से योगदान दिया है।

यह कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है कि तमिलभाषी रचनाकारों ने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि एवं संवर्धन में निष्ठा से कार्य किया है और निरंतर कार्यशील है।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
361, अन्नासलाई,
तमिलनाडु, चेन्नई-600018

नागा लेखिकाएं: साहित्यिक आयाम

—रमणिका गुप्ता

नागा लेखिकाओं के सृजनात्मक साहित्य के सैद्धांतिक ढांचे की जड़ें उनके इतिहास और अनुभवों से जुड़ी हैं। सबसे प्रथम टेनीडाय भाषा में टुयोनियों (Tuonuo) और डयूसियू (Duosieu) ने 1945 में एक कविता 'जापान का युद्ध' नामक लोकगीत के रूप में लिखी थी। इसमें कोहिमा में हुए युद्ध की खौफनाक तकलीफों का जिक्र है। इस युद्ध में जापानी, बोरचाहा बिग बॉस (Borchaha-Bigboss) के हाथों हार गये थे। यह बिग बॉस कोई और नहीं, अंग्रेज ही थे। ये आवाजें उन हजारों नागा औरतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो युद्ध तथा जापानियों की साक्षी हैं। उनकी नज़र में जापानी केवल विध्वंस करने आए थे और हार कर चले गए।

जहां तक नागा परिवार व समाज की संरचना का प्रश्न है वह पितृप्रधान समाज है। उनके समाज में लड़की की मर्जी नहीं चलती, माता-पिता द्वारा लड़की की शादी तय की जाती है। 1950 में डिनियू (Diniu) ने समाज, जीवन और प्रकृति को अपनी कविता का विषय बनाया। जहां वे अपनी कविता टेनीमिया (Tenyimia) में, टेनीमिया लोगों की काफी आलोचना करती हैं और जहां वे उन्हें नि:स्वार्थ तथा अच्छे नेता बनने की सीख देती हैं, वहीं वे अपनी दूसरी कविताओं-हमारी जिंदगी, 'बचपन के दिन', 'तारा' और 'मृत्यु' में रोमांटिसिज्म और आधुनिक कविता के स्वर पिरोती हैं। उनकी 'हमारी जिंदगी' कविता में जिंदगी के विभिन्न पक्ष और अर्थ गूंजते हैं, जो केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि ऐसी सक्षम स्त्री की आवाज़ हैं, जो सकारात्मक बदलावों में विश्वास रखती है और उन बदलावों से अपनी नियति को बदलती है। वे कहती है-''हम अपनी जिंदगी को सवेरा भी बना सकते हैं और रात में भी बदल सकते हैं। हम खुद ही ये सब बदलाव ला सकते हैं। नागा औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि वे केवल मूक बनी रहें-बस, केवल घर बनाने वाली और पितृसत्ता पर कभी सवाल न उठाने वाली। नागा औरतें सदियों से भयानक हिंसा की शिकार होते आ रही हैं । डिनियू (Diniu) ने अपनी कविताओं में अपने समाज पर सवाल उठाए हैं। उनकी हर कविता में जिदंगी प्रतिबन्धित हुई है। शायद डिनियू (Diniu) की आवाज एकल आवाज़ थी चूंकि उन दिनों औरतें न तो पढ़ी लिखी थीं, न ही उनके पास समय था सपने देखने का और न ही दम था प्रतिरोध करने का।

स्त्री विमर्श का परिदृश्य

यह सही है कि हाल ही में हुए स्त्री-मुक्ति आन्दोलनों का साहित्यिक कृतियों के बल पर नागा नारीवाद, काले नारीवाद की तरह अभी कोई खास ताकत नहीं बन पाया है, फिर भी स्त्री-मुक्ति की एक लहर जरूर नागा-स्त्री के मानस को छू गई है।

नागा महिलाएं, विशेषकर प्रबुद्ध और शिक्षित महिलाएं, जैसे तेमसुला आओ, ईस्टराईन इरालू, मोनालिसा चंगकिजा तथा केखरीबाउन योमे अपने लेखन में स्त्री अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक रही है हैं। उन्होनें अपनी साहित्यिक कृतियों-गद्य व कविता के माध्यम से नागा महिलाओं को नारीवादी विचारधारा व विमर्श से परिचित कराया है।

नागालैंड पितृसत्ता का गढ़ है। इसमें नारीवादी चिन्तन का उभरना एक अत्यंत ही मुश्किल कार्य है। दरअसल नागा नारीवाद, जिसे ईस्टराईन इरालू ने अपनी कृति टैरीबल 'मैट्रीआरकी' (भयानक मातृसत्ता) में परिभाषित भी किया है, नागा मातृसत्ता की प्रतिनिधि मां या दादी की संकीर्ण सोच से इरालू अत्यंत आहत व गुस्सा है। इस नागा मातृसत्तात्मक सोच के तहत कथा नायिका डिलीनयू (Deilienuo), एक लड़की, जो नागा स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है के प्रति अन्त-अन्त तक भेदभाव बरता जाता है। इतना ही नहीं यह भेदभाव और हिंसा केवल पुरूषों द्वारा ही नहीं बल्कि नागा संदर्भ में घर की महिलाओं मां, दादी भी इसे प्रोत्साहित करती हैं और इस हिंसा में बराबर की साझेदारी करती हैं।

लिंग संवेदीकरण और निष्पक्षता शिक्षा के साथ जुड़े हैं। पर तथ्य यह है कि पुरानी पीढ़ी की नागा माताएं और दादियां अशिक्षित थीं। वे महिला अधिकारों से भी अनजान थीं। फलतः नारीवादी अधिकारों का आन्दोलन स्पष्ट रूप से पचासवें दशक के अंत में ही जोर पकड़ पाया। इसने हिंसक संघर्ष और भारतीय सेना द्वारा पुरूषों और निर्दोष महिलाओं एवं बच्चों की अथक हत्याओं के बाद ही रफ्तार पकड़ी।

नागा महिलाओं में सबसे अधिक मजबूत है राजनीतिक चेतना, जो उनमें प्राकृतिक रूप से सन्निहित है। ये सब स्वाभाविक रूप से इन नागा कवियों व लेखकों को आधी नागा आबाद़ी की मूक पीड़ा को वाणी देने हेतु प्रेरक का काम करते हैं।

समकालीन नागा महिला लेखिकाएं कई मुद्दों पर एलिस से भिन्न हैं और उससे मतभेद भी रखती है। कुछ विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं को छोड़ कर ये महिलाएं एलिस की तरह मुखर और मजबूत भी नहीं हैं। इसके बावजूद नारीवाद की एक किरण उनके मन-मस्तिष्क में जरूर कौंधने लगी है। नागालैंड की महिलाएं चर्च, पितृसत्ता व पारम्परिक मातृसत्ता सहित कई शक्तियों से प्रभावित हैं। लेकिन इन सभी शक्तियों के बावजूद परिवर्तन नज़र आ रहा है। आशानुसार समय अवश्य उनमें एक सकारात्मक क्रान्तिकारी मोड़ लाएगा। इसके लक्षण उनके लेखन में दिखाई पड़ रहे हैं।

इस आलेख में हम नागा साहित्य जगत में हिंसा, स्त्री व स्त्री के विरूद्ध घरेलू हिंसा और उसके मानवीय अधिकार, पर्यावरण तथा उनकी अपनी आदिवासी विरासत को लेकर कतिपय मुखर गद्य व पद्य लेखिकाओं के रचनाकर्म व उनके सृजन पक्ष पर चर्चा व विचार करेंगे।

नागालैंड में नेचुरियाजों चुचा और सिवैस्टियन जुमबू ने जहां नागा संस्कृति, जीवन-शैली और नागालैंड की राजनैतिक हलचलों को चिन्हित किया है, वहीं नागा महिला लेखिकाएं जैसे-तेमसुला आओ, ईस्टराईन इरालू, मोनालिसा चंककिज़ा, निनि लुगांलुंग तथा टेनीडाईड भाषा की कवयित्री तथा उपन्यासकार केखरीबाउन योमे अपने सृजनात्मक साहित्य के माध्यम से दबी महिलाओं की आवाज़ बनकर उभरी हैं। इन्होंने अपनी कविता और कथा (Fiction) साहित्य के माध्यम से नागा विमर्श की सैद्धान्तिकी को पुर्नरचित (Reconstruct) किया है। नागा महिलाओं का लेखन स्वयं परिभाषा एवं पुर्नपरिभाषा दोनों ही है।

कलात्मक अभिव्यक्ति के भीतर, नागा महिला लेखिकाओं की रचनाओं में नागा महिलाओं के प्रति भेदभाव और अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना का उभार भी महसूस किया जा सकता है।

ईस्टराईन ईरालू

ईस्टराईन इरालू की रचना 'टैरीबल मैट्रीआरची (Terrible Martiarchy) 'भयावह मातृसत्ता' नागा मातृसत्ता की लड़की के प्रति भेदभाव दृष्टिकोण को व्याख्यायित करती है। नागालैंण्ड में लड़कियों का शोषण महिलाएं–दादी, नानी, बहन तथा आस–पड़ोस की महिलाएं भी करती हैं, स्त्री–विमर्श के सिद्धांत के लिए यह एक चुनौती है। केवल पितृ वर्चस्व ही स्त्री को उत्पीड़ित नहीं करता बल्कि वहां मातृ और पितृ दोनों सत्ताएं ही स्त्री को कष्ट भरी जिंदगी देने में एक समान हैं।

इस रचना में एक पांच वर्ष की लड़की डिलीनियो की कथा है, जो पांच बच्चों में से सबसे छोटी है और अपनी दादी के हाथों उत्पीड़ित होती है। नागा परिवार में लड़कों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बच्ची को भी पहनने के लिए भाइयों के उतरे हुए पुराने कपड़े दिए जाते हैं, नए नहीं। खाने के वक्त उसकी दादी उसे मुर्गे की टांग खाने नहीं देती चूंकि वह लड़कों के लिए आरक्षित मानी जाती है। घर में लड़कों को कोई काम करने नहीं दिया जाता। पानी भी वही बच्ची भरकर लाती है। उसे स्कूल जाने की भी इसलिए मनाही है चूंकि वह लड़की है। दादी उसे उसका नाम लेकर नहीं बल्कि 'ए लड़की' कहकर पुकारती है। लड़की अपने ही घर में खुद को पराया मानती है और जिदंगी भर अत्याचार सहन करती है। इतना सहने के बाद भी वह लड़की अपनी मरती हुए दादी को उसके अंतिम क्षणों में माफ कर देती है।

केखरीबाउन योमे

एक सौ से अधिक कविताओं और दस उपन्यासों की लेखिका योमे, टेनीडाई साहित्य में नागा महिला लेखकों के बीच एक अग्रणी लेखिका मानी जाती है।

केखरीबाउन योमे ने कुल तीन उपन्यास लिखे 1. किजु नू केलहऊ यह (Kiju Nu Kelhou'-Life on Earth or Life in this World') –'पृथ्वी पर जीवन' 2. केफोमा ज़का ('Kep homa Zakha'-'The Price of Sin')– 'पाप की कीमत', 3. रीलेटयूटो (Riileitutuo'-Will be at Rest')– 'विश्राम पर होंगे' (2011)। ये उपन्यास समाज में स्त्री की भूमिका का पुनर्परीक्षरण करते हैं। योमे ने अपने लेखन में स्त्री पेरोकार सिरजे हैं। योमे अपनी इच्छानुसार परिवार गढ़ती है और ऐसी सशक्त आवाज़ बुलन्द करती हैं, जो जानती है कि वह कहां से उठी है। योमे का लेखन विद्रोही है। वह एक वैकल्पिक यथार्थ को परिभाषित करता है, जो नागा समाज की परम्पराओं और स्त्री की शक्ति को परिभाषित करता है। उनकी स्त्री परिवारिक रिश्तों की विध्वंसक और निर्माता दोनों है।

अपने लेखन में योमे अपने समुदाय (Community) और जनजातीय समूह अंगामी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके साहित्य में अंगामी स्त्रियों में व्याप्त पुरातन विश्वास तथा उनका अनुकूलित मांइड सैट (दृष्टि) भी प्रतिबिम्बित होता है। नागालैंड में नेचुरियाओ चुचा और सिवैस्टियन जुमबू ने नागा संस्कृति, जीवनशैली और नागालैंड की राजनैतिक हलचलों को चिन्हित किया है वहीं अपने लेखन में योमे अपने समुदाय (Community) और जनजातीय समूह आंगामी का भी प्रतिनिधित्व करती है और तेमसुला आओ, निनि विन्गूरियू लुंगालांग, ईस्टराईन इरालू तथा मोनालिसा चंकिजा से स्त्री विमर्श के अतिरिक्त आदिवासी विरासत, पर्यावरण, जंगल व आदिवासी मिथकों विशेषतय: नागा मिथकों की खोज और अपने समूह की पहचान के लिए भी चिन्तित है। वे चिन्तित हैं अपने आयकनों के लिए, पवित्र पहाड़ों के लिए और दर्शनीय स्थलों के लिए। हम उपरोक्त चारों कवयित्रियों

की कविता में आदिवासी विरासत की चिन्ता के बारे में पड़ताल कर रहे हैं।

घर के अन्दर और बाहर लिंग भेद, गालीगलौज़, हिंसा और चुप रह कर कष्ट सहने की स्त्रियों की प्रवृत्ति का बयान कर के, वे नागा स्त्री की पल-पल होती अवमानना को दर्शाती है।

नारीवाद के नागा संदर्भ में ईस्टराईन इरालू की 'भयानक मातृसत्ता' (Terrible Matriarchy) तथा योमे की रचनाओं में, महिला के खिलाफ हिंसा न केवल पुरूषों की करते हैं, बल्कि बड़ी बूढ़ी महिलाओं, मां, सास या दादी भी इसमें पीछे नहीं हैं।

किजु नू केलहऊ 'पृथ्वी पर जीवन' या 'इस दुनिया में जिंदगी' उनका अति सशक्त उपन्यास है 'किजु नू केलहऊ' 'पृथ्वी पर जीवन' या 'इस दुनिया में जिंदगी'। यह उपन्यास नागा स्त्री का परम्परा और लिंग के मुद्दों पर पुर्नविचारित वैकल्पिक-विमर्श तथा ऐतिहासिक विमर्श बन गया है। वे एक विशेष स्त्रीवाची पद्धति (Faminis idealogy) पर ज़ोर देती हैं, जहां पाठक नागा स्त्री के उत्पीड़न को एक सांस्कृतिक इतिहास एवं उत्पीड़न-दमन की राजनीति के नजरिए से देखता है। उनका आख्यान बहुत सशक्त है।

केखरीबाउन योमे कहती है कि उनके उपन्यास किजू नू केलहऊ का आधार उनके वास्तविक जीवन के देखे व सुने अनुभवों पर केन्द्रित हैं।

रीलेटयूटों (Riileitatuo) (विश्राम पर होंगे)

योमे का नवीमनम उपन्यास (Riileitatuo) (2011) शराबियों और व्यभिचारी पुरुषों पर केंद्रित है, जो नागा परिवारों में त्रासदी लाते हैं।

हिंसा, शराब, पितृसत्ता का चक्र, जो समाज, परिवार व माताओं द्वारा संरक्षित व पोषित है की हृदय विदारक कहानी, इस उपन्यास के माध्यम से उजागर (Revealed) हुई है। योमे (Yhome) शराब स्त्री गमन व व्यभिचार के चलते दोस्तों के शादी टूटने के दु:खद घटना क्रम की गवाह हैं। वे शादी और रिश्तों के खोखले पन की नकाब को उलट कर रख देती है।

कई महिलाएं बच्चों को खो देने के डर से अपने पति और असफल विवाह को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पातीं, चूंकि नागा परम्परा में बच्चों का संरक्षण माता को नहीं, पिता को जाता है। रीलेट्यूटो उपन्यास में यह दर्शाया गया है कि नागा पुरुष को जब अपनी मूर्खता का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह तब होता है जब उसके बच्चे उन्हीं की तरह विकसित हो चुके होते हैं और वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर, पिता के धन और नाम को फिजूलखर्ची करके बर्बाद करने लगते हैं। योमे का कहना है कि अक्सर क्रोध और कड़वाहट के कारण अपने स्वयं के पिता की गैर जिम्मेदाराना हरकतें देखकर, बच्चे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं।

यह आचरण, नागा परिवारों की अवधारणा को दर्शाता है, जो खासकर बेटे को लाड़-प्यार करके, उन्हें अत्यधिक गैर-जिम्मेदार बनाने में सहायक होता है।

दूसरी तरफ नागा महिलाएं अपने भाई बहनों और घरों के लिए अत्यन्त जिम्मेदार होने के लिए मजूबर हैं। उनकी यह मजबूरी ही उन्हें मजबूत व लचीला बना देती है और वे जीवन में चाहे जो हो जाए, बुरी से बुरी स्थिति से भी निपटाने के लिए तैयार हो जाती हैं।

रीलेट्यूटो (Riileitatuo) उपन्यास में पत्नी के मन में बैठा यह विश्वास कि मौत के बाद ही औरत को आराम और शांति मिलती है-उनके पुरुषों द्वारा शराब पीने और औरों के पीछे-पीछे घूमने की आदत के बरक्स, शादी और रिश्तों की निरर्थकता का एक मजबूत उदाहरण है।

योमे ने इस उपन्यास में विवाह में ऐसी स्थितियों के लिए महिलाओं की बेबसी, परंपरा और शादी के लिए परिवार के प्रति प्रतिबद्धता और उसके सम्मान से बंधे रहने की त्रासदी पर बल दिया है।

महिलाएं और हिंसा, पस्त जीवन, घरेलू हिंसा, अनाचार, खतरे, धमकियां और लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष की शिकार स्त्रियों में मुद्दे नागा महिला लेखकों के कथा व काव्य संसार में छाए हुए हैं।

'केपफोमा ज़खा' (पाप की कीमत)

अपने उपन्यास 'केपफोमा ज़खा' में, वे जिम्मेदार लोगों के जीवन में व्याप्त गर्भपात की प्रवृत्ति को उजागर करती हैं। अमीर युवक नीथां-ओ, जो धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है-स्त्रीगमन का आदी होने के बावजूद चर्च का नेता बन जाता है। वह अपनी प्रेमिका को बच्चे का गर्भपात कराने के लिए बाध्य करता है।

योमा उस नागा समाज की वास्तविकता को चित्रित करती हैं-जो अपने बिगड़ैल सरचढ़े बच्चों की धर्मशास्त्र की पढ़ाई उनके मनोनुकूल हो या नहीं। वे युवा जोड़ों पर इस गर्भपात को भी दर्शाती हैं, खास कर उन युवा लड़कियों पर पड़े प्रभाव को, जिनके पास गर्भपात के अलावा और विकल्प ही नहीं रह जाता। वह कहती हैं-''मैंने उनके बारे में सुना है और मैं कई एक गर्भपातों की गवाह भी हूं। यह कहानी उन युवा लड़कियों के जीवन के प्रति गहरी चिन्ता से उपजी है।''

(केखरीबाउन योमे के साक्षात्कार, 14.6.2013 से उद्धत)

तेमसुला आओ

तेमसुला आओ के चार काव्य संग्रह हैं। 1. 'सांग्स दैट टैल' (गीत जो बताते हैं) 1988, 2. 'सांग्स दैट ट्राई टू से' (गीत जो कुछ कहने की कोशिश में है) 3. 'सांग्स ऑफ मैनी मूड्स' (बहुरंगी चित्तवृत्तियों के गीत) 1995, 4. सांग्स फ्राम द अदर लाईफ, 2007 (दूसरी जिंदगी के गीत)।

तेमसुला अपनी कृति सांग्स दैट टैल 'Songs that tell' (1988) 'गीत जो बताते हैं' में अपनी जड़ों की खोज करती है। भारतीय अंग्रेजी कविता में यह रुझान काफी देर से चला आ रहा था।

कवयित्री कई महान कवियों से मिलती है अपने अकादिम कैरियर के दौरान। फलत: जीवन के अनुभवों तथा परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ उन महान कवियों जैसी ही है। इसके बावजूद वे अपने भावों को अपने काव्य में अपने ही अन्दाज़ में बांधती हैं। 'सांग्स डैडीकेटरी' में वे कुछ इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं-

...गीत जो/कभी-कभी/परमानंद में गाते/और दर्द में रोते/स्मृति में आहें भरते/और कभी-कभी/कल्पना के साथ हंसते। (वही-9)

बहुत से गीत शोकजनक, असीम आनन्द एवं उल्लास, यन्त्रणा और कवि की दु:खद यादों से भरे हैं। बढ़ती उम्र और अपने क्षय के लिए कवत्रियी की परिकल्पना के लिए कष्टदायक है।

उनकी अद्यतन कविता पुस्तक है 'सांग्स फ्राम द अदर लाईफ' 'दूसरी जिन्दगी के गीत' (2007)। इस पुस्तक की कविताओं में उन्होंने नागा जनजाति के कई समूहों तथा 'आओ' जनजाति के मिथकों को कविता में बांधा है। इसके माध्यम से वे अपने समूह की पहचान खोजने की चेष्टा करती हैं। नागा का वाचिक साहित्य अत्यन्त सशक्त है। इस वाचित परम्परा के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था, इतिहास, धर्म और नैतिक ज्ञान लोगों की संस्कृति मे रच-बस गया है। ये

इसलिए चूंकि एक लोककथा है कि चमड़े पर लिपि जो दीवार पर टंगी थी, (देखने और सीखने के लिए) को एक कुत्ते ने खा लिया। तब से ज्ञान का सारा भंडार उनकी वाचिक लोककथाओं में ही एकत्रित होने लगा। तेमसुला इस कथा को अपनी कविता 'द ओल्ड स्टोरी टेलर' पुरातन कथावाचक में यूं कहती हैं–

जब याद विफल हो जाती है और शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। तो एक बहशी लालसा मुझे वश में कर लेती है/तो मैं/चोरी करने की हिम्मत को खींच बाहर कर देना चाहती हूं/उस मूल कुत्ते से/और कर देती हूं सुपुर्द अपनी समूची कहानियों को/उस लिपि को, जो उसकी प्राचीन अन्तड़ियों का हिस्सा है। (2007:13)

तेमसुला आओ की रहस्यवादी संवेदना उनकी कुछ कविताओं में दिखाई पड़ती है। कविता की लयबद्धता, संक्षिप्त अभिव्यक्ति और मृदुल भाषा उनकी कविता को सुखदायक बनाती है। जिंदगी का कठोर यथार्थ उनके रोमानी गीतों में प्रवाहित होता है। उनके इसी लयात्मक लेखन और सुरीले गीतों के चलते वे पूर्वोत्तर की नाइटिंगेल कहलाती हैं।

निनि विन्गूरियू लुंगालांग

निनि विन्गूरियू लुंगालांग (Nini Vinguriau Lungalang) 1948 में पैदा हुई। ये एक मूल निवासी (autochthonous) कवयित्री हैं। ये कोहिमा के नार्थफील्ड स्कूल में शिक्षिका हैं। ये अपनी कविताओं में जीवन, आदिवासियों की जीवनशैली, उपेक्षित लोग और उनके अपने पिता तथा कोहिमा के विस्तार, नागाओं की विरासत और अपने युवा दिनों के लिए चिंतित हैं। अपनी शुरुआती जिन्दगी के प्रति उनकी अपनी जिद व एक राय है।

वे अपने पहाड़ों, नदियों को नहीं भूलतीं। उनके लिए ये उनके आयकन हैं–पवित्र स्थल हैं। 'पूलीबेड्जे पर' कविता में वे पूलीबेड्जे पहाड़ को नागाओं का पूर्वज होने के दावे की पुष्टि करती हैं। ये पहाड़ कोहिमा से दस किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वे अपनी कौम को ताकीद करती हैं कि वे 'पूनीबेड्जे' पर्वत का आदर करें।

कठारे पहरेदार पेड़ चुपचाप देते हैं पहरा/छिपी नाड़ी जो धड़कती है/पुरानीपुरखा पूलीबेड्जे की स्कर्ट्स के छोर पर/ध्यान से चलो: यहां पवित्र स्थल है/तुम्हारी पदचाप की ध्वनि/तिनके या पत्तों के मुरकने से ज्यादा न हो/टकराने दो धुंध की लटों को/पुरातन पूलीबेड्ज के किनारों से।

एक कवि के नाते निनी प्रकृति की पुजारी हैं और निम्न वर्ग वाले मातहतों (सबआल्टर्न) की समर्थक हैं।

ईस्टराईन इरालू

ईस्टराईन इरालू (1959) (Easterine Iralu 1959) नेहू के कोहिमा कैम्पस तथा नागालैंड विश्वविद्यालय कोहिमा में अंग्रेजी पढ़ाती थी। आजकल वे नार्वे में रहती हैं। उनका प्रथम कविता–संग्रह तब प्रकाशित हुआ, जब वे मात्र 23 वर्ष की थीं। वे अतीत और वर्तमान के यथार्थ को मिश्रित करके लिखती हैं। अपनी विरासत पर उन्हें गर्व हैं।

यूटोपिया केलोकेवीरा (Kethoukevira) का नागा मिथक उनकी यादों से बार–बार टकराता है और अपने गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षित करता है।

पर्यवरण इतनी तेजी से विकृत हो रहा है कि कवि को इसकी एक छाप रखने की जरूरत महसूस होती है। इसके बारे में वह अपने बेटे को कहती है और एक शानदार तस्वीर पेंट करती है ताकि कम से कम एक तस्वीर तो बचे गौरवशाली परिवेश को देखने और याद करने के लिए।

इससे पहले कि तुम पैदा हो/एक सतत् बदलती दुनिया में/इससे पहले कि हरी पाइंस हो जाएं/लकड़हारा की कुल्हाड़ी की शिकार/और बचे रह जाएं बस केवल ठूंठ, रक्तमय/अवशेष/कभी सुन्दर एक पेड़ के/इससे पहले कि महाप्रतापी/डूबता सूर्य छिप जाए शहर की धुंध में/और यह सब मैंने जो देखा है आज रात/फीका पड़ जाए अटल यादों में/इससे पहले कि बदलती दुनिया/मथ जाए राख में/मुझे अंकित कर लेने दो। (2001 : 111)

ईस्टराईन रोमांटिक और धार्मिक विषयों पर भी लिखती हैं। वे अपने लेखन में देशभक्त हैं और अपनी गौरवशाली विरासत को महिमामण्डित करती हैं तथा नागा समाज की वर्चस्ववादी पितृसत्ता का विरोध करती हैं।

मोनालिसा चंककिज़ा

मोनालिसा चंककिज़ा 'नागालैंड पेज' अखबार की सम्पादक हैं। ये पर्यावरण को लेकर चिन्तित हैं तथा पक्की नारीबादी हैं।

समय की पहरेदार और पर्यावरणीय कालक्रम की अभिलेखिका चंककिज़ा अपनी कविता में कहती हैं-

यह दु:स्वप्न/जहां मुझे लिखना पड़े एक और बच्चे के अनाथ होने पर/एक और लड़की के बलात्कृत या एक और औरत के विधवा होने पर

मोनालिसा उस धरती और उसके लोगों के ठोस यथार्थ पर लिखती हैं, जो आए दिन बन्दूकों और निदेशों से त्रस्त हैं। वे उन हथियारबन्द लोगों के खिलाफ आवाज उठाती हैं, जो देश और कौम के नाम पर घूमते हैं, जो व्यक्तिगत राय रखने की इजाजत नहीं देते।

आगे बढ़ो, गोली दागो, बम से उड़ाते रहो हमें अनन्त तक/मैं वादा करती हूं हम हिलेंगे तक नही/न ही अपने इरादे से और न ही/तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए/शूट करो-क्या रोक रहा है तुम्हें ? (एमएम 22)

संदर्भ:

आओ तेमसुला (1988) सांग्स देट टेल, कोलकाता: राईटर्स वर्कशॉप, प्रिंट (1992) सॉग्स देट ट्राई टू से, कोलकाता: राईटर्स वर्कशॉप, प्रिंट (1995) सांग्स सांग्स ऑफ मैनी मूड्स, नई दिल्ली: हर आनंद प्रिंट (2003) थ्री पोएम्स एन्थोलॉजी ऑफ कन्टेम्परेरी पोएट्री फ्रॉम नॉर्थईस्ट इडीएस, किनफामसिं एंड न्गोनगोम, शिलोंग: नेहू (209-15) प्रिंट (2007)

चंककिजा, मोनालिसा (1993) चेपन्स ऑफ वर्ड्स ऑन पेजेस ऑफ पैन, दीमापुर: राइट-ऑन पब्लिकेशन्स, प्रिंट (2003) थ्री पोएम्स एन्थोलॉजी ऑफ कन्टेम्वपरेरी पोएट्री फ्रॉम नॉर्थईस्ट इडीएस, किनफामसिं एंड न्गोनगोम, शिलोंग: नेहू (216-218) प्रिंट (2007) मॉनसून मोर्निंग दीमापुर: राइट-ऑन पब्लिकेशन्स, प्रिंट दास, निगमानन्दा (1988) 'इन्डियन इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम नार्थइस्ट इंडिया' वाल्यूम-3 ऑफ एनईआईएफईएस प्रोसीडिंग्स तेजू: एनईआईएफईएस (21-31) प्रिंट।

आर.आर. डुजूविचू की सामग्री पर आधारित।
संपर्क: ए-221 ग्राउंड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी,
नई दिल्ली-110024
ईमेल: ramnika01@gmail. com

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी : मानकीकरण का संदर्भ

— डॉ॰ हरीश कुमार सेठी

यंत्रों को प्रयोग-व्यवहार में लाने के साथ प्रौद्योगिकी मानव जीवन के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है। औद्योगिक क्रांति के दौर से शुरू हुए यंत्र युग में प्रौद्योगिकी को यंत्रों के निर्माण और संचालन से जोड़कर देखा जाता था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में कंप्यूटर का विकास एक युगांतरकारी घटना है। इसने हमें एक ऐसे युग में पहुंचा दिया है जहां कंप्यूटर सुविधाओं का लाभ उठाए बिना विकास असंभव हो गया है। इस कंप्यूटर युग में ''भाषा'' प्रौद्योगकी का सहारा लिए हुए आगे बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सॉफ्टवेयरों की सहायता से भाषा के माध्यम से काम कर पाना संभव होता है। किंतु भाषा ''लिपि'' के माध्यम से मूर्त रूप प्राप्त कर पाती है। लिपि, भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। भाषा के संदर्भ में लिपि की आवश्यकता की महत्ता निर्विवाद है। सूचना प्रौद्योगिकी का हिंदी अनुप्रयोग देवनागरी लिपि से स्वत: ही जुड़ा हुआ है क्योंकि हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है।

देवनागरी लिपि : ऐतिहासिक संदर्भ

नागरी लिपि के महत्व को समझते हुए आधुनिक काल में और विशेष तौर पर स्वतंत्रता-पूर्व की अवधि में भी देश-भर में इसके प्रयोग को बढ़ाने पर बल दिया। इस संदर्भ में राजा राममोहनराय, बंकिमचंद्र चटर्जी, जस्टिस शारदा चरण मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, श्री केशव वामन पैठे, दयानंद सरस्वती, कृष्णस्वामी अय्यर तथा अनन्त शयनम आयंगर और पंडित गौरीदत्त का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। इनमें से शारदा चरण मित्र ने 1905 में ''लिपि विस्तार परिषद'' की स्थापना की और ''देवनागर'' नामक पत्रिका के माध्यम से नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार का सूत्रपात किया। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे, वीर सावरकर, काका कालेलकर, विनोबा भावे, डॉ॰ श्यामसुंदरदास, डॉ॰ सुनीति कुमार चटर्जी, मुहम्मद करीब छागला और डॉ॰ गोरख प्रसाद आदि ने नागरी लिपि के महत्व पर बल दिया। लिपि के महत्व को दृष्टि में रखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने राजभाषा के साथ-साथ लिपि पर भी विचार किया और संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करने के साथ-साथ देवनागरी को उसकी आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता प्रदान की। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।'' किंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि ''संघ के शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।'' प्रथम पंद्रह वर्षों तक यह भी प्रावधान था कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का भी उपयोग हो सकेगा। बाद में 1963 के राजभाषा अधिनियम में अंकों के देवनागरी रूप को आगे नहीं बढ़ाया गया। वैसे, इस अधिनियम में हिंदी की परिभाषा में देवनागरी की स्थिति पर विशेष बल देते हुए यह कहा गया है कि ''हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।'' इस प्रकार आज देवनागरी भारत की राष्ट्रलिपि के रूप में अंगीकृत है।

देवनागरी लिपि और यांत्रिक अनुप्रयोग का निकष

यांत्रिक अनुप्रयोग की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि के गुणों को रेखांकित किया जा सकता है। किसी भी लिपि का यंत्र-सहज क्षमता से सम्पन्न होना अनिवार्य है। ऐसा होने पर ही प्रौद्योगिकी भाषा के साथ जुड़ पाती है। यंत्रों के संदर्भ में देवनागरी लिपि की

तुलना में रोमन लिपि को सरल माना जाता है। और वस्तुत: यह है भी सही। अगर हम हिंदी टंकण की ही बात करें तो यह कहा जा सकता है कि इसमें अंग्रेज़ी टंकण की तुलना में कम गति में टंकण कार्य हो पाता है। इसी प्रकार, मुद्रण के लिए कम्पोज़िंग में भी देवनागरी पर जटिलता का आक्षेप लगाया जाता रहा है। किंतु इसे देवनागरी का दोष न कहकर यंत्रों को लिपि के अनुकूल विकसित करने के संदर्भ में देखना होगा। यही व्यावहारिकता की मांग भी है क्योंकि शरीर के आकार के अनुसार कपड़ों की सिलाई की जाती है न कि कपड़ों के अनुसार शरीर की काट-छांट आदि। इसी अनुकूलता का यह परिणाम रहा है कि आज यंत्रों की सहायता से देवनागरी में काम करना संभव है। पता-लेखी मशीन ''एड्रेसोग्राफ'', टाइपराइटर, प्रिंटर, टेलीप्रिंटर/ टैलेक्स और कंप्यूटर आदि यंत्रों का देवनागरी के संदर्भ में उपयोग किया जा रहा है। यंत्रों के आरंभिक विकासकाल में भले ही इन्हें देवनागरी में काम करने के लिए उपयुक्त न माना गया हो, किंतु समय की कसौटी पर यह लिपि इन यंत्रों के अनुकूल सिद्ध हुई है। अगर हम कंप्यूटर पर ही विचार करें तो यह स्वीकार किया जा रहा है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान में विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के संदर्भ में संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि को सर्वथा अनुकूल पाया है। उनका तो यहां तक मानना है कि अपने वैज्ञानिक एवं ध्वन्यात्मक स्वरूप के कारण नागरी लिपि कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ लिपि है। इस स्थिति के चलते आज यह कहा जा सकता है कि यांत्रिक-सहजता की दृष्टि से देवनागरी लिपि की अनुपयुक्तता संबंधी भावना में कमी आई है।

देवनागरी लिपि में यांत्रिक-इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं

आज के सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में दैनिक कामकाज और कार्यालयों आदि में कंप्यूटर आदि यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक साधन-उपकरणों का उपयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। किंतु इनका तब तक सार्थक उपयोग संभव नहीं, जब तक कि ये जन-सामान्य की अपनी भाषा और लिपि से न जुड़े हों। देवनागरी लिपि के लिए अक्सर यह कह दिया जाता रहा है कि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यह लिपि उपयुक्त नहीं है। जबकि समय ने यह सिद्ध कर दिया है कि देवनागरी यंत्रों के साथ सहज अनुकूलन क्षमता से सम्पन्न लिपि है। वैज्ञानिक आविष्कारों की दृष्टि से देखा जाए तो टंकण यंत्र टाइपराइटर, तार, टेलीप्रिंटर, मुद्रण और कंप्यूटर। यांत्रिक साधन-उपकरणों का देवनागरी लिपि में उपयोग किया जाने लगा है।

कंप्यूटर और देवनागरी लिपि

अगर हम कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि इसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि में सबसे पहले कंप्यूटरों पर शब्द संसाधन का कार्य ही शुरू हुआ। इस कार्य के लिए अनेक भारतीय और विदेशी कंप्यूटर निर्माता कंपनियों ने कई प्रकार के ऐसे पैकेज विकसित किए जिनमें नागरी में और द्विभाषिक रूप में शब्द संसाधन कार्य सम्पन्न कर पाना संभव हो सका। इसके अलावा, आंकड़ा संसाधन, लिप्यंतरण, वर्तनी-संशोधन, कंप्यूटर साधित भाषा-शिक्षण, डी॰टी॰पी॰ (डेस्क टॉप पब्लिशिंग), टाइटलिंग, मल्टी मीडिया, पी॰सी॰ आधारित टेलेक्स, बहुभाषी व्यापार लेखा, पाठ के वाक्, वाक् से पाठ और कंप्यूटर अनुवाद आदि संबंधी पैकेज भी तैयार हुए हैं। इसके अलावा, वाक् से पाठ और कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियों का सामासिक (मिला-जुला) रूप में उपयोग का भी उल्लेख किया जा सकता है।

आज वस्तुस्थिति यह है कि कंप्यूटर पर शब्द संसाधन का कार्य देवनागरी में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। शब्द संसाधन के लिए जो द्विभाषिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर अब तक विकसित हो चुके हैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं- जिस्ट प्रणाली, हिंदी सॉफ्टवेयर उपकरण, शब्दमाला, सुलेख, अक्षर फॉर विंडोज़, अक्षर नवीन, ए॰पी॰एस॰ कॉर्पोरेट, सुलिपि, सुविंडो, लीप ऑफिस 2000, आई॰लिप, श्रीलिपि, प्रकाशक, माध्यम, पीपल वेबराइटर, सारांश, और अक्षरा एक्स॰पी॰

प्रमुख हैं। वहीं देवनागरी लिपि में आंकड़ा-संसाधन कार्य के लिए जिस्ट प्रणाली, देवबेस, सुलिपि और सुविंडो सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हालांकि हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि के अनेक शब्द-संसाधकों में वर्तनी शोधन की सुविधा होने के अलावा, ''वर्तनी जांचक'' जैसे सॉफ्टवेयर भी विकसित किए हुए हैं जो वर्तनी-संशोधन का काम करते हैं। हिंदी के ''प्रकाशक'', ''वीनस'', ''इंडिका'', ''इज़्म'', ''एप्पल'', ''ऐस्ट्रिक्स'', ''विज़न पब्लिशर/विज़न पब्लिशर प्रोफेशनल'', ''सुविंडो'', ''माइक्रोसेंस पत्रिका'', ''अक्षर लेज़र कंपोज़र'', ''आकृति'', ''सुलेजर'', ''विंकी'' आदि जैसे अनेक पैकेजों में डी॰टी॰पी॰ सुविधा उपलब्ध है। इनकी सहायता से देवनागरी में शब्द संसाधन और डी॰टी॰पी॰ संबंधी कार्य को कुशलता के साथ से कर पाना संभव है। सी-डेक पुणे ने ''लीला प्रबोध'' ''लीला प्रवीण'' और ''लीला प्राज्ञ'' नामक ''कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण'' सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिनकी सहायता से क्रमशः प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ स्तर का हिंदी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इन सॉफ्टवेयरों की सहायता से कोई भी प्रशिक्षार्थी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को स्वयं ही कंप्यूटर पर सीख सकता है। इसी प्रकार, देवनागरी में **टाइटलिंग** के लिए लिप्स और सुलिपि मौजूद हैं। सुलिपि में मल्टी मीडिया के अलावा ''पी॰सी॰ आधारित टेलेक्स प्रणाली'' भी है। ''फैक्ट'' को ''बहुभाषी व्यापार लेखा सॉफ्टवेयर'' के रूप में कुशलता के साथ उपयोग में लिया जा रहा है। वहीं, बैंक ग्राहक सेवा संबंधी कार्य के लिए बैंक मित्र'', ''पाठ से वाक्'' से संबंधित ''हिंदीवाणी'', ''वाक् से पाठ'' संबंधी ''श्रुतलेखन राजभाषा'' और ''हिंदी डिक्टेशन सॉफ्टवेयर'' के अलावा, कंप्यूटर **अनुवाद** के लिए ''मंत्र राजभाषा'', ''आंग्ल भारती और अनुभारती प्रौद्योगिकी'', ''अनुसारक'', ''अनुवादक'', ''मात्रा'', ''युनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज ''शिव'' और ''शक्ति'' आदि कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं या फिर विकास कार्य प्रगति पर है। वहीं वाक् से पाठ और कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियों का सामासिक (मिला-जुला) रूप में उपयोग के संदर्भ में ''वाचांतर राजभाषा'' का उल्लेख किया जा सकता है।

ये सभी प्रयास वास्तव में यांत्रिक साधनों की सहायता से ''भाषा का आधुनिकीकरण'' कहे जा सकते हैं। आधुनिकीकरण, भाषा विकास का पर्याय है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण आदि आधुनिकीकरण के संदर्भ में किए जाने वाले प्रयासों का उदाहरण हैं। इस तरह, आधुनिकीकरण और यांत्रिकीकरण, भाषा विकास के दो प्रमुख पक्ष हैं और एक-दूसरे के पूरक भी। लेकिन ये प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक कि आधुनिकीकरण के साथ-साथ मानकीकरण भी न किया जाए। यांत्रिकीकरण में मानक रूप की अत्यंत अनिवार्यता है।

''मानकीकरण'' का अभाव: सूचना प्रौद्योगिकी का संदर्भ

इस उत्साहवर्धक स्थिति के बावजूद हम यह कहने को मजबूर है कि हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता का बेहतर, तीव्र गति से और इष्टतम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण ''मानकीकरण'' का अभाव है। सूचना प्रौद्योगिकी सहित किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी के सार्थक उपयोग के लिए ''मानक रूप'' होना अनिवार्य है। हालांकि यह सही है कि लिपि और वर्तनी की दृष्टि से हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में हम कह सकते हैं कि हिंदी की यह वैज्ञानिकता तब तक अधूरी है जब तक कि भाषा और प्रौद्योगिकी एक-दूसरे के अनुकूल/सहज न हो। उदाहरण के लिए, हिंदी में ''खाये'', ''खाय'', और ''खाए''- तीन रूप व्यवहार में प्रयुक्त होते नजर आते हैं। ऐसे में कंप्यूटर का यदि अनुवाद कार्य में प्रयोग किया जा रहा हो तो वह किस शब्द रूप को सही मानेगा। शब्द-रूपों की अधिकता के अलावा हम वर्णाकृति के मानकीकरण के अभाव का भी उल्लेख कर सकते है जिसकी वजह

से कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला ओ॰सी॰आर॰ कार्य सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार, कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली सॉर्टिंग, वर्तनी एवं व्याकरण-जांच और स्वत: संशोधन का कार्य, हिंदी के वर्णों, शब्द-लेखन की प्रक्रिया और मानकीकृत वर्तनी के नियमों के अभाव में, प्रभावी ढंग से सम्पन्न हो पाने की आशा नहीं की जा सकती है।

दूसरी ओर, सूचना प्रौद्योगिकी की यांत्रिक व्यवस्था आदि के स्तर पर भी मानकीकरण की आवश्यकता है। इसे हम इस उदाहरण से जान सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में रोमन लिपि में किए गए कार्य को अन्य कार्य पद्धति से काम करने वाली कंप्यूटर प्रणाली में ले जाकर संपादित आदि कर सकते हैं। जैसे, यूनिक्स, डॉस, लाइनेक्स में से किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में किए गए कार्य को भिन्न प्रणाली में ले सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी कंप्यूटर में काम करने पर कुंजी पटल का एक जैसा होने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सामग्री ले जाना सहज रूप से संभव हो पाता है। रोमन-आधारित कुंजी पटलों में यह एकरूपता नजर आती है। यह एकरूपता ही ''मानकीकरण'' है। लेकिन, खेद का विषय है कि हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी जगत में इस एकरूपता का अभाव है। हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने अपने-अपने ढंग से कुंजी पटलों का निर्माण किया है। यही स्थिति फोंटों की भी है। इसलिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी प्रयोग के स्तर पर मानक कार्यक्रम का अभाव नजर आता है। इसी अभाव के कारण ही अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को कमजोर और दयनीय करार दे दिया जाता है। कहने का अभिप्राय: यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ''मानकीकरण'' आज के समय की जरूरत है। मानकीकरण करने से कंप्यूटर में प्रविष्ट सामग्री को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना सहज हो जाता है। इसी प्रकार, यदि वेबसाइट पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध है जो अपने काम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो उसे प्राप्त करना भी सहज हो जाता है। इस दृष्टि से (1) हिंदी भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकरण, और (2) कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में हिंदी भाषा का मानकीकरण।

(1) हिंदी भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर प्रणाली का मानकीकरण:

भाषा-विशेष के संदर्भ में तकनीकी दृष्टि से मानकीकरण का संबंध वस्तुत: आउटपुट उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के रूप में (क) अक्षर कोडीकरण (कोडिंग), (ख) कुंजीपटल, और (ग) अक्षरों के आकारों (फोंट) के मानकीकरण से होता हैं। हिंदी भाषा को मानकीकरण के इन आयामों के संदर्भ में कितना तैयार किया गया है, विचारणीय है।

(क) अक्षर कोडीकरण (कोडिंग): कंप्यूटर की कोई अपनी भाषा नहीं है, वह ''बाइनरी डिजिट/बिट'' के रूप में केवल 0 और 1 को समझता है। कुंजी-पटल की सहायता से कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करने पर कंप्यूटर इसे एक निर्दिष्ट कोड के अनुसार इसी बाइनरी कोड में बदल देता है। इन्हें कैरेक्टर कहा जाता है। इनमें एकरूपता लाने और इनका मानकीकरण करने के लिए अंग्रेज़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकन स्टेंडर्ड कोड फॉर इनफोर्मेशन इंटरचेंज-''आस्की'' अपनाया गया है।

भारत सरकार ने भी अक्षरों के कोडीकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता को अनुभूत करते हुए इस दिशा में प्रयास किए। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में सी-डैक, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड) आदि के संयुक्त प्रयास से 1988 में ''इंडियन स्टेंडर्ड स्क्रिप्ट कोड फॉर इनफार्मेशन इंटरचेंज'' (आई॰एस॰सी॰आई॰आई॰ - इस्की) नामक कोड बनाया गया जिसे इस्की-1988 के नाम से जाना जाता है। इस्की के जरिए कंप्यूटर की कोडिंग प्रणाली का मानकीकरण किया गया। बाद में अनुभव के आधार पर इसमें 1991 में कुछ सुधार भी किए गए। इस सुधरे

हुए यूनिकोड को ''इस्की-1991'' के नाम से जाना जाता है। यह अक्षर कोडीकरण का सुपर सेट है। इस तकनीक के आधार पर यूनिकोड फोंट विकसित किए गए। वैसे भी ''इस्की'' में भी 7-बिट और 8-बिट की दो प्रणालियां है। ''इस्की'' मानक कोड में 7-बिट कोड तालिका निर्धारित की गई है जिसका प्रयोग 7 अथवा 8 बिट आई॰एस॰ओ॰ अनुरूपी परिवेश में कर पाना संभव होता है। इसमें अंग्रेजी की रोमन लिपि और भारतीय भाषाओं की लिपियों को साथ-साथ प्रयुक्त करने की सुविधा है। उल्लेखनीय है कि ''इस्की'' 10 भारतीय लिपियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यूनिकोड बहुभाषी पाठ के लिए एक 16-बिट सार्वत्रिक अक्षर-कोडीकरण मानक है। इस यूनिकोड को भारतीय भाषाओं की सभी प्रमुख लिपियों को लिखने के लिए शामिल किया गया है। भारतीय लिपियों के लिए यह यूनिकोड मानक इस्की-1988 पर आधारित है और इस्की-1991 अक्षर कोडीकरण का सुपर सेट है। इस्की-1991 में यह व्यवस्था है कि इसमें कोडीकृत पाठ को यूनिकोड मानों में अपने आप (स्वत:) परिवर्तित किया जा सकता है और बाद में सूचना को वापस मूल कोडिंग में लाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वापस मूल कोडिंग में लाते समय सूचना की कोई क्षति भी नहीं होती।

(ख) कुंजी-पटल का मानकीकरण: हिंदी के मानक कुंजी-पटल की भी समस्या है। हिंदी के विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों-फोंटों आदि की सहायता से डाटा एंट्री किए जाने वाले कुंजी-पटल का भी मानकीकरण नहीं है। कुंजी-पटल की भिन्नता की वजह से कंपनियों ने अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग कुंजी-पटल विकसित कर दिए हैं। जबकि कंप्यूटर के आगमन से पूर्व भारत में टाइपराइटर बनाने वाली दो प्रमुख कंपनियों- रेमिंगटन और गोदरेज- का ही कुंजी-पटल लोक-प्रचलित एवं सर्वव्यवहार्य था।

कुंजी-पटल में मानकता लाते हुए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने ''इनस्क्रिप्ट'' नामक एक कुंजी-पटल का निर्माण किया है। इस कुंजी-पटल को भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा की दृष्टि से विकसित किया गया है। वहीं दूसरी ओर, हिंदी टाइपिंग सीखने के झंझट से बचने के लिए अंग्रेजी कुंजी-पटल के इनपुट के माध्यम से हिंदी में कार्य करने हेतु जिस कुंजी-पटल का प्रयोग बढ़ रहा है। इसे ध्वन्यात्मक कुंजी-पटल (फोनेटिक की-बोर्ड) कहा जाता है। इस तरह, हिंदी में आज तीन प्रकार के कुंजी-पटल उपलब्ध हैं-इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन और ध्वन्यात्मक कुंजी-पटल। इसके अलावा, हिंदी में ''एम॰एस॰ ऑफिस 2003'' जैसे सॉफ्टवेयरों में यह भी व्यवस्था की गई है कि कंप्यूटर पर हिंदी में लिखने के लिए अपना सुपरिचित कुंजी-पटल जोड दिया जाए और उसे अपनी आवश्यकतानुसार अनुकूलित भी कर लिया जाए। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग की ऊहापोह स्थिति बन जाती है।

(ग) **फोंटो का मानकीकरण:** अक्षर कोडीकरण मे मानकीकरण लाते हुए यूनिकोड फोंट विकसित करना एक अच्छा प्रयास था। किंतु कुछ निर्माता अपने-अपने मानक निर्धारित करके सॉफ्टवेयर या फोंट विकसित कर रहे हैं। उन्होंने ''इस्की'' को नकारते हुए हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं हेतु इंटरफेस देने के लिए विभिन्न प्रकार के फोंट बना लिए। स्थिति यह हो गई कि कोई ''इस्की'' का उपयेाग करता है तो कोई ''इस्फोट'' और कोई अपनी विकसित की गई शैली का। फलस्वरूप हिंदी फोंट के मामले मे अराजकता को देखा जा सकता है। हालांकि फोंट विकसित करने से यह सुविधा होती है कि सॉफ्टवेयर को विकसित किए बिना ही हिंदी मे काम करना संभव बनाना। यह कंप्यूटर में हिंदी में काम करने का छोटा रास्ता है। वर्तमान समय मे अनेक प्रकार के फोंट विकसित हो चुके हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं -''शिवा'', ''नारद'', ''आगरा'', ''अर्जुन'', ''अंकित'', ''माया'', ''पंकज'', ''हेमंत'', ''कणिका'', ''कृष्ण'', ''अजय'', ''सुलभ'',

''प्रतीक्षा'', ''चंदा मीडियम'', ''सरोज'', ''वर्षा'', ''विमल'', ''रावण'', ''रिचा'', ''कृति'', ''नई दिल्ली'', ''चाणक्य'' आदि। इस प्रकार के फोंटो ने स्वयं में आपसी भिन्नता बनाई हुई है। इस भिन्नता को समाप्त करके एक रूपकता स्थापित करना मानकीकरण का प्रमुख भाग है।

आज बाजार में सैकड़ो गैर-मानक फोंट उपलब्ध होने के कारण ऊपर से देखने पर यह एक प्रकार की सम्पन्नता दिखाई देती है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना का आदान-प्रदान कठिन हो गया है। मानकीकरण के अभाव के कारण भारतीय भाषाओं और विशेष तौर पर हिंदी में ई-मेल ओर इंटरनेट पर काम बहुत कम हो पा रहा है। इसके अलावा, भारतीय भाषाओं में सूचनाओं के आदान-प्रदान की कोशिश विफल रहती है तथा फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करने में भारी परेशानी उठानी पड़ जाती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक कंप्यूटर पर तैयार की गई हिंदी की फाइल भिन्न प्रोग्राम वाले किसी दूसरे कंप्यूटर पर खुल/चल नहीं पाती। विभिन्न प्रकार के फोंटों की सहायता से विभिन्न अनुप्रयोगों (applications) में न ही समुचित कार्य किया जा सकता है और न ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इसके अलावा, यह भी समस्या है कि उत्पादन के स्तर पर भी कंप्यूटर प्रणाली में भारतीय भाषाओं के फोंट नही डाले जाते। बाजार में सैकड़ो फोंट उपलब्ध होने की वजह से लोग उन्हें खरीदकर या फिर मुफ्त में डाउनलोड कर लेते हैं। वे लोग अपनी-अपनी भाषाओं के फोंट डाल लेते हैं। किंतु ऐसा करके वे फोंटों की भिन्नता की समस्या खड़ी कर देते हैं।

वस्तुत: भारतीय भाषाओं के फोंटों की समस्या, मानकीकरण की समस्या है। जिन भाषाओं का सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग होता है उनके कुछ मानक तो होने ही चाहिए। ऐसा होने पर ही सभी क्षेत्रों में हरेक प्रकार की कंप्यूटर संबंधी इस तरह की अनेक कठिनाइयों पर काबू पाना संभव हो सकेगा। इस संदर्भ में सबसे पहली कोशिश तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई थी। उन्होंने 1999 में तमिल भाषा के कुंजी-पटल का मानकीकरण किया था। बाद में केंद्र के स्तर पर पहल की गई और इस समस्या से निपटने के लिए अभी कुछ समय पूर्व ही केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक ऐसी घोषणा की है जिसके कार्यान्वयन से देश में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आ सकती है। इस घोषणा की कार्यान्वयन-योजना के तहत पहले चरण में भारतीय भाषाओं के फोंट मुफ्त बांटे जा रहे हैं। जब सभी कंप्यूटरों में एकसमान फोंट होंगे तो स्वाभाविक है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से संवाद करना संभव भी होगा और आसान भी। मंत्रालय का यह भी प्रयास है कि ये मानक फोंट और टूल्स सभी नए कंप्यूटरों के निर्माण के स्तर पर ही मौजूद हों। इस व्यवस्था को कानूनी तौर पर अनिवार्य रूप से लागू कराने पर फोंटों की एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी।

इस योजना से अनुप्राणित होकर सी-डैक ने सभी 22 भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर उपकरण और फोंट विकसित करके उन्हें जनता को नि:शुल्क उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार, भारतीय भाषाओं के लिए जारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक मील का पत्थर है। वैसे कार्यकुशलता, गति, सटीकता आदि की दृष्टि से इसकी सार्थकता समय की कसौटी पर ही सिद्ध होगी। किंतु यदि जनता इसे उपयोग में लाए और अपनी प्रतिपुष्टि (फीडबैक) दे तो उसके आधार पर संशोधन-परिवर्धन करते हुए इसका नया संस्करण भी तैयार किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सहज-सुलभ होने से उनकी उपयोगिता में कई गुणा बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस उपयोगिता में बढ़ोतरी से कंप्यूटर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी उपयोगी होने लगेगा। अंतत: इसका कंप्यूटर उत्पादकों को ही लाभ होगा।

(2) कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में हिंदी भाषा का मानकीकरण

अगर हम कंप्यूटर के संदर्भ में हिंदी भाषा के मानकीकरण पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि इसके कई पक्ष अथवा अंग है, जिनपर इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए (क) हिंदी वर्णाकृति, (ख) वर्णमाला, (ग) वर्णक्रम, (घ) वर्तनी, (डी) उच्चारण, (च) वाक्य विन्यास, (छ) शब्दावली; और (ज) पारिभाषिक शब्दावली जैसे विभिन्न पक्षों की ओर ध्यान देना होगा। आइए, इनपर क्रमशः विचार करें।

(क) वर्णाकृतिः मानकीकरण का सबसे पहला संबंध वर्णाकृति से है। इसके अंतर्गत यह विचारणीय रहता है कि वर्ण किस रूप में लिखा जाए, उसकी विभिन्न रेखाओं का अनुपात क्या हो आदि। अभी तक वर्णाकृति का मानक रूप तैयार था। इसलिए हिंदी के अक्षरों की बनावट का दायित्व मुद्रण के अक्षर बनाने वाली कंपनियों पर था। इस कारण हिंदी भाषा में ''ध'' आदि अक्षर अपने रूप से भिन्नता लिए हुए नजर आते थे। अगर वर्णों की आकृतियां सही दिशा में न हों तो इससे भम्र की स्थिति बन जाती है। उदाहरण के लिए, ''द'' लिखते समय अगर नीचे घुंडी की रेखा थोड़ी-सी घूम जाए तो वह ''ड'' वर्ण की भांति प्रतीत होगा। इसी प्रकार की स्थिति ''प'' और ''य''; एवं ''उ'' और ''ड'' वर्ण की भी है। ऐसे भिन्न प्रकार के वर्णों की वजह से कंप्यूटर के सार्थक प्रयोग में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर के ''वर्णक्रम पहचान कार्यक्रम'' (ओ॰सी॰आर॰) के लिए भाषा की वर्णाकृति का मानकीकृत रूप में होना अपेक्षित है। वर्णाकृति के मानकीकृत होने से कंप्यूटर पर शब्दों की सेटिंग का कार्य सरलता से और सही-सही निष्पादित हो जाता है।

(ख) वर्णमालाः यही स्थिति वर्णमाला के मानकीकृत रूप की भी है। वर्णमाला के मानकीकरण का पक्ष मूलतः विभिन्न वर्णों की बनावट से संबंधित है। हिंदी मे कुछ ध्वनियों के लिए कहीं-कहीं दो-तीन भिन्न आकार तक मिलते हैं। इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए वर्ण-विशेष की किसी एक आकृति को मानक वर्ण का दर्जा दिया जाता है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्णमाला के अक्षरों को मानकीकृत करते हुए कुछ वर्णों को अमानक माना है और कुछ को मानक। उदाहरण के लिए ''झ'' के पुराने ''झ'' को अमानक मानना। इसी प्रकार अ, ख, छ, ण, भ, श, आदि। किंतु कई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माता अपनी इच्छानुसार वर्ण का आकार निश्चित कर देते हैं। हिंदी भाषा के इस पक्ष के संदर्भ में भी कंप्यूटर प्रणाली के मानकीकरण की ओर ध्यान देना जरूरी है। भाषा सीखने जैसे कार्यक्रमों के संदर्भ में वर्णमाला का निश्चित क्रम के रूप में मानकीकरण होना आवश्यक है।

(ग) वर्णक्रमः यही स्थिति वर्णक्रम (अकारादिक्रम) के मानकीकृत रूप की भी है। वर्णक्रम और शब्दकोशों में ''क्ष'', ''त्र'' ''ज्ञ'' वर्णों के स्थान तो लोगों में अक्सर भम्र की स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए वर्णक्रम के मानकीकृत होने से कंप्यूटर पर शब्दों की सेटिंग का कार्य सरलता से और सही-सही निष्पादित हो जाता है। हांलाकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सी॰एच॰डी॰) द्वारा देवनागरी वर्णक्रम को मानकीकृत कर लेने के बावजूद कई सॉफ्टवेयर एवं फोंट निर्माता इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

(घ) वर्तनीः हिंदी में वर्तनी के स्तर पर भी वैविध्य नजर आता है। हिंदी मे काफी अधिक ऐसे शब्द हैं जो भिन्न-भिन्न रूपों में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, ''जलदी/जल्दी'', ''बिलकुल/बिल्कुल'', ''परिवर्द्धन/परिवर्धन'' आदि। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं और कुछेक शब्दों में मानकीकरण का प्रयास भी किया है। वहीं, कुछेक ऐसे भी शब्द भी हैं जिनके प्रचलित भिन्न-भिन्न (दो अथवा तीन) रूपों को

निदेशालय ने स्वीकृति प्रदान की है। यह वास्तव में मानकीकरण की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। और अगर हम इसे कंप्यूटर के प्रयोग के संदर्भ में देखें तो इससे काफी कठिनाई होती है। जबकि भाषा में वर्तनी के स्तर पर मानकता लाकर कंप्यूटर का सार्थक उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर के संदर्भ में इसके लिए वर्तनी के किसी एक रूप को प्राथमिक रूप में गिनना होगा और कंप्यूटर उसी प्राथमिक रूप वाली वर्तनी को पहले प्रयुक्त करेगा। कंप्यूटर पर कोश निर्माण संबंधी कार्य को भली प्रकार से सम्पन्न करने के लिए वर्तनी का मानकीकृत होना विशेष तौर पर जरूरी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित वर्तनी के मानकीकरण संबंधी नियमों का अनुपालन कई कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(ङ) उच्चारण: हिंदी भाषा में उच्चारण के स्तर पर भेद सबसे अधिक व्याप्त नजर आता है। यह भेद स्थानीय विशेषताओं के कारण अधिक है। हालांकि भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उच्चारण का प्राय: मानकीकरण नहीं किया जाता। इसका मूल कारण यह है कि उच्चारण एक अमूर्त विषय है, यह दिखाई नहीं पड़ता। उच्चारण के स्तर पर जो भेद नजर आता है, उसकी वजह से कंप्यूटर के ''वाक् से पाठ'' (Speech to Text) जैसे कार्यक्रमों से भली प्रकार से कार्य-निष्पादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कंप्यूटर के स्तर पर बड़े शब्दों में स्थानीयता का पुट तो ग्राहय हो सकता है (जैसे ''विस्लेसन/विश्लेषण'', ''पंतनिरपेकता/पंथनिरपेक्षता'' आदि) किंतु सादी/शादी'' जैसे छोटे शब्द कठिनाई पैदा करते हैं। इसलिए सही उच्चारण के रूप में भाषा के मानकीकरण का आग्रह बना रहता है।

(च) वाक्य-विन्यास: हिंदी में वाक्य-विन्यास के स्तर पर भी भिन्नता नजर आती है। उदाहरण के लिए ''मुझे जाना है'' के स्थान पर ''मैंने जाना है'' या फिर ''मुझे चाहिए'' के स्थान पर ''मेरे को चाहिए'' का प्रयोग करना। हालांकि कुछेक लोग इसे एक विकल्प अथवा स्थानीय प्रभाव मानते हैं जबकि व्याकरणिक दृष्टि से यह एक त्रुटि है। और कुछेक लोग इस प्रकार के वाक्य-विन्यास को भाषा-शैली का नाम भी दे देते हैं। इसलिए त्रुटि, शैली और विकल्प आदि स्थितियों के संदर्भ में हिंदी भाषा में और विशेष तौर पर कंप्यूटर के वाक्य-विन्यास और रूपावलियों का मानकीकृत होना जरूरी है। ''व्याकरण जांच'' आदि जैसे कंप्यूटर के कार्यक्रम के लिए मानकीकृत वाक्य-विन्यास ओर रूपावलियों का प्रयोग निहायत आवश्यक है।

(छ) शब्दावली: यहां ''शब्दावली'' व्यापक अर्थ-संदर्भ से प्रयुक्त की जा रही है। यहां यह शब्द और अर्थ के संदर्भ में तथा शब्द-रचना के संदर्भ में प्रयुक्त किया जा रहा है। यह शब्दावली भाषा के सामान्य शब्दों और उनके अर्थ (शब्दार्थ) से संबंधित है। सामान्य शब्द के अर्थ को मानकीकृत रूप देने से अभिप्राय यह नहीं कि उसके अर्थ को सीमित कर दिया जाए। वास्तव में शब्दार्थ के मानकीकरण करते हुए शब्द के और प्रयोग को सुनिश्चत किया जाता है। शब्दावली और शब्दार्थ का मानकीकरण करके कंप्यूटर में दर्ज शब्दावली को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि अंग्रेजी जैसी इतर भाषा के सैकड़ों शब्दों की बेतहाशा घुसपैठ की वजह से ''वर्तनी'' जांच अथवा ''श्रुतलेखन'' जैसे कार्यक्रमों के बेहतर इस्तेमाल में व्यवधान न पैदा हो।

(ज) पारिभाषिक शब्दावली: इसी प्रकार, पारिभाषिक शब्दों के मानकीकरण को भी देखा जा सकता है। चूंकि पारिभाषिक शब्द स्वयं में पारिभाषिकता लिए हुए होते हैं और ये विभिन्न संकल्पनाओं के लिए निर्मित किए जाते हैं इसलिए भाषा के कमोबेश सभी पारिभाषिक शब्द मानकीकृत रूप लिए हुए होते हैं। हालांकि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कार्य अखिल भारतीय स्तर पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है, किंतु ज्ञान-विज्ञान के

विविध क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली की एकरूपता का अभाव नजर आता है। ऐसे में अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करके पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को रोका जा सकता है और राजभाषा हिंदी का विकास किया जा सकता है। राजभाषा के व्यवहार में पारिभाषिक शब्दावली के अलग-अलग रूप न ही स्वीकार्य हैं और न ही व्यवहार्य। ऐसे में पारिभाषिक शब्दावली का मानकीकृत रूप ही सहायक सिद्ध होगा।

कंप्यूटर पर हिंदी के इन मानकीकृत पक्षों के समाहित होने से ''कंप्यूटर अनुवाद'' और ''भाषा शिक्षण'', ''वर्तनी जांच'', व्याकरण जांच'' जैसे कार्यक्रमों की उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। मानकीकृत व्यवस्था में कंप्यूटर की अपार क्षमता का इष्टतम उपयोग संभव है। इसलिए भाषा के इन अंगों और कंप्यूटर प्रणाली को मानकीकृत करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हिंदी तकनीकी दृष्टि से तैयार हो और इससे अंतत: हिंदी भाषा के विकास को गति प्राप्त हो। इतना तो निश्चित ही है कि मानकीकरण से कंप्यूटर के प्रयोगमूलक अनुप्रयोग विकसित करने की दिशा में सहायता प्राप्त होगी जिससे अंतत: प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में अभिवृद्धि होगी, उत्पादकता एवं कार्य-कुशलता में बढ़ोतरी होगी। कुंजी-पटल, फोंटो आदि के मानकीकरण की समस्या के कारण हिंदी कंप्यूटर प्रयोग की ऊहापोह स्थिति को उपयोगकर्ताओं द्वारा हिंदी कंप्यूटर प्रयोग से दूर किया जा सकता है। कंप्यूटर सहित सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए, उनसे जुड़ी समस्याओं का आकलन करके उनके यथासंभव समाधान के उपायों को खोजा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अंत में कहा जा सकता है कि आम धारणा यही है कि कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने की सुविधाएं न के बराबर हैं। अब इस धारणा को तोड़ने का समय आ गया है। इसके मूल कारण को मानकीकरण से जोड़कर देखना होगा ताकि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार आदि जैसों की भांति हों जो हर जगह (यूनिवर्सल) काम कर सके। इस स्थिति मे बेहतरता लाने के लिए मानकीकरण की आवश्यकता है। मानकीकरण को विकास का अनिवार्य कारक तत्व कहा जा सकता है। इससे देश का तकनीकी विकास तो होगा ही, साथ ही समग्र विकास भी होगा। तकनीकी विकास की दृष्टि से पिछड़ापन, देश के विकास में बाधक ही रहेगा। इसलिए मानकीकरण के प्रयास दो स्तरों पर किए जाने की आवश्यकता है-(क) हिंदी भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर का मानकीकरण, और (ख) कंप्यूटर के संदर्भ में हिंदी भाषा का मानकीकरण। उल्लेखनीय है कि मानकीकरण की दिशा में भी हिंदी में काम हुआ है और हो रहा है। मानकीकरण होने से डेस्क टॉप पर कार्य करते समय इंटरनेट पर हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में काम सरलता से किया जा सकेगा। इससे एक मशीन पर किये गये काम को दूसरी मशीन पर संसाधित कर पाना सरल हो जाएगा। अत: आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में कंप्यूटर सुविधाओं की उपलब्धता और विकास की संभावनाओं के प्रति अधिकाधिक लोगों को जागरूक बनाया जाए और इस तकनीक का हमारे सभी व्यवहार-क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए। इसलिए यह कहना सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी का बहुमुखी विकास, आज के समय की मांग है। सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का दल-बल के साथ प्रवेश हो चुका है।

—असिस्टेंट प्रोफेसर
अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
ब्लॉक 15-सी, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

सोशल मीडिया और हिंदी

—डॉ. एम एल गुप्ता

इक्कीसवीं सदी ने सूचना-प्रौद्योगिकी को ऐसे आयाम दिए हैं जिनसे दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गई है जहां एक ओर कल्पनाएं विभिन्न रूपों में वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में जाकर आकार लेती हैं और साकार होती हैं। सूचना-प्रौद्योगिकी की प्रगति ने दुनिया को भौचक्का कर दिया है। इंटरनेट के रूप में एक ऐसे महाशक्तिशाली जिन्न का आगमन हुआ है जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अंतरजाल के मायाजाल में लेना प्रारंभ कर दिया है। समग्र विश्व की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ज्ञान-विज्ञान, संचार-सेवाएं, अर्थतंत्र, ज्ञान-विज्ञान और कला-साहित्य से लेकर, मनोरंजन जगत सभी कुछ इसके दायरे में है। जिस प्रकार काल्पनिक कथाओं का जिन्न पलक झपकते ही असंभव को संभव कर देता है, कुछ वैसे ही इंटरनेट के माध्यम से पलक झपकते ही करोड़ो संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। इंटरनेट का चमत्कारी जिन्न जो कल तक उच्च शिक्षित और संपन्न वर्ग के पास था अब मोबाइल के रूप में गरीब से गरीब आदमी की जेब में पहुंच चुका है।

इंटरनेटर के पसरते जाल को यदि आंकड़ों के चश्मे से देखें तो पता लगता है कि विश्व में इंटरनेट का प्रयोग करनेवालों की संख्या लगभग 3.17 अरब है जबकि विश्व की जनसंख्या 7.232 अरब है। यदि इस आबादी में से शिशुओं, वृद्धों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की संख्या को घटा दिया जाए तो यह प्रतिशत और बढ़ जाता है। फिर अशिक्षित या आर्थिक कारणों से इंटरनेट तक पहुंच न रखनेवाले लोागें को भी इस संख्या से घटा दिया जाए तो शेष लगभग पूरा विश्व इंटरनेट के जाल में आ चुका है। दुनिया के इस प्रबलतम संचार माध्यम से दुनिया का समग्र ज्ञान-विज्ञान, साहित्य व्यापार-व्यवसाय, रक्षा-सुरक्षा, बैंकिग व तमाम आर्थिक गतिविधियों सहित सभी प्रकार की प्रणालियां इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं, जहां नहीं जुड़ी हैं वहां जुड़ रही हैं। 1991 तक एक भी वैबसाइट नहीं थी लेकिन अब करीब 100 करोड़ वैबसाइट रजिस्टर्ड हैं जो दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इंटरनेट का नेटवर्क हटते ही या घटते ही दुनिया का कामकाज ठप्प हो जाता है। व्यापार-व्यवसाय, बैंकिग सहित तमाम आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं।

अगर भारत की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2010 तक करीब 1 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद इसने जो गति पकड़ी तो मात्र 18 महीनों में इसमें 10 करोड़ का इजाफा हो गया। भारत के लोग अब तेजी से इस जाल से जुड़ रहे हैं और लगभग हर महीने करीब 50 लाख नए लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2018-19 तक भारत में इंटरनेट का प्रयोग करनेवालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानि भारत की एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी इंटरनेट पर होगी। साइट से प्राप्त लगातार बढ़ते आकड़ों के अनुसार 8 जुलाई दोपहर तीन बजे यह संख्या 31 करोड़ साठ लाख को छू रही थी जिसमें हर मिनट करीब 150 लोग जुड़ रहे थे। विश्व की 730 करोड़ की आबादी में करीब 300 करोड़ यानि 40% लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं जिस पर प्रति सेकंड करीब 24 लाख ई मेल भेजे जाते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो वाट्सऐप पर प्रति सैकेंड करीब ढाई लाख संदेश भेजे जाते हैं। यू ट्यूब पर करीब एक लाख वीडियो देखे जाते हैं। गूगल जैसे विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन पर प्रति सैंकेंड 60 हजार से भी

ज्यादा सर्च किए जाते हैं और फेसबुक पर प्रति सेकंड 50 हजार से ज्यादा लाइक किए जाते हैं।

इंटरनेट के जिन्न ने सोशल मीडिया के रूप में जब अपने पांव पसारने शुरु किए तो अब यह एक नए रूप मे एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में भी उभर कर आया है। मन की बात जो कभी चिट्ठी से होती थी, सोशल मीडिया की चैट से होती हैं। अंतरजाल ने सोशल मीडिया के जरिए जहां एक ओर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बैठे लोगों को आमने-सामने बैठा दिया तो दूसरी और मोबाइल के जरिए अंतरजाल पर व्हाट्सऐप व फेसबुक में उलझे, आमने-सामने बैठे लोगों को दूर भी कर दिया है। socialmediacases. blogspot. वैबसाइट पर 'ई-मार्केट रिर्पोट' के आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट का प्रयोग करनेवाले करीब 75% लोग फेसबुक ट्वीटर, गूगल, लिंकदिन, यू ट्यूब आदि किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं और अपने मित्रों रिश्तेदारों, सहकर्मियों और समाज के विभिन्न लोगों के साथ चैट यानि सीधे बातचीत, संदेश तस्वीरें और वीडियो या विचारों आदि का आदान-प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारतवासी प्रतिदिन औसतन अलग-अलग सोशल मीडिया नेटवर्क पर 30 मिनिट खर्च करते हैं। इस रिर्पोट के मुताबिक 2017 तक भारत में सोशल मीडिया से जुड़नेवालों की संख्या 28 करोड़ 30 लाख होने की संभावना है। इंटरनेट मोबाइल ऐसोसिएशन (IAMAI) के आंकड़ो के अनुसार शहरी भारत में जून - 2013 तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करनेवालों की संख्या 6 करोड़ 60 लाख तक थी जो 2014 मध्य तक करीब 8 करोड़ तक होगी। सोशल मीडिया से जुड़े इन भारतीयों में करीब 25% ऐसे हैं जो कस्बों में रहते हैं। एक रिर्पोट के अनुसार मोबाइल फोन के इंटरनेट से जुड़ने के बाद करीब 70 प्रतिशत लोग सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन के माध्यम से जुड़े हैं।

भाषा आज कागजों से निकलकर इंटरनेट की दुनिया में अपना मजबूत आधार बना चुकी है। अब भाषा के प्रसार का पैमाना कागजी दुनिया नहीं बल्कि इलैक्ट्रॉनिक तरंगों की दुनिया है। साहित्य और ज्ञान-विज्ञान भी पुस्तकों से निकलकर तेजी के साथ ई-पुस्तकों में परिविर्तत होता जा रहा है। प्रकाशन, मुद्रण, वितरण और विपणन के दायरों से बाहर निकलकर साहित्य ने ई-पत्रिकाओं और सोशल मीडिया पर अपना नया ठिकाना खोज लिया है। यहां कोई भी रचनाकर घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में साहित्य-प्रेमियों तक अपनी रचना क्षणभर में निर्बाध रूप से पहुंचा सकता है। यही नहीं अंतरजाल यानि इंटरनेट की दुनिया में बना सोशल मीडिया साहित्य जगत का ऐसा अनन्त महासागर है जहाँ चौबीसों घंटे साहित्य-प्रेमी साहित्य का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रव्य-दृश्य सुविधाओं से लैस होने के चलते ई-कविता पाठ और ई-संगोष्ठी के रूप में कवि सम्मेलनों, मंचीय काव्य पाठ और संगोष्ठियों के विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत कर रहा है। अपनी रचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने के लिए आर्थिक सीमाओं व प्रकाशकों पर निर्भरता समाप्त हो रही है जिसके चलते साहित्य अल्मारियों में रखी और अक्सर धूल खाती पुस्तकों से निकलकर इलैक्ट्रॉनिक तरंगों के रथ पर सवार हो कर देश के कोने कोने में प्रसार की वाहक बनी हुई है।

अंतरजाल के विविध रूपों पर विशेषकर सोशल मीडिया की अन्तहीन चौपालों पर अब दुनिया के कोने-कोने के रचनाकार घंटों एक साथ गुजारते हैं। जिसके चलते विभिन्न भाषाओं के साहित्य के साथ-साथ हिंदी का साहित्य भी सार्वभौमिक होता जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व तक क्षेत्र या देश विशेष के साहित्य की जो एक खास पहचान होती थी अब धीरे-धीरे वैश्विक रंगत लेने लगी है। हर देश में भाषा-साहित्य की हलचल की पल-पल की खबर, शिकवे-शिकायत, पसंद-नापसंद तथा वाह से आह और लालियों से गालियों तक तत्काल ऑन लाइन उपलब्ध है। इसलिए विश्वस्तर पर विभिन्न देशों में हिंदी साहित्य की

विवेचना, परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन भी आवश्यक है।

सूचनाओं का केंद्र वेबसाइट और पोर्टल हैं। ज्ञान का सागर–विकीपीडिया और हिंदी में ज्ञानकोष जैसे ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। हालांकि देश में इस समय हिंदी में बड़ी संख्या में समाचार पोर्टल, ब्लॉग, विभिन्न विषयों की वेबसाइट, सोशल मीडिया समूह हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्वस्तर पर हिंदी साहित्य, ज्ञान–विज्ञान और अनेक रूपों में हिंदी की स्थिति का जायजा लेना हो तो हमें दुनिया के अन्य देशों की इंटरनेट पर भारत की उपस्थिति तथा विश्व की दूसरी भाषाओं के मुकाबले भारत की प्रमुख भाषा हिंदी की स्थिति को समझना होगा।

30 करोड़ से भी अधिक संख्या के साथ इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं में चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। प्रतिशत की दृष्टि से चीन में 21.97% अमेरिका में 9.58 के बाद 8.33% के साथ भारत तीसरे नंबर पर हैं और इसकी वार्षिक वृद्धि दर करीब 16% है। लेकिन प्रयोगकर्ताओं के प्रतिशत की दृष्टि से भारत इन देशों में भी सबसे नीचे के पायदान पर है। इन्टरनेट का इस्तेमाल करनेवाले की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश होने के बावजूद यदि इन्टनेट पर भारत की प्रमुख और विश्व की अग्रणी भाषा हिंदी की स्थिति को देखें तो चौंकानेवाले आंकड़े सामने आते हैं। भाषावार स्थिति देखें तो ज्ञात होता है कि अंग्रेजी 55.5% के साथ शीर्ष पर है और उसके बाद रूसी भाषा 5.9% के साथ रूसी भाषा दूसरे स्थान पर है फिर उसके बाद जर्मन, जापानी, स्पैनिश, फ्रेंच, चीनी, पुर्तगाली, इटैलियन आदि भाषाओं का स्थान है। इस क्रम में 35वें स्थान पर केटालन का स्थान है इंटरनेट पर जिसकी सामग्री 0.1% है। लेकिन हिंदी की स्थिति 0.1% से भी कम है और दुनिया की अनजान सी भाषाएँ भी इस मामले में हिंदी से काफी आगे हैं। यह स्थिति भी तब है जबकी इंटरनेट का प्रयोग करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

ज्ञान–विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों के साहित्य में हिंदी की स्थिति का भी पता लगाया जाए। विकीपीडिया मुक्तज्ञान कोष पर ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा की सामग्री के आंकड़ों से भी हम इंटरनेट पर हिंदी में ज्ञान–विज्ञान की सामग्री का पता लगा सकते हैं। 12 जुलाई 2015 को दोपहर 12 बजे के विकीपीडिया मुक्तज्ञान कोष के आंकड़ों के अनुसार वरीयता क्रमानुसार विकीपीडिया मुक्तज्ञान कोष पर भाषाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:-

1. अंग्रेजी 2. स्वीडिश. 3. जर्मन 4. डच 5. फ्रेंच 6. वार्य–वार्य 7. रूसी 8. केबुनाओं 9. इटालियन 10. स्पेनिश 11. वियेतनामी 12. पोलिश 13. जापानी 14. पुर्तगाली 15. चीनी 16. यूक्रेनियन 17. कैटालियन 18. पर्शियन 19. सर्वो क्रोटियन 20. नॉर्वेइयन 21. फिनिश 22. अरबी 23. इंडोनिशियन 24. रोमानियन 25. चैक 26. हंगेरियन 27. सर्बियन 28. कोरियन 29. मलय 30. टर्किश 31. मिनांगकाबॉ 32. ऐस्पेरेन्टो 33. कज्ज़ाख 34. बैस्कुयू 35. डेनिश 36. स्लोवाक 37. बल्गारियन 38. हिब्रू 39. अरमेनियन 40. लिथुआनियन 41. क्रोटियन 42. स्लोवेनियन 43. इस्टोनियन 44. 45. उज़बेक़ 45. गैलिशियन 46. नॉर्वेनियन 47. बोलापुक 48. लेटिन 49. सरल अंग्रेजी 50. ग्रीक 51. हिंदी।

इसी प्रकार 1 लाख से अधिक के समूह में भी हिंदी सबसे निचले पायदान पर है। अन्य भारतीय भाषाएँ तो उससे भी नीचे यानि 10 हजार से अधिक के समूह में ही दिख सकती हैं । जबकि अनेक ऐसी भाषाएँ जो छोटे–छोटे देशों की हैं और अनजानी सी भाषाएँ हैं जिनके नाम तक कभी नहीं सुने गए वे हमसे बहुत आगे दिखाई देती हैं। आंकड़ों के अनुसार उपरोक्त भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाएँ इस मामले में काफी नीचे हैं। इस प्रकार देखें तो यहाँ भी स्थिति लगभग वैसी ही हैं। उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि विश्व में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की स्थिति दयनीय और चौंकानेवाली है। लेकिन भारत में

इंटरनेट पर भारत की विश्व में द्वितीय स्थिति के बावजूद केवल हिंदी ही नहीं भारत की तमाम भाषाएँ मिलकर भी अंग्रेजी के 8,510,000,000 के आंकड़े के निकट पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि विश्व की भाषा और उनके बोलनेवालों की संख्या के अनुपात में हिंदी बोलनेवालों की तादाद और इंटरनेट पर भारत की प्रभावी उपस्थिति के बावजूद हिंदी और भाषा के साहित्य के पिछड़ने के कारणों की मीमांसा करते हुए सुधार के उपायों पर विचार किया जाए।

भारत जैसे देश में जहाँ मुश्किल से चार-पाँच प्रतिशत लोग अच्छी तरह अंग्रेजी जानते हैं। ऐसे में पूरे देश को तमाम सुविधाओं-सेवाओं से लाभान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि ये तमाम सुविधाएँ देश की भाषा में हों और देश के लोग अपनी भाषा में इनका प्रयोग कर सकें। लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व और भारतीय भाषाओं में उक्त सुविधाओं के अभाव के चलते आज भी हम इनका समुचित लाभ नही उठा पा रहे हैं।

इंटरनेट और उससे जुड़ी सेवाओं से देश को जोड़ने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसी तथ्य को ध्यान में रखकर विश्व के कई प्रमुख देशों ने अपने देश के अलग से सर्च इंजिन तैयार किए हैं। विश्व में विशेषकर भारत में गूगल जैसे सर्च इंजिन सर्वाधिक प्रयोग में हैं। लेकिन अपनी भाषा के प्रयोग और उपयुक्तता को ध्यान में रखकर चीन, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपना खुद का सर्च इंजिन तैयार कर लिया है। इन सर्च इंजिनों को वहाँ की भाषा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चीन ने बाइडू को 2001 में लॉच किया था। इस समय चीन में 60.5% से अधिक लोग बाइडू का प्रयोग करते हें जबकि 0.1% ही गूगल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार रूस ने 1997 में ही येनडेक्सालॉच कर दिया था। रूस में 59.9% लोग येनडेक्स का और 32.8 प्रतिशत गूगल का और अन्य पर 7.5% लोग इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण कोरिया ने 1999 में नवर नाम से अपना सर्च इंजिन बना लिया था। दक्षिण कोरिया में 73% लोग नवर का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दिशा में भारत और भारतीय भाषाएँ कही नहीं है। हम आज भी लगभग पूरी तरह गूगल और दूसरे सर्च इंजिनों पर ही निर्भर हैं। यह भी कि इंटरनेट की दुनिया में हम आज भी अपनी भाषा की प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सके है। भारत को भी अब इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि देश के लोग अपनी भाषाओं को और हिंदी को रोमन लिपि के बजाए देवनागरी में लिखें।

भारत जैसे देश में जहां अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम है और हिंदी जानने वालों की संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पिछड़ने से एक बात स्पष्ट होती है कि आज भी इंटरनेट का विस्तार मुख्यत: महानगरों व नगरों तक ही है जहां अपेक्षाकृत अंग्रेजी का चलन अधिक है। आज भी देश की अधिकांश जनता इन सेवाओं से दूर है। हालांकि इस मामले में विश्व में भारत को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए भारत सरकार ने देश में डिजिटल योजना प्रारंभ की है। इसी क्रांति को मूर्त रूप देने और भारत के विकास की गति को तीव्र गति प्रदान करने के लिए उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल-इंडिया के माध्यम से सरकार की गांव-गाँव तक इंटरनेट सर्वसुलभ करवाने की योजना है। निश्चय ही इस योजना से इस क्षेत्र में भारत अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है।

यूरोपियन यूनियन में ज्ञान-विज्ञान आदि के क्षेत्र में जब कोई सामग्री विकिपीडिया आदि में आती है तो उन्नत अनुवाद प्रणालियों के माध्यम से अविलंब अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी चली जाती है लेकिन हम इस दिशा में भी काफी पीछे हैं और भारतीय भाषाओं में भी परस्पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना सके हैं। हमें ऐसी व्यवस्थाएँ करनी होंगी जिससे कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान अविलंब हिंदी

में भी नियमित रूप से आ सके और हिंदी में शिक्षा और अनुसंधान कार्य पर जोर दिया जाए।

आज जबकि फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान की तरफ बढ़ रहा है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी भारत की महत्वपूर्ण उपस्थिति है और सोशल मीडिया मोबाइल के माध्यम से समाज के निचले वर्ग तक पहुंचने के बावजूद इंटरनेट पर हिंदी व भारतीय भाषाओं की स्थिति में वैसा सुधार नहीं दिखता। इसका प्रमुख कारण यह है कि हिंदी भाषियों व हिंदी के अनेक साहित्यकारों आदि सहित ज्यादातर भारतीय अपनी भाषा को देवनागरी लिपि या अपनी भाषा की लिपि के बजाए रोमन लिपि में लिखते हैं और जब सर्च इंजिन फॉट्स को पहचानते हैं तो रोमन लिपि के चलते हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की सामग्री भी अंग्रेजी की होकर निकलती है।

अगर सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसमें फेसबुक बाकी सबसे काफी आगे है जिस पर करीब 97% लोग हैं। फेस बुक के प्रयोग में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। एक सर्वेक्षण के अनुसार वेबसाइटों पर 40% से ज्यादा ट्रैफिक सोशल मीडिया साइटों खासकर फेसबुक के माध्यम से होता है। कई बड़ी बेवसाइटों का भी यही मानना है कि उनकी खबरों को ज्यादातर हिट्स फेसबुक आदि के माध्यम से मिलते है। ऐसा इसलिए कि स्थानीय भाषाओं का कन्टेंट आसानी से सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर किया जाता है। इसीलिए फेसबुक व ट्वीटर जैसी सोशल साइट्स हिंदी के कंटेंट आदि विषय सामग्री पर विशेष जोर दे रही हैं।

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी की बढ़ती धमक के बावजूद यह उपस्थिति पूरी तरह आंकड़ों में परिलक्षित नहीं हो पाती। इसका एक प्रमुख कारण है हिंदी में कंप्यूटर और मोबाइल जैसे उपकरणों पर हिंदी में टंकण का ज्ञान न होना। यदि आप हिंदी-भाषियों के समूह से पूछें तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो सकारात्मक उत्तर दे। इससे भी चिंताजनक स्थिति यह यह है कि वे लोग जिनकी रोजी-रोटी का जरिया किसी भी रूप में हिंदी है उन में भी ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो इन उपकरणों पर हिंदी में कार्य में सक्षम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने को उत्सुक अनेक साहित्यकार भी ऐसे हैं जो रोमन में हिंदी लिखकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इसके चलते वह सामग्री जो हिंदी भाषा में तो हैं लेकिन हिंदी की लिपि यानि देवनागरी के बजाए अंग्रेजी की लिपि रोमन में है वह हिंदी के बजाए अंग्रेजी के आंकड़ों में शमिल हो जाती है।

हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के लिये यूनिकोड फॉन्ट की व्यवस्था हो जाने के बाद और सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान इन्स्क्रिप्ट की व्यवस्था होने के बाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में काम करना काफी सरल हो गया है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर पर काम करना जानता है वह मात्र 18 घंटे के अभ्यास से हिंदी में अच्छी गति के साथ कप्यूटर पर टंकण कर सकता है। जो यह की-बोर्ड सीख ले वह दुनिया में कही भी हिंदी या अन्य किसी भी भारतीय भाषा में कार्य कर सकता है। इसके अलावा इस समय माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि जैसी बड़ी कंपनियों ने ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा दिए हैं जिनमें रोमन लिपि के माध्यम से भी अंग्रेजी की गति से हिंदी में टाइप किया जा सकता है। इंटरनेट पर सर्च और ई-मेल से लेकर सोशल मीडिया तक स्मार्ट मोबाइल फोन का इस्तेमान होने लगा है। एंड्रॉयड फोन सहित ज्यादातर स्मार्ट फोन पर भी यही की-बोर्ड उपलब्ध है। एंड्रॉयड फोन सहित ज्यादातर स्मार्ट फोन पर भी इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड के अलावा ऐसे से कई ऐप्स उपलब्ध हैं जिनसे बिना की-बोर्ड अभ्यास के भी मोबादल पर हिंदी में टंकण किया जा सकता है।

आज भी देश में प्राय: ऐसी व्यवस्था नहीं है कि स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर आदि उपकरणों व सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देते समय ही हिंदी व

भारतीय भाषाओं में कार्य के लिए निर्मित उन्नत एवं वैज्ञानिक इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड का प्रशिक्षण दिया जाए। नतीजतन कोई व्यक्ति भले ही उसे अंग्रेजी का अति अल्पज्ञान हो, वह भी देख कर रोमन की-बोर्ड की मदद से हिंदी को भी रोमन में टंकित करता है। इसलिए भारत के सभी स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर सूचना-प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत हिंदी अथवा किसी भी भारतीय भाषा में इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाए और उसका अभ्यास करवाते हुए उस भाषा संबंधी कार्य, उसका प्रयोग करवाया जाए क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं के लिए मानक रूप में यह एक ही की-बोर्ड है। इस दिशा में सभी भारतीय भाषाओं द्वारा साझा रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है ।

एक विडंबना यह है कि हिंदी के क्षेत्र में भाषायी साहित्य अधिकांशत: ललित साहित्य तक सिमटता जा रहा है। जहा अंग्रेजी सहित विश्व की तमाम अग्रणी भाषाएँ हर क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती हैं वहीं हिंदी भाषियों नें जाने-अनजाने हिंदी को साहित्य और मनोरंजन तक सीमित कर दिया है। ज्ञान-विज्ञान ही नहीं शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों और जनसेवाओं से भी हिंदी धीरे-धीरे बाहर होती जा रही है और हम हिंदी के मामले में कविता-कहानी, हास्य मनोरंजन से आगे निकलने को तैयार नहीं हैं। इसी सोच के चलते केंद्रीय कार्यालयों में सरकारी कार्य हिंदी में करवाने के बजाए राजभाषा के नाम पर मनोरंजन, गीत-संगीत, कवि सम्मेलन और चुटकलेबाजी जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिखाई देता है। हमें यह बात समझनी होगी कि यदि हिंदी जन-जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों व कार्य-व्यापार, शिक्षा तथा ज्ञान-विज्ञान की भाषा नहीं रहेगी तो प्रचलन में भी ह्रास होना निश्चित है। ऐसे में हिंदी में मीडिया व साहित्य पर भी इसका प्रतिकूल पड़ना स्वाभाविक है। इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी की अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाएं बंद होती गई हैं। हिंदी में रोजगार की संभावनाओं के घटने के चलते विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति रुझान में कमी आई है। इसलिए हिंदी को प्रौद्योगिकी के साथ व्यवहार व व्यवसाय की भाषा बना कर ही हिंदी भाषा व साहित्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

अब जबकि पूरी दुनिया डिजिटल आकार ले रही है। देश-दुनिया की तमाम सेवाएं-सुविधाएं धीरे-धीरे ऑनलाइन होकर अंतरजाल में समा रही हैं। बहुत कुछ ऑनलाइन हो चुका है और सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के चलते जल्द ही बहुत कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। बिना इंटरनेट के दुनिया की गाड़ी का पहिया चल नहीं सकेगा। इसलिए यथार्थ को स्वीकार करते हुए यथार्थ की दुनिया से आभासी दुनिया यानि वर्च्युअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए दुनिया के साथ कदमताल करनी होगी। प्रगति के नए सोपानों को छूने के लिए ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र की नई चुनौतियों और आयामों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ने के लिए डिजिटलीकरण, सूचना-प्रौद्योगिकी के नवीनतम स्वरूपों को अपनाते हुए हिंदी व भारतीय भाषाओं में इसके लाभ पूरे देश को सुलभ करवाने होंगे। इसलिए यह उचित समय है कि शिक्षा साहित्य सूचना, ज्ञान-विज्ञान व विभिन्न कार्य-प्रणालियों में भाषा-प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हिंदी का समावेश किया जाए। नए युग की आवश्यकताओं को समझते हुए हिंदी के प्रयोग व प्रभाव के मद्देनजर आगे बढ़ने के लिए दूरदृष्टिपूर्वक दीर्घकालिक नीति बनानी होगी।

—सहायक निदेशक,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थान, छठा तल,
केंद्रीय सदन, सी बी डी बेलापुर, नवी मुबंई-400614
Migee123@gmail.com

हिंदी शिक्षण की भाषा

—डा॰ जयप्रकाश कर्दम

किसी भी भाषा का प्रगति और विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक बिंदु है, उस भाषा का शिक्षण। केवल बोलने मात्र से कोई भाषा विकसित नहीं हो सकती, और न प्रसार पा सकती है। भाषा के विकास और प्रसार के लिए आवश्यकता है—उसका पढ़ना, लिखना और बोलना और इस सबका आधार शिक्षण है। भाषा को संस्कृति का प्रवेश द्वार माना जाता है, और इसका कारण यह है कि किसी भी समाज की संस्कृति को उसकी भाषा के माध्यम से ही जाना और समझा जा सकता है। भाषा संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। संस्कृति का संरक्षण भाषा के द्वारा ही सम्भव है। इसके अलावा, भाषा सम्प्रेषण का आधार है। सम्प्रेषण के मुख्य रूप से वाचन और लेखन हैं। साहित्य और सरकारी काम लेखन द्वारा ही सम्भव है। कहा जा सकता है कि लोक-साहित्य की परम्परा अलिखित या वाचिक रही है। किंतु लोक-साहित्य का संग्रह लिख कर ही किया गया है और आज लोक-साहित्य भी लिखित रूप में ही उपलब्ध है।

संघ सरकार की राजभाषा नीति के तीन मुख्य आधार हैं और इन आधारों पर ही राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन निर्भर करता है। ये आधार हैं: प्रशिक्षण, अनुवाद और निरीक्षण। इनमें सबसे प्रमुख है हिंदी भाषा का प्रशिक्षण। जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा कार्मिक हिंदी में कामकाज नहीं कर पाएंगे। भाषा प्रशिक्षण के इस महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ही सन 1952 से केंद्र सरकार के हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं रखने वाले कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने हेतु हिंदी प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। देश भर में फैले केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और स्वायत्त संस्थान आदि में कार्यरत कार्मिको को हिंदी भाषा का यह प्रशिक्षण पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (तब शिक्षा मंत्रालय) के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना के तहत दिया जाता था। सन 1955 में इसे गृह मंत्रालय के अधीन किया गया। 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई सन 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कर हिंदी शिक्षण योजना को इसके अंतर्गत लाया गया। वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर हिंदी शिक्षण योजना को इसके अंतर्गत लाया गया। वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर में विभिन्न महानगरों/नगरों/उपनगरों में कुल 386 केंद्रों पर हिंदी प्रशिक्षण सफलापूर्वक दिया जा रहा है।

संघ के राजभाषा उपबंधों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के हिंदीतर भाषाभाषी कार्मिकों को हिंदी में अपना कार्यालयीन कार्य करने में दक्षता प्रदान करने के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक एवं स्नातक स्तर के हिंदी ज्ञान के चार पाठ्यक्रम, नामत: प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत तैयार कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों में भाषा शिक्षण के चारों सोपानों—बोधन, भाषण, वाचन और लेखन को महत्ता दी गयी है। इस प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम ''प्रबोध'' है, जिसका स्तर प्राइमरी स्कूल की हिंदी के बराबर है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को भाषा-ज्ञान के साथ-साथ भाषा व्यवहार की ओर उन्मुख करना है। इस पाठ्यक्रम में हिंदी वर्णमाला, देवनागरी लिपि तथा मानक वर्तनी के अभ्यास के बाद क्रमश: शब्द-वाक्य संरचना द्वारा अपने आसपास के परिवेश से संबंधित

बोलचाल की हिंदी सिखाना है। तदुपरांत ''प्रवीण'' पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को सामाजिक भाषा व्यवहार के साथ-साथ सरकारी कामकाज की शब्दावली से परिचित कराया जाता है। 'प्राज्ञ' पाठ्यक्रम के द्वारा भाषा के आधारभूत आयामों के ऊपर 'प्रशासन और कार्यालयीन भाषा' में कार्य करने हेतु हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान कराया जाता है।

किंतु यह देखने में आया है कि प्राज्ञ स्तर तक का प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्मिक कार्यालयीन काम चलाऊ हिंदी लिखने में तो सक्षम हो जाते हैं, लेकिन जहां तक प्रशासनिक, वित्तीय एवं नीतिगत आदि विभिन्न विषयों पर फाइलों आदि पर मूल से टिप्पणी और मसौदा आदि लिखने में जिस कार्यालयीन हिंदी की अपेक्षा की जाती है, उसमें कार्मिकों की भाषा पर व्यापक पकड़ सहित दक्षता और आत्म-विश्वास की कमी उनके आड़े आती है। इन्हीं कारणों से राजभाषा हिंदी कार्यालयीन कार्य में गति नहीं पकड़ पा रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करवाने के लिए प्राज्ञ से उच्च स्तर की विषय वस्तु पर आधारित 'पारंगत' पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

जैसाकि उल्लेख किया गया है, हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अलग-अलग भाषाभाषी क्षेत्रों में दिया जाता है। कई बार एक ही कक्षा में अलग-अलग प्रातों के रहने वाले तथा भिन्न-भिन्न भाषाभाषी प्रशिक्षाणार्थी होते हैं। उन सबकी उच्चारण शैली भिन्न होती है और बहुत से शब्दों का सभी भाषाओं में एक ही अर्थ नहीं होता, अपितु अलग-अलग भाषा में अलग-अलग अर्थ होते हैं।

इसके अलावा, कई शब्दों का ज्ञान के किसी क्षेत्र में एक अर्थ होता है तो दूसरे क्षेत्र में उसी शब्द को दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक भाषा में प्रचलित शब्दों का संबंध उस भाषिक जन-समूह के वैचारिक सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में हिंदी प्रशिक्षक के लिए बहुत कठिन होता है कि वह किसी शब्द का कौन सा अर्थ या पर्याय प्रशिक्षणार्थियों को बताए, जो उनको अपने अधिक निकट, अनुकूल और ग्राह्य लगे।

प्रशिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है—शब्दावली या भाषा। किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को ''शब्द'' कहा जाता है। सामान्यतया अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से शब्द तीन तरह के होते हैं। सामान्य शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। आमतौर पर सामान्य शब्दों का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है जैसे—दाल, रोटी, सब्जी, घर, मकान आदि। अर्ध-पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन के अलावा पारिभाषिक शब्दों के रूप में भी किया जाता है जैसे—विधि, आलोचना, धारा हुण्डी आदि, पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान के एक क्षेत्र में विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यथा-सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, संसद, संविधान आदि। साधारण और पारिभाषिक शब्दों के बीच एक अंतर होता है कि पारिभाषिक शब्दावली सीमाओं में बंधी होती है, जबकि साधारण शब्द किसी सीमा में बंधे नहीं होते। साधारण शब्द के अर्थों में भी विविधता होती है, जबकि पारिभाषिक शब्द एकार्थी होते हैं। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग सामान्य बोलचाल में नहीं होता, अपितु ऐसे शब्दों का विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जाता है।

सहजता और सरलता भाषा का एक गुण है, जो उसे प्रवाहमान बनाता है। जहां प्रवाह है, वहीं ताजगी है। कबीर ने जो कहा ं है 'भाषा बहता नीर' तो उसका तात्पर्य यही है कि भाषा में सहज, सरल और जन-सामान्य द्वारा प्रयुक्त और उसकी समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग करने से ही भाषा आगे बढ़ती है। प्रांज्जलता भाषा-ज्ञान या पाण्डित्य की परिचायक हो सकती है, किंतु यह भाषा को दुरूह और जटिल बनाती है और भाषा के प्रवाह को बाधित या सीमित करती है। भाषा को सहज होने के प्रांज्जलता से मुक्त होने के

साथ-साथ लोक जीवन से जुड़कर चलना आवश्यक है। लोक जीवन जितना सरल होता है, उससे आई शब्दावली भी उतनी ही सहज होती है। जिस आम बोलचाल की भाषा के प्रयोग की मांग सरकारी क्षेत्र में की जाती है, उसकी पूर्ति लोक जीवन की शब्दावली के अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा ही सम्भव है। इसलिए भाषा प्रशिक्षण में हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की स्पष्टता और सुबोधता का ध्यान रखे जाने के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव एकरूपता लाने हेतु ऐसे शब्द अपनाने को महत्व दिया जाता है जो अधिक से अधिक प्रांतीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हों। भाषा को सरल और सहज बनाए रखने के लिए ऐसे शब्दों को भी अपनाया जाता है जो हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे— telegraph/telegrame के लिए तार, continent के लिए महाद्वीप, post के लिए डाक आदि। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे— टिकट, सिग्नल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेस्तरां, डीलक्स आदि को इसी रूप में अपनाया जाता है।

जहां तक राजभाषा हिंदी का संबंध है, यह न तो साहित्यिक हिंदी है और न ही ठेठ आम बोलचाल की भाषा है। यह दोनों के बीच की, एक अलग तरह की भाषा है। साहित्यिक भाषा शिक्षित वर्ग की भाषा है, जिसका लेखक शब्दों की जादूगरी या चमत्कार दिखाता है, उनके द्वारा अपनी प्रतिभा या पाण्डित्य का प्रदर्शन करता है। तत्समता से युक्त साहित्यिक भाषा में एक प्रकार की श्रेष्ठता का भाव होता है। इसके विपरीत आम बोलचाल की या जन-भाषा अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित वर्ग की भाषा होती है और जो तत्समता से मुक्त होती है। इसमें कोई दिखावा या बनावट नहीं, न कोई उलझाव-सुलझाव होता है। यह दुरुहता से मुक्त एकदम सीधी-सपाट, तद्भव या देशज भाषा होती है। सरकारी कार्मिकों को हिंदी का प्रशिक्षण देते समय ऐसी शब्दावली के प्रयोग की आवश्यकता है जो जन-सामान्य द्वारा प्रयुक्त अथवा उसकी समझ में आने वाली शब्दावली होने के साथ-साथ शिक्षित वर्ग द्वारा समझी जाने वाली हो। अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित वर्ग तत्सम शब्दावली से प्रायः अपरिचित होता है।

जब हम तत्समता की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें शुद्धता और श्रेष्ठता के भाव का समावेश होता है। यह शुद्धता समाज के सभी वर्गों को एक साथ, एक ही प्लेटफार्म पर न लाकर उनके बीच विभाजन करती है। भाषा के आधार पर ही एक व्यक्ति को सभ्य और दूसरे व्यक्ति को गंवार कहने की प्रवत्ति समाज में है। इसलिए राजभाषा हिंदी ऐसी हिंदी है, जो साहित्यिक और जन-भाषा दोनों के बीच की भाषा है। यह भाषा दोनों वर्गों के बीच खाई बनाती या बढ़ाती नहीं है, अपितु उनके बीच की खाई को पाटती है। इसमें दोनों वर्गों द्वारा सहज रूप में प्रयुक्त शब्दावली का मिश्रण होता है। इस प्रकार यह भाषा प्रत्येक वर्ग के निकट और उनके लिए ग्राह्य भी हो जाती है। हिंदी भाषा के प्रशिक्षण में इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहज, सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

यदि प्रशिक्षण में प्रयुक्त हिंदी भाषा के शब्द प्रशिक्षार्थी को अपनी भाषा के निकट लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से वे उसे अपने से लगेंगे और वह सकारात्मकता के साथ हिंदी को लेगा तथा अधिक तन्मयता और गम्भीरता से हिंदी सीखने की कोशिश करेगा। इसलिए हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षक यथासंभव स्थानीय भाषा का प्रयोग कर हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देवनागरी लिपि में देते हैं ताकि प्रशिक्षार्थी आसानी से हिंदी सीख सकें। इसमें प्रशिक्षकों को स्थानीय भाषा सीखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता हैं। इसके लिए कोई सेवाकालीन प्रशिक्षण उनको नहीं मिलता, न ही स्थानीय भाषा सीखने के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई भत्ता अथवा प्रोत्साहन मिलता है। यह वे स्वयं अपने संसाधनों से, अपनी प्रेरणा से सीखते हैं। प्रशिक्षण की यह विधि बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। प्रत्येक भाषा में बहुत से

ऐसे शब्द मिलेंगे जो अन्य भारतीय भाषाओं में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इससे उन हिंदी शब्दों को प्रशिक्षार्थी सहजता से ग्रहण कर लेता है जो उसकी अपनी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों के अलावा, इनमें मिलते-जुलते अथवा इन शब्दों के प्रयोग से बचने वाले अन्य शब्दों को भी वह सहजता से समझ लेता है। इससे न केवल उसे हिंदी सीखना सरल हो जाता है अपितु वह हिंदी से जुड़ जाता है। अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा के माध्यम से हिंदी सिखाने और स्थानीय भाषा के माध्यम से हिंदी सिखाने में यह बुनियादी फर्क है कि अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा के माध्यम से प्रशिक्षार्थी हिंदी सीख कर परीक्षा पास कर सकता है। किंतु, अपनी भाषा के माध्यम से हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त कर वह परीक्षा पास करने के अलावा हिंदी के साथ जुड़ता है। जुड़ने और जोड़ने की यह भावना ही हिंदी की खासियत है। हिंदी की इस खासियत के कारण ही हिंदी की संस्कृति को सामासिक अर्थात् जोड़ने वाली संस्कृति कहा जाता है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी पाठ्यक्रमों में यह पूरी चेष्टा की गयी है कि पाठ्यक्रमों में दुरूह और कठिन शब्दों का समावेश न हो। हिंदी प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। शब्द और उनके अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाएं इसके लिए शब्दों के समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य गठन अभ्यास आदि के माध्यम से सहज ढंग से हिंदी सीखने एवं सिखाने पर जोर दिया जाता है। हिंदी सिखाते समय राजभाषा हिंदी के स्वरूप एवं प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, कार्मिकों को रूपांतरण अभ्यास, कार्यालयीन हिंदी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय एवं अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय, हिंदी पत्राचार, टिप्पणी, लेखन, हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आदि के माध्यम से राजभाषा हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ-साथ यूनिकोड के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्यालयीन कामकाज करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन सभी प्रशिक्षणों में हिंदी शब्दावली के सहज एवं सरल रूप पर विशेष बल दिया जाता है, जैसे-संस्तुति के लिए सिफारिश, स्वीकृति के लिए मंजूरी, विद्युत के लिए बिजली, चिकित्सालय के लिए अस्पताल, अभियंता के लिए इंजीनियर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा हिंदी के प्रशिक्षण कार्य के दौरान पारिभाषिक शब्दावली और सामान्य शब्दावली दोनों का समुचित प्रयोग किया जाता है तथा ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है जो पारिभाषिक शब्द तो हैं लेकिन सामान्य रूप से प्रचलित नहीं हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है कि पारिभाषिक शब्द कभी सरल नहीं हो सकते, यह सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो सहज-सरल हैं लेकिन बहुत से लोग उनका प्रयोग करने से कतराते हैं तथा अपना ज्ञान और विद्वता प्रदर्शित करने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि आम जनता को समझ में ही न आएं। शब्दों के प्रयोग में यह सावधानी बरती जानी अपेक्षित है कि उनका उच्चारण जितनी सहजता से किया जा सके, उतनी ही सहजता से उन्हें समझा भी जा सके। राजभाषा हिंदी के शिक्षण-प्रशिक्षण का एक मात्र उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में सक्षम बनाना है। इसलिए हिंदी प्राध्यापकों की यह कोशिश होती है कि धीरे-धीरे आम व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले सामान्य शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के दायरे में शामिल कर प्रशिक्षार्थियों को उनका ज्ञान कराएं ताकि सरकारी कामकाज में इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा मिले और हिंदी आगे बढ़े।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शब्दकोषीय शब्दावली की परिधि से बाहर निकला जाए तथा सरकारी कामकाज में सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। जब तक

सामाजिक व्यवहार में आने वाले, सहज, सरल शब्दों का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होगा तब तक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए Abolish शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे–खत्म करना/तोड़ना, मिटाना/हटाना/समाप्त करना आदि। किंतु सरकारी तंत्र में इस शब्द का प्रयोग प्रायः पदों को समाप्त करने के अर्थ में होता है। इसी तरह license शब्द के लिए शब्दकोश में अनुज्ञा, अनुज्ञापत्र आदि शब्द मिलेंगे किंतु सामान्य व्यवहार में इसे प्रायः लाइसेंस ही कहा और समझा जाता है। हिंदी शिक्षण में इस तरह के श्ब्दों के सामान्य व्यवहार में आने वाले पर्यायों का प्रयोग करना सीखने को अधिक महत्व दिया जाता है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त कुछ शब्द उनके पर्यायों सहित यहां दिया जा रहे हैं:

1.	Abolish	खत्म करना/समाप्त करना/हटाना
2.	Able	योग्य/निपुण/प्रवीण
3.	Act	अधिनियम/कर्म
4.	Action	कार्य/क्रिया/कार्रवाई
5.	Acknowledgement	प्राप्ति सूचना/पाव
6.	Acknowledgement	प्राप्ति सूचना/पाव
7.	Addressee	पानेवाला/प्रेषिती
8.	Advance	पेशगी/अग्रिम
9.	Advice	सलाह/हिदायत/मशवरा
10.	Against	खिलाफ़/विरुद्ध/प्रतिकूल
11.	Allowance	भत्ता/मुजराई
12.	Annual	वार्षिक/सालाना
13.	Approval	अनुमोदन/स्वीकृति समर्थन
14.	Assistant	सहायक/नायब
15.	Arrears	बकाया/बची हुई राशि/शेष
16.	Arival	आगमत/आने का स्थान
17.	Assurance	आश्वासन/ढांढस/भरोसा
18.	Article	लेख/अनुच्छेद/वस्तु
19.	Adhoc	तदर्थ
20.	Aspect	नजरिया/पक्ष/पहलू
21.	Assessment	आंकलन/निर्धारण/मूल्यांकन/ कर निर्धारण
22.	Absorb	खपाना/आमेलन/समाहित करना
23.	Above	ऊपर/उपर्युक्त/उपरोक्त
24.	Abroad	विदेश में/देश से बाहर
25.	Allocated	आवंटित/निश्चित की गई राशि/ बांटा गया भाग
26.	Amount	राशि/रकम/धनराशि
27.	Amendment	संशोधन/दुरूस्ती/सुधार
28.	Annoy	चिढ़ाना/खिझाना/परेशान करना
29.	Autonomous	स्वायत्त/स्वायत्तशासी/ स्वराज के अधीन
30.	Appointment	नियुक्ति/नियोजन/अपॉइंटमेंट/ मिलने का निश्चित समय
31.	Attach	संलग्न करना/नत्थी करना/ सम्बद्ध होना/कुर्क करना
32.	Audit	लेखा–परीक्षा/आडिट/ खातों की जांच परीक्षण
33.	Backbone	रीढ़/आधार/मुख्य सहारा
34.	Backed	सहारा देना/प्रोत्साहित करना/ मतैक्य जताना
35.	Background	पृष्ठभूमि/परिप्रेक्ष्य/पार्श्व/पिछवाड़ा
36.	Backup	बैकअप/मदद/अतिरिक्त खिलाड़ी/समर्थन करना
37.	Backwardness	पिछड़ापन/पीछे रह जाना
38.	Bad-Tempered	चिड़चिड़ा/उतावला/अधीर/असहिष्णु/ धैर्यशून्य
39.	Bail	जमानत/प्रतिभूति/मूठ/हत्था/दस्ता
40.	Bait	लुभाना/फसाना/आकर्षित करना
41.	Balance	शेष/संतुलन/काँटा/तराजू/बराबर
42.	Beware	चौकस/सचेत/सतर्क/सावधान
43.	Bewitch	फंसना/रिझाना/लुभाना/ सम्मोहित करना
44.	Birthmark	जन्मचिह्न/पैदाइशी निशाना
45.	Bithplace	जन्मस्थान/पैदाइश की जगह/उद्गमस्थल
46.	Birth Right	जन्मसिद्ध अधिकार/पैदाइशी हक
47.	Bitterness	कटुता/कड़वाहट/तीखापन
48.	Blackmail	ब्लैकमेल/धमकी द्वारा रुपया लेना/ भेद खोलने की धमकी
49.	Blockade	नाकाबंदी/घेराबंदी/अवरोध
50.	Blunt	कुंद/मुंहफट/स्पष्टवादी/भोथरा
51.	Bogus	जाली/झूठा/नकली/बोगस

52.	Boldly	बेखटके/निधड़क/निडरतापूर्वक
53.	Bond	ऋणपत्र/प्रतिभूति/बांडा/अनुबंध/संबंध
54.	Bookie	सट्टेबाज/बुकी
55.	Bored	उबाऊ/गैरदिलचस्प/अरोचक/थकानेवाला
56.	Bourgeoisie	पूंजीपति/बुर्जुआ/पूंजीपति वर्ग
57.	Brave	बहादुर/दिलेर/निडर/साहसी
58.	Bribe	रिश्वत/घूस/प्रलोभन
59.	Brief	हिदायत देना/सार सक्षेंप/मुख्तसर
60.	Builder	बिल्डर/निर्माता/बनानेवाला
61.	Burden	बोझ/भार/जिम्मेदारी
62.	Busy	व्यस्त/मशगूल/कार्यरत
63.	Body	शरीर/बदन/पिंड
64.	Bilingual	द्विभाषिक/दो भाषाओं में
65.	Certificate	प्रमाण-पत्र/प्रमाणक/सनद
66.	Circular	परिपत्र/गश्ती चिट्ठी/गोलाकार
67.	Clarification	स्पष्टीकरण/विशुद्ध करना/ विशुद्धीकरण
68.	Claim	दावा/मुआवजा/नालिश/मांग
69.	Compliance	अनुपालन/आज्ञापालन
70.	Compensatory	मुआवज़ा/क्षतिपूरक/प्रतिपूरक
71.	Complaint	शिकायत/फरियाद/गिला/उलाहना/ परिवाद
72.	Complainant	भियोक्ता/परिवादी/शिकायतकर्ता/मुद्दई
73.	Conduct	चाल-चलन/आचरण/संचालन
74.	Code of Conduct	आचरण संहिता, व्यवहार के नियम
75.	Comments	टिप्पणी/टीका-टिप्पणी/तबसरा
76.	Competition	मुकाबला/होड़/प्रतियोगिता
77.	Commission	दलाली/आढ़त/आयोग
78.	Commissioner	आयुक्त/कमिश्नर/जिला अधिकारी/ राज-दूत
79.	Continuation	सिलसिला/लगातार/विस्तार/अनुक्रम
80.	Correspondence	चिट्ठी-पत्री/पत्र-व्यवहार/लिखा पढ़ी/ पत्राचार
81.	Concurrence	एका/मेल/सहमति
82.	Constitution	संविधान/विधान/संघटन/गठन
83.	Consent	मरज़ी/मतैक्य/सम्मति
84.	Competent	निपुण/सक्षम/समर्थ
85.	Condition	स्थिति/हालात/दशा/शर्त
86.	Controlled	के अधीन/के काबू में/नियंत्रणाधीन
87.	Confiscate	जब्त करना/कुर्क करना/ले लेना
88.	Corporation	नगरपालिका/निगम/निकाय
89.	Create	बनाना/सृजन/तैयार करना
90.	Commerce	व्यापार/वाणिज्य/तिजारत
91.	Committee	पंचायत/सभा/समिति
92.	Cost	खर्च/कीमत/लागत
93.	Creation	रचना/निर्माण/सृजन
94.	Damage	नुक़सान/टूट-फूट/क्षति/चट्टी
95.	Daily	रोज़ाना/हररोज़/प्रतिदिन
96.	Data	आंकड़े/तथ्य/डाटा
97.	Democracy	स्वराज्य/जनतंत्र/लोकतंत्र
98.	Decision	फैसला/निश्चय/निर्णय
99.	Development	उन्नति/प्रगति/विकास
100.	Demi Official	अर्ध-सरकारी/अर्ध- शासकीय
101.	Demotion	पद घटना/पदावनति
102.	Demonetise	नोटबंदी/विमुद्रीकरण
103.	Designation	ओहदा/उपाधि/पदनाम/
104.	Distribution	वितरण/विभाजन/बांट
105.	Deputation	प्रतिनिधि की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियोजन
106.	Desired	वांछित/पसंद का/एच्छित
107.	Deserted	वीरान/सुनसान/उजाड़ा/परित्यक्त
108.	Discipline	सीख/अध्ययन का विषय/अनुशासन
109.	Discussion	बहस/चर्चा/विचार-विमर्श/सलाह-मशविरा
110.	Disposal	खत्म करना/निपटान/फैसला
111.	Division	बंटवारा/मंडल/खंड/डिवीजन
112.	Documents	दस्तावेज/सनद/कागजात
113.	Doubt	शक/संदेह/संशय
114.	Draft	ख़ाका/मसौदा/प्रारूप
115.	E-Mail	ई-मेल/इलेक्ट्रॉनिक मेल/तीव्र पत्र
116.	Earned	अर्जित/उपर्जित
117.	Early	आरंभ का/पहले का/प्रारंभिक
118.	Eco&Friedly	पर्यावरण-अनुकूल
119.	Economy	किफायत/कमखर्ची/अर्थव्यवस्था
120.	Ecological	पर्यावरणीय/पारिस्थितिक/ पारिस्थितिकीय
121.	Edge	किनारा/सिरा/कगार
122.	Efficiency	क्षमता/निपुणता/योग्यता
123.	Enquiry	पूछ-ताछ/जांच पड़ताल/तहकीक़ात
124.	Entry	द्वार/प्रवेश/इंदराज़
125.	Exchange	अदला-बदली/आदान-प्रदान/विनिमय
126.	Explanation	वर्णन/व्याख्या/समझाना/स्पष्टीकरण
127.	Estimate	अंदाजा/अनुमान/आकलन
128.	Exact	सटीक/खरा/सही

129. Exist निकास/निर्गम/प्रस्थान
130. Fable किस्सा/गप्प/अफ़साना
131. Fabulous शानदार/बढ़िया/उत्कृष्ट/उम्दा
132. Facility सुविधा/सहूलियत/अनुकूलता
133. Faithful वफ़ादार/खरा/भरोसेमंद/विश्वसनीय
134. Fact हक़ीकत/असलियत/तथ्य/सच्चाई
135. Factory फैक्टरी/कारखाना/निर्माणी
136. Factual असली/वास्तविक/सच्चा/तथ्यपूर्ण
137. Failure असफलता/अनुतीर्ण/नाकामयाबी
138. Fade फीका पड़ना/रंग उतरना/मुरझाना
139. Fake जाली/फर्जी/नकली
140. Familiar जानकार/वाकिफ/परिचित
141. Famous मशहूर/नामी/जाना माना
142. Faint बेहोश/मूर्च्छित/चकराया हुआ
143. Fanatical कट्टर/झक्की/धर्मान्ध
144. Formal दिखाऊ/बनावटी/औपचारिक
145. Forgo छोड़ देना/न लेना/त्यागना
146. Forward आगे भेजना/अग्रेषित/अग्रवर्ती
147. Forfeit ज़ब्त वस्तु/जुर्माना/दण्ड
148. Faith विश्वास/धर्म/यकीन/ईमान
149. Final अंतिम/आखिरी/अंत का
150. Finance वित्त/आर्थिक/वित्तीय/मालगुजारी
151. Free मुफ़्त/आज़ाद/बिना मूल्य के/स्वतंत्र
152. Fund कोष/निधि/पूंजी
153. Fundamental बुनियादी/मूलभूत/मौलिक
154. Gain मुनाफा/फ़ायदा/नफ़ा
155. Gateway दरवाज़ा/फाटक/कपाट
156. Generalize सामान्यीकरण करना/परिणाम/निकालना/व्यापक अनुमान लगाना
157. Genetic आनुवांशिक/उत्पत्ति संबंधी/आनुवांशिकीय
158. Gist सार/सारांश/निष्कर्ष
159. Glad आनंदित/खुश/प्रसन्न
160. Glamor तड़क-भड़क/चमक/रंग
161. Globalisation भूमंडलीकरण/वैश्वीकरण/सार्वभौमिकता
162. Glorification गुणगान/प्रशंसा/महिमागान
163. Glossary शब्दकोष/शब्दावली/अभिधान
164. Glum उदास/अप्रसन्न/मलिनमुख
165. Godown भण्डार/गोदाम/भांडागार/कोठार
166. Govern सम्भालना/संचालन करना
167. Governance अधिकार/शासन
168. Gracefully शिष्टाचारपूर्वक/तमीज से/मनोहर ढंग से
169. Garcious अनुकूल/आरामदेह
170. Honorarium मानदेय/परिश्रामिक/शुकराना
171. Habitual आदी/अभ्यस्त
172. Hack कंप्यूटर के संबंध में अनाधिकृत प्रवेश/हैक करना
173. Hailstorm ओले पड़ना/बौछार/मूसलाधार बारिश
174. Hammer हथोड़े से ठोंकना/दिमाग में गड़ा या बैठा देना/बरखास्त करना
175. Handbook गुटका/छोटी पुस्तक/विवरण पुस्तिका
176. Handcuff हथकड़ी
177. Handiwork हाथ का काम/दस्तकारी/हस्तशिल्प
178. Handover सौंपना/हस्तांतरण
179. Harass तंग करना/सताना/परेशान करना
180. Hard-Core कट्टर/खतरनाक
181. Hardly मुश्किल से/कठिनता से/शायद ही
182. Hard-Work मेहनत/परिश्रम
183. Heated गर्म/गुस्से में/उत्तेजित
184. Hence अत:/इसलिये/अब से/यहां से
185. Heritage विरासत/धरोहर/पैतृक धन
186. Hesitate संकोच करना/सकुचाना/हिचकिचाना
187. Heterogeneous पंचमेल/विजातीय/असदृश
188. Hijact लूटना/अपहरण करना
189. Historic इतिहास संबंधी/ऐतिहासिक
190. Hotchpotch गोलमाल/अव्यवस्था/गड़बड़
191. Hocus-Pocus छल-कपट/धोखेबाज़ी/ठगी
192. Honourable इज्जतदार/माननीय/प्रतिष्ठित
193. Hopeful आशापूर्ण/आशावादी/आशावान
194. Humour हाज़िरजवाबी/परिहास/विनोद
195. Hurt ठेस पहुँचाना/दर्द पहुँचाना/पीड़ा पहुंचाना
196. Hysteria मिरगी/हिस्टीरिया/उन्माद
197. Implementation कार्यान्वयन/परिपालन
198. Impound जब्त करना/छीन लेना/अवरुद्ध करना
199. Information सूचना/खबर/जानकारी/इत्तिला
200. Intensive गहन/सघन/घनिष्ठ/घना
201. Incentive प्रेरणा/प्रोत्साहन
202. Import आयात/आयात सामग्री
203. Instruction हिदायत/निदेश/अनुदेश
204. Instalment किश्त/किस्त/ऋण भाग
205 Increment बढ़ोतरी/वेतन वृद्धी/वृद्धि
206. Interest ब्याज/सूद/शौक़/हित
207. Inspection मुआइना/जांच/निरीक्षण

208.	Internal	घरेलू/अंदरूनी/भीतरी/अंदर का
209.	Inward	आवक/अंदरूनी/भीतरी
210.	Irregularity	अनियमितता/अव्यवस्था/विषमता
211.	Inevitable	अपरिहार्य/अनिवार्य/अवश्यंभावी
212.	Jam	जाम/अवरोध/ठसाठस/मुरब्बा/जैम
213.	Jammer	अवरोधक/रोधी
214.	Jealousy	ईर्ष्या/जलना/डाह
215.	Judgement	निर्णय/न्याय/फैसला/न्यायाधीश का निर्णय
216.	Junior	छोटा/कनिष्ठ/अवर/जूनियर
217.	Juvenile	नाबालिग/किशोर/किशोरी
218.	Justification	औचित्य/न्यायोचित/तर्कसंगतता
219.	Keeper	पालक/रखवाला/देख-भाल करनेवाला
220.	Knot	समुद्री मील/अंटी/गाँठ
221.	Kit	सामान/किट/सामग्री का झोला/साज-सामान
222.	Know	जानना/समझना/मालूम होना/पता होना
223.	knowingly	जानबूझ कर/ज्ञात होते हुए/मालूम होते हुए
224.	Kitty	सामूहिक धन/किटी/संयुक्त निधि
225.	Keyboard	कीबोर्ड/कुंजीपटल/कुंजी बोर्ड
226.	Lable	चिप्पी/परचा/लेबल
227.	Labour	मजदूर/मेहनत/श्रम/प्रसव
228.	Law	कानून/विधि/दस्तूर
229.	Lawlessness	अराजकता/न्यायविरुद्ध/नियम-विरुद्ध
230.	Lawyer	अधिवक्ता/वकील/मुख्तार
231.	Legitimate	कानूनी/जायज/वैध
232.	Letter	पत्र/अक्षर/चिट्ठी
233.	Leave	इज्ञा/इजाज़त/अवकाश/छुट्टी/प्रस्थान/विदा
234.	Loan	उधार//ऋण/कर्ज
235.	Liability	उत्तरदायित्व/जवाबदेही/ज़िम्मेदारी/देनदारी
236.	Limit	सीमा/हद/दायरा/पाबंदी
237.	Liquidity	नकदी/तरलता/चल निधि/द्रवता
238.	Licence	लाइसेंस/अनुज्ञापत्र
239.	Literacy	पढ़ने -लखने की योग्यता/साक्षरता
240.	Livelihood	रोज़गार/रोज़ी/आजीविका
241.	Logic	तर्क/तर्कसंगत/न्याय शास्त्र/गणितीय तर्क
242.	Luxury	सुखसाधन/ऐयाशी/विलासिता
243.	Lump Sum	एकमुश्त/पिण्डराशि
244.	Manage	प्रबंध करना/बन्दोबस्त करना/संभालना
245.	Mandate	मुख़्तारनामा/अधिकार-पत्र/जनादेश
246.	Main	ख़ास/प्रधान/प्रमुख/बड़ा/सदर
247.	Malicious	बद/दुर्भावनापूर्ण/द्वेषपूर्ण/बुरा चाहने वाला
248.	Majority	अधिकांश/बहुमत/बहुसंख्यक
249.	Ministry	मंत्रालय
250.	Maintenance	रख-रखाव/अनुरक्षण/परवरिश/भरण-पोषण
251.	Magistrate	मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/दंडाधिकारी
252.	Manifesto	ऐलाननामा/घोषणापत्र/मुखपत्र
253.	Memorandum	ज्ञापन/ज्ञापन-पत्र/मेमो/स्मृतिपत्र
254.	Mandatory	अनिवार्य/बलपूर्वक/आज्ञा संबंधी
255.	Maternity	मातृत्व/मातृभाव/माता का संबंध
256.	Margin	मार्जिन/सीमांत/हाशिया/मुनाफ़ा
257.	Miscellaneous	फुटकर/विविध/मिला-जुला
258.	Mutual	आपसी/परस्पर/पारस्परिक
259.	Murderer	खूनी/हत्यारा/मार डालने वाला
260.	Mutation	दाखिलखारिज/तबदीली/नामांतरण/उत्तराधिकार
261.	Mutually	आपस में/परस्पर/पारस्परिक रूप से
262.	Mysterious	गुप्त/गूढ़/रहस्यमय
263.	Name Plate	नाम पट्टिका
264.	Natural	कुदरती/प्राकृतिक/नैसर्गिक
265.	National Language	राष्ट्रभाषा/राष्ट्रीय भाषा
266.	Nationalism	राष्ट्रवाद/राष्ट्रीयता
267.	Necessary Action	आवश्यक कार्रवाई/जरूरी कार्रवाई
268.	Needful	आवश्यक/जरूरी/लाजिमी
269.	Negligence	लापरवाही/उपेक्षा/अनदेखी
270.	Net Amount	निबल राशि/शुद्ध राशि
271.	Neutral	उदासीन/तटस्थ/गैरजानिबदार
272.	No Objection	अनापत्ति प्रमाण-पत्र/बेबाकी प्रमाण-पत्र
273.	Nominee	मनोनीत
274.	Note	टिप्पणी/छोटी चिट्ठी/नोट
275.	Notice	सूचना/समन/चेतावनी
276.	Notification	अधिसूचना
277.	Non-Gazetted	अराजपत्रित
278.	Non-Official Member	गैर-सरकारी सदस्य
279.	Notable	उल्लेखनीय

280.	Nutritious	पौष्टिक/पोषक
281.	Next	अगला/आगामी/बादवाला
282.	Permission	आज्ञा/अनुमति/इजाजत
283.	Prevention	रोकथाम/निरोध/प्रतिबंध
284.	Programme	कार्यक्रम/सभा/मंसूबा
285.	Pulse	नाड़ी/दाल/मिजाज
286.	Price	कीमत/दाम/भाव/मूल्य/मोल/रेट
287.	Propotional	अनुपाती/आनुपातिक
288.	Oath Of Allegiance	सत्यनिष्ठा की शपथ/निष्ठा शपथ
289.	Objection	आपत्ति
290.	Obligatory	अनिवार्य
291.	Octroi Duty	चुंगी/नाका/नगर शुल्क
292.	Offence	अपराध/जुर्म
293.	Office Manual	कार्यालय नियमावली
294.	Officiating	स्थानापन्न
295.	Opening Balance	अथ शेष/शुरुआती जमा
296.	Opionion	राय/धारणा
297.	Option	विकल्प
298.	Ordinance	अध्यादेश
299.	Out Look	दृष्टिकोण/नज़रिया
300.	Out Post	सीमा चौकी/बाहरी चौकी
301.	Overtime	समयोपरि/अतिरिक्त समय
302.	Parliament	संसद
303.	Part File	खंड फाइल/खंड मिसिल/ खंड संचिका
304.	Partial	आंशिक
305.	Popular	लोकप्रिय/मशहूर
306.	Postpone	स्थगित करना/मुल्तवी करना
307.	Precise	सुस्पष्ट
308.	Policy	नीति
309.	Precedent	पूर्व उदाहरण/नज़ीर
310.	Participation	सहभागिता/भाग लेना
311.	Particulars	ब्यौरा/विवरण
32.	Part Time	अंशकालिक/कुछ समय के लिए
313.	Passport	पारपत्र/पासपोर्ट
314.	Paternity Leave	पितृत्व अवकाश/छुट्टी
315.	Payment	भुगतान/अदायगी
316.	Permanent	स्थायी
317.	Pay Scale	वेतनमान
318.	Penalty	दंड/जुर्माना/शास्ति
319.	Performance	निष्पादन/पेशकश
320.	Personnel	कार्मिक
321.	Perusal	अवलोकन/देखने के लिए
322.	Place Of Work	कार्य स्थल/कर्मभूमि
323.	Plea	दलील/तर्क
324.	Partial Modification	आंशिक तरमीम/आंशिक बदलाव
325.	Pollution	प्रदूषण/मैलापन/मालिन्य
326.	Private	निजी/वैयक्तिक/अपना
327.	Province	प्रांत/प्रदेश/रियासत
328.	Purview	दायरा/परिधि/सीमा/हद
329.	Ratio	अनुपात/परिमाण/भाग
330.	Reaction	प्रतिक्रिया/अभिक्रिया
331.	Recommendation	सिफारिश/संस्तुति/अनुशंसा
332.	Receiver	पानेवाला/प्राप्तकर्ता/गृहीता
333.	Receipt	पावती/प्राप्ति/रसीद/प्राप्त करना
334.	Refuse	मना करना/अवशिष्ट
335.	Region	प्रदेश क्षेत्र/आंचल/प्रांत
336.	Representative	प्रतिनिधि/नुमाइंदा
337.	Research	शोध/अनुसंधान/अन्वेषण
338.	Reservation	आरक्षण/रिजर्वेशन
339.	Requisite	अपेक्षित/मांग/प्रयोजनीय
340.	Requisition	मांगपत्र/अधिग्रहण
341.	Regional	आंचलिक/क्षेत्रीय/प्रादेशिक/मंडलीय
342.	Resignation	इस्तीफा/त्यागपत्र
343.	Respondent	प्रतिवादी/जवाब देह
344.	Reponsibility	उत्तरदायित्व/जवाब देही/जिम्मेदारी
345.	Resolution	संकल्प/प्रण
346.	Restriction	प्रतिबन्ध/रोक
347.	Retirement	सेवा निवृत्ति/कार्यमुक्ति
348.	Retrenchment	छंटनी/काट/घटाव
349.	Return	वापसी/लौटना/विवरणी
350.	Revenue	राजस्व/महसूल/मालगुजारी
351.	Reversion	प्रत्यावर्तन/परावर्तन/प्रतिगमन
352.	Revise	सुधारना/संशोधन/बदलना
353.	Revision	पुनरीक्षण/परिशोधन/संशोधन/दोहराव
354.	Request	निवेदन/प्रार्थना/अनुरोध/विनती/ गुजारिश/अर्ज़
355.	Roster	रोस्टर/नामावली/फर्द
356.	Routine	नेमी/दिनचर्या/नित्यकर्म/दस्तूर
357.	Royalty	अधिशुल्क/राजस्व/रायल्टी
358.	Rule	नियम/हुकुमत करना/राज/शासन
359.	Salary	तनख्वाह/वेतन/पगार
360.	Salutation	संबोधन/अभिनंदन

361.	Sanction	मंजूरी/स्वीकृति/प्रतिबंध
362.	Order	आदेश/आज्ञा/परवाना/हुकुम/अनुक्रम
363.	Sample	नमूना/प्रतिदर्श/सैंपल
364.	Sender	प्रेषक/भेजने वाला
365.	Session	अधिवेशन/सत्र/सेशन
366.	Satisfactory	संतोषजनक/पर्याप्त
367.	Saving	बचत/किफ़ायत/मितव्ययिता
368.	Schedule	अुनसूची/परिसंख्या/सारणी
369.	Scrutiny	जांच/संवीक्षा/छानबीन/तहकीकात
370.	Sealed	मोहरबंद/भली-भांति बंद किया हुआ
371.	Section	अनुभाग/अंश/खंड/टुकड़ा/भाग/अनुच्छेद
372.	Security	सुरक्षा/प्रतिभूति/जमानत
373.	Selection	चयन/चुनाव/पसन्द
374.	Senior	वरिष्ठ/प्रवर
375.	Subordinate	अधीनस्थ/मातहत/गौण
376.	Secret	गुप्त/रहस्य/राज
377.	Secretariat	सचिवालय/सेक्रेटेरियट
378.	Seller	बेचनेवाला/विक्रेता/व्यापारी
379.	Serial	क्रम/धारावाहिक
380.	Service	सेवा/मुलाजमत/सर्विस
381.	Signature	हस्ताक्षर/दस्तखत/सही
382.	Short Notice	अल्पसूचना/कम समय में बताना
383.	Sleep	नींद/निद्रा/शयन
384.	Slip	पर्ची/पताका/फिसलना
385.	Special	विशेष/खास/विशिष्ट
386.	Suggestion	सलाह/सुझाव/मशविरा
387.	Surprise	अचम्भा/अचरज/आश्चर्य/ताज्जुब/हैरत
388.	Specimen	नमूना/बानगी
389.	Staff	कर्मचारी/कार्मिक/स्टाफ
390.	Standing	स्थायी/खड़ा हुआ
391.	Statement	विवरण/कथन/वक्तव्य
392.	Stationery	लेखन साम्रगी
393.	Statistical	सांख्यिकीय/अंक विवरण- संबंधी
394.	Statutory	सांविधिक/वैधानिक/कानूनी
395.	Store	भंडार/संचय/स्टोर
396.	Subject	विषय-वस्तु/कर्त्ता
397.	Submission	प्रस्तुतीकरण/जमा करना
398.	Subsistence	अस्तित्व/गुजारा/जीविका/निर्वाह
399.	Summary	सार/संक्षेप/संग्रह
400.	Superannuation	अधिवर्षिता/निवर्तन
401.	Supersession	अधिक्रमण
402.	Succeeding	उत्तरगामी/अनुवर्ती/उत्तरवर्ती
403.	Surcharge	अधिभार/अधिशुल्क/अतिरिक्त अदायगी
404.	Surety	जमानत/जमानती/प्रतिभूति
405.	Survey	सर्वेक्षण/मापन/पैमाइश
406.	Suspension	निलंबन/मुअत्तल/रोक
407.	Swimming	तैराकी/प्लावन/तैरने की कला
408.	Symposium	संगोष्ठी/परिचर्चा/विचार-गोष्ठी
409.	Soap	साबुन/घूस/चापलूसी/खुशामद
410.	Taxation	कराधान/करारोपण/कर लगाना
411.	Technical	तकनीकी/पारिभाषिक
412.	Temporary	अस्थायी/अल्पकालिक
413.	Tender	निविदा/टेंडर
414.	Term	शर्त/मियाद/सत्र
415.	Termination	समाप्ति/अंतिम स्टेशन
416.	Test	परीक्षण/जांच/परख/आजमाइश/परीक्षा/इम्तहान
417.	Time Limit	कालावधि/समयावधि
418.	Time Scale	कालमान/कालचक्र
419.	Top Priority	सर्वोच्च प्राथमिकता/परम अग्रता
420.	Top Secret	परम गुप्त/अति गुप्त
421.	Tour	दौरा/भ्रमण
422.	Training	प्रशिक्षण/ट्रेनिंग
423.	Transport	परिवहन/यातायात/ट्रांसपोर्ट
424.	Treasury	खजाना/निधि/कोष
425.	True Copy	सत्यापित प्रतिलिपि/सही प्रतिलिपि
426.	Transfer	स्थानान्तरण/तबादला/बदली
427.	Triangular	त्रिकोणीय/तिकोना
428.	Triplicate	तीन प्रतियों में
429.	Worship	आराधना/उपासना/पूजा/इबादत
430.	Welcome	स्वागत/अभिनंदन/सत्कार
431.	Thanks	धन्यवाद/शुक्रिया
432.	Under	अधीन/कम/मातहत
433.	Ugly	कुरूप/बदसूरत
434.	Ulcer	फोड़ा/नासूर

435.	Ultimate	अंतिम/आखिरी
436.	Unappreciated	उपेक्षित/बेकदर
437.	Unauthorized	अनधिकृत/अवैध
438.	Unblemished	निष्कलंक/बेदाग
439.	Uncertain	अनिश्चित
440.	Uncompromising	मताग्रही/हठीला
441.	Uncorrupt	विशुद्ध/खरा/खालिस
442.	Undemocratic	अलोकतंत्रीय/गैर जम्हूरी
443.	Unfavourable	प्रतिकूल
444.	Unforseen	अप्रत्याशित/अनपेक्षित/यकायक
445.	Unimpeachable	अनिंद्य/निर्दोष
446.	Unique	एकमात्र/विलक्षण/लाजवाब
447.	Unlawful	अवैध/अनैतिक/गैरकानूनी
448.	Unload	माल उतारना
449.	Unofficial	अशासनिक/अशासकीय
450.	Union	संघ
451.	Unit	इकाई/एकक/मात्रक
452.	Urgent	तुरंत/तत्काल
453.	Vacancy	रिक्ति/खाली पद
454.	Vagrant	आवारा/घुमंतू/मौजी
455.	Valid	वैध/विधिमान्य
456.	Vend	क्रय/खरीद
457.	Venue	स्थान/जगह
458.	Venture	साहस/जोखिम
459.	Verbal	शाब्दिक/मौखिक/ज़बानी
460.	Verdict	निर्णय/फैसला
461.	Vet	चिकित्सा/इलाज करना/पशुचिकित्सक
462.	Verification	सत्यापन/तसदीक
463.	Vigilance	सतर्कता/सावधानी
464.	Visitor	आगंतुक/मुलाकाती
465.	Violate	उल्लंघन/तोड़ना
466.	Visible	दृष्टिगोचर/प्रत्यक्ष/ज़ाहिर
467.	Viva	मौखिक/ज़बानी
468.	Virtuous	धार्मिक/भद्र/धर्मात्मा
469.	Voluntary	स्वैच्छिक/ऐच्छिक
470.	Wage	वेतन/मजदूरी/पगार
471.	Waive	माफ़ करना/त्याग देना/छोड़ देना
472.	Warden	रक्षक/वार्डन
473.	Warehouse	गोदाम/कोठार
474.	Warrant	वारंट/आज्ञा पत्र
475.	Watchman	चौकीदार/पहरेदार/रखवाला
476.	Wastage	हानि/क्षय/बर्बादी
477.	Wedding	निराई/छँटाई/निकालना
478.	Waiting List	प्रतीक्षा सूची
479.	Welfare	कल्याण/हित
480.	Warning	चेतावनी/इशारा/संकेत
481.	Weekly	साप्ताहिक/हफ्तावार
482.	Weigh	तोल/वजन करना/भार मापना
483.	Wealth	धन/संपत्ति/दौलत
484.	Whimsical	सनकी/झक्की
485.	Whit	कण/लेश/रत्ती
486.	Withdrawal	आहरण/वापसी
487.	Witness	गवाह/साक्षी/शहादत
488.	Wick	बत्ती/वर्तिका/वात
489.	Wasteland	उजाड़/बंजर भूमि/ऊसर भूमि
490.	Waiting	प्रतीक्षा/इंतजार
491.	Withhold	रोक लेना/स्थगिक रखना
492.	World Wide	विश्वव्यापी/सार्वभौमिक/आलमगीर
493.	Workshop	कार्यशाला/कारखाना
494.	Worker	श्रमिक/मजदूर/कामगार
495.	Wordless	अवाक/नि:शब्द/खामोश
496.	Wrinkle	झुर्री/शिकन
497.	Wrong	गलत/अनुचित
498.	Wrongful	अन्याय पूर्ण/अनुचित/बेजा
499.	Xeroderma	चर्म-शुष्कता/त्वचा का रूखापन
500.	X-Ray	एक्स-रे/क्ष-किरण
501.	Yacht	यॉट/क्रीड़ा नौका
502.	Yard	गज/अहाता/बाड़ा
503.	Yarn	धागा/रेशा/तंतु/तागा/सूत
504.	Year-Book	सलाना बही/अब्दकोष
505.	Yielde	उपज/पैदावार/प्राप्ति
506.	Yardstick	मानदंड/मापदंड
507.	Zeal	उत्साह/उमंग/जोश

निदेशक
केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
नई दिल्ली-110022

'इसरो में राजभाषा हिंदी और तकनीकी गतिविधियों में समन्वय'

—संतोष कुमार

भारत विविधताओं का देश है। यहां भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, रीति-रिवाज, जाति, धर्म एवं क्षेत्र आदि के आधार पर विविधता होते हुए भी हिंदी ने सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हिंदी हमारे देश की जन-जन की भाषा है। संविधान निर्माताओं ने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इसे संविधान में राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। आज का भारत इक्कीसवीं सदी का भारत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की हासिल की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों सहित अंतरिक्ष विज्ञान एवं इसरो की तकनीकी गतिविधि भी इनमें से एक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा रहा है एवं अपनी प्रत्येक गतिविधि से आमजन को राजभाषा हिंदी में अवगत करा है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से अंतरिक्ष विभाग को मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है।

राजभाषा हिंदी एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो):

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी का प्रावधान है। संविधान के भाग-17 के चार अध्यायों में 343 तक कुल 9 अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित पूर्ण विवरण हैं। सर्वप्रथम 1955 ई॰ में श्री बी॰ जी॰ खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत भारत में प्रमुख रूप से बोली जानेवाली भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 22 भाषाओं-हिंदी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगु को संविधान में शामिल किया गया है। साथ ही, संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली, तत्सम एवं तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली के मानक रूप में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित कर उसके विकास को सुनिश्चित करने के निर्देश भी अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। हिंदी, केवल भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भारत की उन सात भाषाओं में शामिल है जिसका उपयोग वेबसाइट में किया जाता है।

अब जानें कि इसरो क्या है? इसरो अर्थात् आई॰एस॰आर॰ओ॰ का विस्तृत रूप है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात् भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो के भारत भर में विभिन्न केंद्र/यूनिट हैं। सर्वप्रथम 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ॰ विक्रम साराभाई (जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है) की अध्यक्षता में किया गया, जिसने प्रारंभ में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। इस समिति का पुनर्गठन कर अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना की गई। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों

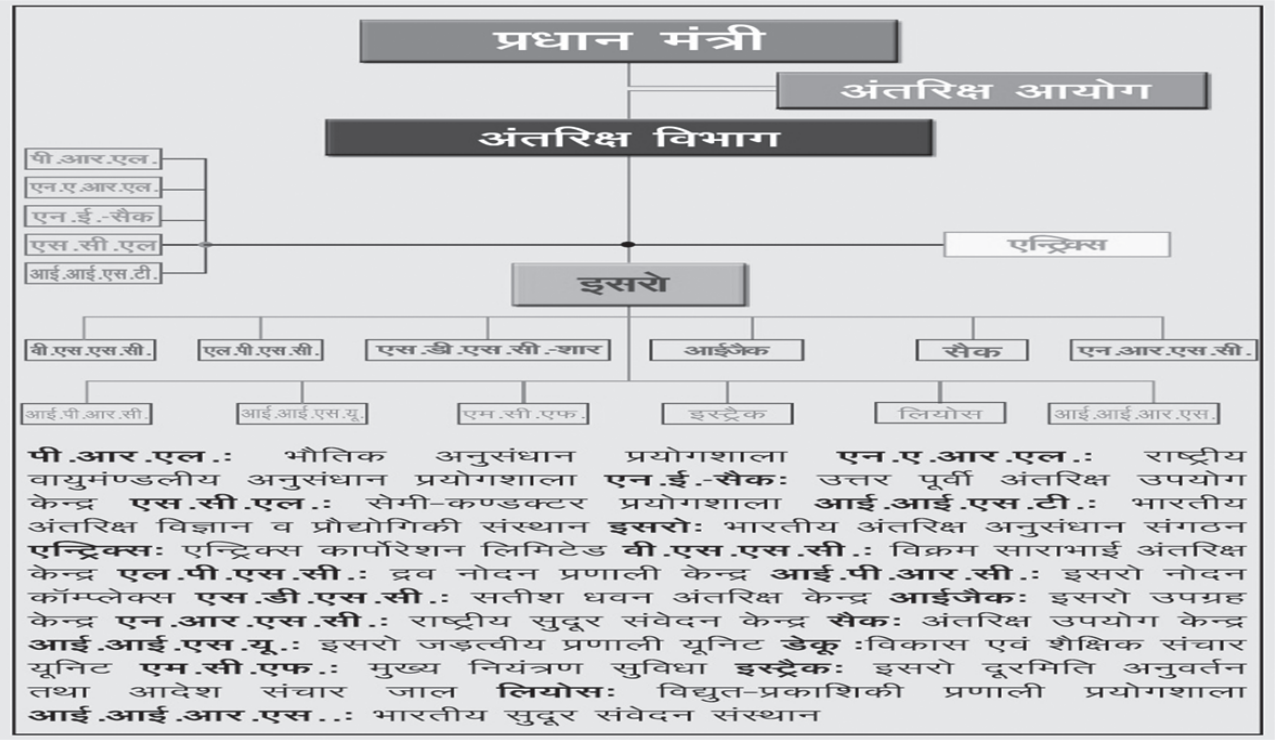

पी.आर.एल.: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला **एन.ए.आर.एल.:** राष्ट्रीय वायुमंण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला **एन.ई.-सैक:** उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र **एस.सी.एल.:** सेमी-कण्डक्टर प्रयोगशाला **आई.आई.एस.टी.:** भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान **इसरो:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन **एन्ट्रिक्स:** एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड **वी.एस.एस.सी.:** विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र **एल.पी.एस.सी.:** द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र **आई.पी.आर.सी.:** इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स **एस.डी.एस.सी.:** सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र **आईजैक:** इसरो उपग्रह केन्द्र **एन.आर.एस.सी.:** राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र **सैक:** अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र **आई.आई.एस.यू.:** इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट **डैकू :**विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट **एम.सी.एफ.:** मुख्य नियंत्रण सुविधा **इस्ट्रैक:** इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल **लियोस:** विद्युत-प्रकाशिकी प्रणाली प्रयोगशाला **आई.आई.आर.एस..:** भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान

को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। इसके साथ ही 1992 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन की स्थापना अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाओं का विपणन करने के लिए की गई है। आइये भारत में अतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गठित संरचना पर एक नजर डालें (चित्र-1)।

वस्तुत: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरूआत नवंबर, 1963 में तिरूवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। इस प्रकार देश में अंतरिक्ष कार्यकलापों की शुरूआत करने वाले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने दूरदर्शन प्रसारण, दूरसंचार और मौसम विज्ञानीय उपयोगों के लिए संचार उपग्रह; प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन उपग्रहों के निर्माण और प्रमोशन के लिए स्वावलंबी बनने और विकास क्षमता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसरो का उद्देश्य है, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों का विकास करना। इसरो ने दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियाँ स्थापित की हैं, संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए इनसैट, और संसाधन मॉनीटरन तथा प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई॰आर॰एस॰)। आइये एक नजर डालें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के केंद्रों/यूनिटों पर (चित्र-2):-

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन सामाजिक हित में किया जाना चाहिए। इसी ध्येय को आधार बनाकर इसरो ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के कई दौर सफलतापूर्वक पार किये और जनहित के लिए अंतरिक्ष में अपने अन्वेषण को जारी रखा। अंतरिक्ष विभाग/इसरो की अंतरिक्ष एवं तकनीकी गतिविधियां नितांत सराहनीय हैं। अंतरिक्ष विभाग/इसरो के लगभग सभी केंद्रों/यूनिटों में राजभाषा अनुभाग की

स्थापना की गई है। जिन केंद्र/यूनिट में हिंदी अनुभाग नहीं है वहां प्रशासन अधिकारी हिंदी कार्यान्वयन की देख-रेख करते हैं ताकि इसरो के सभी कार्यकलापों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग संभव बनाया जा सके। ये अनुभाग इसरो की तकनीकी गतिविधियों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं समन्वयन करते हैं। हिंदी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को यथासंभव बढ़ाने के लिए प्रत्येक केंद्र/यूनिट में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का भी गठन किया गया है। ये समितियां अपने-अपने केंद्र/यूनिट में हिंदी के तकनीकी एवं अन्य क्षेत्र में प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि इसरो के संबंध में तकनीकी गतिविधि क्या हैं? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में जो भी अध्ययन, अन्वेषण एवं क्रियाकलाप इसरो करता है वे सभी तकनीकी गतिविधियां हैं। अधिकतर तकनीकी गतिविधियों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संवाद संप्रेषण के लिए किया जाता है, चूंकि अंग्रेजी आज के दौर में विश्व की सर्वमान्य भाषा है। किंतु इसरो में ऐसा नहीं है, यहां कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदी के प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है चाहे वह प्रशासकीय कार्य हो या वैज्ञानिक-तकनीकी कार्य क्षेत्र हो।

आज इसरो संचार, सुदूर संवदेन, नौसंचालन, अंतर-ग्रहीय अभियान आदि एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास से जुड़े हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह अपने सभी केंद्रों/यूनिटों के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ॰ विक्रम साराभाई के सपनों को साकार करते हुए सामाजिक हित में संवर्धन हेतु भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को असीम ऊंचाईयों की पराकाष्ठा को पार करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही, इसके सभी केंद्र/यूनिट भी इसके लिए

प्रतिबद्ध हैं। आम जन के लिए तो अंतरिक्ष एक रहस्यमयी एवं रोमांचकारी विषय ही है। यह क्षेत्र विशेष आर्कषण एवं कौतूहल का है। अंतरिक्ष की कल्पना विशालता एवं जटिलताओं से परे है। यह एक ऐसा विषय है जिससे आम जन पहुंच से बाहर रहा है, पर उसकी जिज्ञासा उसे इसका रहस्य एवं ज्ञान जानने के लिए उत्साहित करती रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने अंतरिक्ष में मानव की पहुंच को संभव कर दिया है। परन्तु, यह पहुंच विशिष्ट प्रतिभा के धनी लोगों अर्थात वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों एवं तकनीकीविदों की है। इसलिए यह नितांत जरूरी है कि इसरो की तकनीकी गतिविधियों से आम लोगों को भी अवगत कराया जाए। इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की ही है, परन्तु यह तभी संभव है जब यह आमजन की भाषा में हो। चूंकि भारतवर्ष हिंदी प्रधान देश है, इसलिए अंतरिक्ष एवं तकनीकी गतिविधि के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसरो ने बखूबी इसका बीड़ा उठाया एवं आम जन के लिए अंतरिक्ष से संबंधित सभी विषयों एवं गतिविधियों को हिंदी में उपलब्ध कराया और वर्तमान में भी कर रहा है। इसरो का हिंदी अनुभाग इस कार्य के लिए सदैव अग्रसर एवं समर्पित रहा है।

अंतरिक्ष विभाग/इसरो में हिंदी अनुभाग की स्थापना इसरो की स्थापना के कुछ समय बाद हुई थी एवं इसके साथ ही, विभिन्न केंद्रों/यूनिटों में हिंदी अनुभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्थापित हुए। शुरू में हिंदी अनुवादकों एवं अन्य कर्मियों के सहारे ही हिंदी अनुभाग संचालित था। लेकिन अब, इसरो एवं इसके विभिन्न केंद्रों/यूनिटों में हिंदी का पूरा संवर्ग, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, हिंदी अधिकारी, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं हिंदी टंककों के पद का सृजन एवं उनकी नियुक्ति की गई है, जिससे हिंदी के प्रयोग में आशातीत वृद्धि हुई है। हालांकि केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान आदि जैसी अनेक संस्थाएं राजभाषा का सभी क्षेत्रों-सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेलकूद, विज्ञान एवं तकनीकी, चिकित्सा आदि में विकास एवं विस्तारीकरण के लिए अग्रसर है, किन्तु वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही सर्वाधिक प्रयुक्त विकल्प के रूप में देखा जाता है। परन्तु पिछले कुछ समय में इसरो ने इस मानसिकता को बदलकर रख दिया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदी इस क्षेत्र में भाषा के एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग की जाएगी। अंतरिक्ष विभाग एवं इसरो सहित सभी केंद्र/यूनिट अंतरिक्ष एवं तकनीकी गतिविधियों के विकास से संबंधित जानकारी का संग्रह कार्य लंबे समय से कर रहे हैं, यह संग्रह कार्य राजभाषा अर्थात हिंदी में किया जा रहा है, जो प्रशंसनीय एवं सराहनीय है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) वैज्ञानिकों, अभियंताओं एवं तकनीकीविदों का संस्थान है। इसरो के संदर्भ में हम अगर राजभाषा एवं तकनीकी गतिविधियों में समन्वय की बात करें तो निम्नलिखित बिंदु हमें यह समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। जो इस प्रकार हैं:-

1. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी गतिविधियों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग: इसरों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी गतिविधियों के लिए हिंदी का

अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जा रहा है। जहां तक संभव हो जन सामान्य तक हिंदी के माध्यम से इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों से संबंधित कार्य अंतरिक्ष विभाग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पर वास्तविक रूप से इसरो की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। भुवन, साकार, आदि अनेक अनुप्रयोगों के नाम हिंदी में रखे जा रहे हैं। इसके साथ भारतीय उपग्रहों के नाम भी हिंदी में रखे जा रहे हैं, यथा- प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर, रोहिणी, कल्पना, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य आदि। अधिकतर भारतीय मिशनों और उपग्रहों तथा रॉकेटों के नाम भी हिंदी में रखने का प्रयास जारी है।

2. **बेवसाइट का हिंदी रूपांतरण:** इसरो ने अपनी बेवसाइट का हिंदी संस्करण विकसित कर लिया है। साथ ही इसके केंद्र/यूनिट एवं अंतरिक्ष विभाग की भी बेवसाइट हिंदी में उपलब्ध है। इनके माध्यम से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों एवं तकनीकीविदों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों एवं देश के विद्यार्थियों एवं आम जनों को भी अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो रही है। इसरो सहित कुछ केंद्रों/यूनिटों के द्वारा इंट्रानेट एवं अनुप्रयोगों को द्विभाषी रूप में रखा जा रहा है, एवं इसके लिए यथोचित प्रयास जारी हैं। इससे इसरो के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों में भी राजभाषा के प्रति माहौल बना है एवं वे इसके प्रगामी प्रयोग के लिए सजग हुए हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार विकसित द्विभाषी अनुभव अनुप्रयोग तो कमाल का अनुप्रयोग है, जिसके जरिये सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं सेवारत कर्मचारियों के बीच ज्ञान-विज्ञान एवं अनुभव से संबंधित जानकारियों में समन्वय किया जाता है।

3. **हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी, प्रशिक्षण एवं कार्यशाला, पुस्तक लेखन, पत्र-पत्रिकाओं सहित आदेश-संकलन एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन एवं अंतरिक्ष परियोजनाओं से संबंधित बैठकों का आयोजन आदि:** अंतरिक्ष विभाग सहित इसरो के विभिन्न केन्द्र/यूनिटों में प्रतिवर्ष तकनीकी संगोष्ठी, का आयोजन एवं अंतर-केंद्रीय तकनीकी संगोष्ठी, का आयोजन अंतरिक्ष कार्यों से जुड़े वैज्ञानिक एवं अभियंताओं द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास एवं अनुसंधान के कार्यों पर हिंदी में लिखे लेखों की प्रस्तुति के लिए एवं हिंदी भाषा में विचार एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। इन संगोष्ठियों का यह फायदा होता है कि इससे सभी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में यथोचित एवं सुलभ जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए होता है। हिंदी अनुभागों द्वारा हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कर्मचारियों के लिए तीन पाठ्यक्रमों प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ हेतु कक्षाओं का संचालन किया जाता है जिससे कि वे अपने हिंदी ज्ञान को बढ़ा सकें। हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन एवं पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन अंतरिक्ष विभाग इसरो सहित इसके केन्द्र/यूनिट द्वारा किया जाता है। इससे वैज्ञानिक अभिव्यक्ति के साथ-साथ साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए मंच मिलता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्यों की हिंदी में उपलब्धता के लिए यह जरूरी है कि इन विषयों में राजभाषा हिंदी में लेखन

कार्य को बढ़ावा दिया जाए। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विषयों एवं गतिविधियों पर लिखी पुस्तकों के लिए भी विभाग की 'विक्रम साराभाई हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन योजना' है। हिंदी में गृह पत्रिका का प्रकाशन एवं 'अंतरिक्ष ज्ञान सरिता' एवं वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना भी राजभाषा संबंधी कार्यों में से एक है।

अंतरिक्ष परियोजनाओं एवं तकनीकी गतिविधि से संबंधित बैठकें विभिन्न विषयों पर कार्य वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीकीविदों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए अंतर-विषयक क्षेत्र है, जिसमें सभी की सहभागिता नितांत जरूरी होती है। इन बैठकों में तकनीकी विषयों पर चर्चाओं और व्याख्यान के लिए हिंदी का प्रयोग अधिक होने लगा है। गैर-हिंदी भाषी लोग भी इन बैठकों में हिंदी में ऐसे चर्चा कर लेते हैं जैसे वो हिंदी प्रांत के ही हों। यह वाकई हैरान कर देने वाला होता है।

4. **इसरों का अन्य देशों के साथ द्विभाषी में करार/समझौता ज्ञापन:** इसरो विश्व के विभिन्न देशों के साथ अंतरिक्ष, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में विकास, पारस्परिक ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान के लिए करार या समझौता ज्ञापन किया जाता है। ये समझौते द्विभाषी अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होते हैं। इस तरह हिंदी विश्व में सशक्त रूप से अपना लोहा मनवा रही है।

5. **अंतरिक्ष विभाग/इसरों द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्दावली का अद्यतनीकरण:** वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ अंतरिक्ष विभाग/इसरों द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली का अद्यतनीकरण करने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें इसरों की तकनीकी गतिविधियों में राजभाषा के प्रयोग एवं समन्वय के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस दौरान हिंदी कर्मियों एवं वैज्ञानिक/अभियंताओं की सहभागिता समान रूप से रहती है।

6. **हिंदी माह एवं पखवाड़ा तथा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन:** इसरो में सितंबर माह में हिंदी माह एवं पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' एवं 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में प्रशासनिक के साथ-साथ तकनीकी कर्मचारियों की सहभागिता समान रूप से रहती है। स्वयं अंतरिक्ष विभाग के सचिव एवं इसरो अध्यक्ष श्री आ॰सी॰ किरण कुमार इन कार्यक्रमों में अंतरिक्ष विभाग/इसरो कर्मियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि वे स्वयं कार्यालयीन पत्रों में हिंदी में ही हस्ताक्षर करते हैं, अनेकों अवसरों पर हिंदी में संबोधन कर, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु इसरो कर्मियों को प्रेरणा प्रदान करते हैं।

7. **हिंदी में वीडियो कार्यक्रम एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग:** इसरो के डेकू इकाई द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष गतिविधियों की जानकारियों को छात्र-छात्राओं एवं आमजन तक पहुंचाने के लिए वीडियो कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। देश के स्कूल-कॉलेजों में हिंदी में प्रकाशित सामग्री का वितरण भी इसरो द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी हिंदी में किया जाता है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये वार्तालाप में भी इसरों के वैज्ञानिक, अभियंता, एवं अधिकारी केन्द्र/यूनिट के साथ हिंदी माध्यम का ही सहारा ले रहे हैं।

8. **इसरों में कम्प्यूटर के प्रयोग–टंकण एवं अनुवाद:** आज सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में इसरो भी अछूता नही रहा है। यहां कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक, अभियंता, तकनीशियन, अधिकारी एवं कर्मचारी भी हिंदी कीबोर्ड का उपयोग टंकण के लिए कर रहे हैं। विभिन्न उपलब्ध अनुवाद साफ्टवेयर की मदद से तकनीकी विषयों पर लेखन कार्य हिंदी में आसानी से किया जाने लगा है। साथ ही, इसरो सहित इसके केन्द्र/यूनिट के अधिकारी एवं अनुवादक अंतरिक्ष एवं तकनीकी विषयों के अनुवाद कार्य में वैज्ञानिक/अभियंताओं की मदद से लगे हुए हैं।

9. **तकनीकी प्रभागों एवं अनुभागों द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन:** इसरो विभिन्न केन्द्र/यूनिटों में हिंदी में दैनिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रहा है। इसका लाभ यह होता है कि लोग अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

10. **विश्व हिंदी सम्मेलन में भागीदारी:** विश्व हिंदी सम्मेलन में भी अंतरिक्ष विभाग/इसरो की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। सातवें सम्मेलन से निरंतर इसमें भाग लेने हेतु विभाग के अधिकारियों को नामित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में यह सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था जिसमें अंतरिक्ष विभाग/इसरो एवं इसके सभी केन्द्रों/यूनिटों के राजभाषा अधिकारियों को नामित किया गया था। यह एक व्यापक मंच है जहां हिंदी के विकास पर विश्वस्तरीय विचार विमर्श होता है। इस सम्मेलन में विभाग के संयुक्त निदेशक श्री अशोक कुमार बिल्लूरे द्वारा ''विज्ञान में हिंदी लेखन'' पर लेख प्रस्तुत किया गया था।

चूंकि अंतरिक्ष विभाग/इसरो एक तकनीकी संगठन है जिसके कारण तकनीकी गतिविधि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, परन्तु यहां तकनीकी गतिविधियों के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के सुचारू कार्यान्वयन का भी ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि समय–समय पर संसदीय राजभाषा समिति द्वारा एवं केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में तथा विश्व हिंदी सम्मेलनों में इसरो/अंतरिक्ष विभाग को अन्य विभागों/मंत्रालयों के लिए एक मिसाल अर्थात एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है एवं सराहना की जाती है।

उपसंहार: आज अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी गतिविधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग हेतु भारत सरकार और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन काफी सजगता से काम कर रहे हैं। इसरो में राजभाषा एवं तकनीकी गतिविधियों में समन्वय के लिए यह बहुत जरूरी है कि राजभाषा को उचित स्थान दिया जाए। **'इसरो'** इसके लिए प्रतिबद्ध एवं समर्पित है।

संदर्भ– विभिन्न पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं एवं अं॰ वि॰ की तकनीकी संगोष्ठी का प्रकाशित लेख संग्रह तथा विभिन्न बेवसाइट।

—हिंदी अनुभाग
इसरो मुख्यालय
अंतरिक्ष भवन, न्यू बेल रोड,
बैंगलोर,
कर्नाटक–560231

मीडिया की बदलती शब्दावली

—डॉ॰ धनेश द्विवेदी

यह हम सभी जानते हैं कि भाषा स्थिर नहीं रहती, इसमें सदा परिवर्तन हुआ करते हैं और विद्वानों का तो यह भी मत है कि कोई भी प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष से अधिक समय तक एक सी नहीं रहती। जो हिंदी आज से पचास वर्षों पूर्व बोली जाती थी, उसकी कुछ झलक उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आज भी देखी जा सकती है पर धीरे-धीरे हिंदी पर उर्दू का प्रभाव तथा अंग्रेजी का प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। अगर हम हिंदी भाषा के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि हिंदी भाषा का जो स्वरूप आज हमारे सामने है, उसके निर्माण में तकरीबन एक हजार साल लगे है। लेकिन भाषा वैज्ञानिक हिंदी भाषा की वास्तविक शुरूआत 1000 ई से मानते है।

संचार की सदियों से अनवरत यात्रा, आज ऐसे शिखर पर है जहां उसने न केवल मानव जाति को अपनी भावनाओं को उद्‌भासित करने की शक्ति प्रदान की अपितु उसे नित-नवीन संचार साधनों से सम्पन्न भी किया। ध्वनि ज्ञान से सफल संचार संप्रेषण के पश्चात जब मनुष्य का लिपि ज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जब जन संचार माध्यमों का जन्म हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि जन संचार माध्यम विश्व में सर्वाधिक प्रभावशाली संप्रेषण के माध्यम बन चुके है। उन प्रभावों के चलते पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिलक्षित होता जा रहा है। हम विश्व के किसी कोने में हो इन प्रभावशाली संप्रेषण माध्यमों से जुड़ने के बाद क्षण भर में अपनी सूचना दूसरे स्थान पर देने में सफल हो जाते है। दूसरे शब्दों में हम इसे सूचना विस्फोट भी कह सकते है और सूचना विस्फोट के दौर में मीडिया के प्रचार-प्रसार का दायरा भी बढ़ा है भाषा प्रस्तुतिकरण, कन्टेन्ट (विषय वस्तु) और चयन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो गये है।

मीडिया में भाषा अभिव्यक्ति और लेखन के संस्कार प्रिंट मीडिया से आते है और जब हम प्रिंट मीडिया में लेखन की भाषा का महत्व समझते है तो हमें आम-जन की भाषा का ध्यान रखना होता है। आज पूरे देश का एक बड़ा वर्ग हिंदी भाषा को जानने एवं समझने वाला है पर यह भी सत्य है कि हिंदी भाषा के शब्दों मे वह अपनी क्षेत्रीय भाषा का पुट भी देखना चाहता है। वैसे तो हिंदी भाषा में सम्मोहन की क्षमता इतनी अधिक है कि चाहे अंग्रेजी या उर्दू, किसी भी भाषा के शब्द हो, हिंदी में समाहित होते देर नहीं लगती। यह समय की आवश्यकता भी है क्योंकि जब हम संविधान सभा के द्वारा राजभाषा संबंधी निर्णयों को ध्यान में रखते है तो हमें पता चलता है कि राजभाषा हिंदी का विकास सभी क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करते हुए आगे बढ़ने से ही संभव है। यहां पर भी साफ था कि किसी क्षेत्रीय भाषा से कोई प्रति स्पर्धा नहीं है। यह भाषा की सकारात्मक क्षमता ही है कि आज हजारों शब्द दूसरी भाषाओं से आकर इसमें समाहित हो चुके हैं।

आजादी के बाद पाश्चात्य संस्कृति ने अपना विकराल रूप दिखाया तथा हिंदुस्तान संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित किया, जिसके कारण हिंदुस्तानी राजभाषा हिंदी की शब्दावली भी प्रभावित हुये बिना न रह सकी। आज अधिकारियों के पदों के नाम जो अंग्रेजी में थे, हिंदी मीडिया में आसानी से स्थान पाते जा रहे है जैसे-

एस पी	- पुलिस अधीक्षक
डी एम	- जिलाधिकारी या जिलाधीश
आई जी	- पुलिस महानिरीक्षक
एडीशनल	- अतिरिक्त

ज्वाइंट	–	संयुक्त
एक्टिंग		कार्यपालक या कार्यवाहक
एक्जीक्यूटिव	–	कार्यकारी
इंचार्ज	–	प्रभारी
डेप्यूटी	–	उप
जूनियर	–	कनीय
सीनियर	–	वरीय
असिटेंट	–	सहायक या सह
मैनेजर	–	प्रबंधक
सी ई ओ	–	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डायरेक्टर	–	निदेशक/निर्देशक
रजिस्टार	–	रजिस्टार
कंट्रोलर	–	नियंत्रक
डायरेक्टर जनरल	–	महानिदेशक
सेक्रेटरी	–	सचिव
सुपरिटेंडेट	–	अधीक्षक
हेड	–	प्रमुख या प्रधान
चेयरमैन	–	अध्यक्ष

वैसे तो मीडिया तथा प्रेस शब्द अपने आप में अंग्रेजी भाषा से हिंदी शब्दकोश में समाहित हुए हैं लेकिन और भी शब्द हैं जो मीडिया की भाषा में प्रचलित हो गये हैं। यह कुछ शब्द भी हमारी रोजमर्रा की भाषा में काफी हद तक रच–बस गए हैं। जैसे–

तबाही	क्रेडिट कार्ड	मेट्रो
ई कामर्स	धमाका	पेट्रोल
गौरतलब	इनकम टैक्स	कंट्रोल रुम
तिरंगा	कैडर	रेल
हालात	सेलरी	पेंशन
साइट	ग्रुप	हादसा
काबू	टिकट	टाइपराइटर
वीडियो	रिजर्व बैंक	हाइवे
सूखा	बुक	मर्डर
वायरल	नोट	एलान
सब्सिडी	जर्नलिज्म	फैक्स
मौका	पलटवार	पूछताछ
जज्बा	मेडिकल	वेबसाइट
अहम	डिजिटल इंडिया	हार्ट
कचरा	ऑफिस	कैलेंडर
मौजूदा	कॉन्टेक्ट लेंस	अटैक
कार्ड	पी टी आई टीचर	नेशनल
एयर इंडिया	एक्यूप्रेशर	नोटबंदी
चार्ज	व्हील चेयर	तलाशी
बैटिंग	सिगरेट	मर्सडीज
पोस्ट	हॉस्पिटल	कंपनी
ट्विटर	कैल्शियम	फायरिंग
स्ट्राइक	टीचर	करार
हकीकत	स्कूल	फ्रेंड
तस्वीर	प्लास्टिक	चालान
शहीद	बुक बैंक	बकाया
सीज फायर	रिपोर्ट	रिसाइकलिंग
बिग बॉस	लाइन	सीज
जर्नलिज्म	सोशल मीडिया	एप्पल
मैनेजमेंट	एडवांस	सिस्टम
रिजल्ट	कैरियर	अकाउंट
ब्लड	डेट	टॉवर
प्लेटलेट्स	गिटार	टूरिस्ट
विटामिन	डाक्टर	डेबिट कार्ड
कैलोरी	कम्पाउंडर	कॉरिडोर
हाइपर टेंशन	मोबाइल	कैशलेस
दांव	टावर	कसूरवार
क्रिकेट	अंपायर	लाइव
हेडलाइन	क्रीज	नतीजा

यह तो कुछ शब्द है जिन्हें मीडिया ने हिंदी भाषा के शब्दकोश में ही शामिल कर दिया है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में मीडिया की भाषा और समृद्ध होने वाली है क्योंकि अभी भी नये शब्दों का आगमन जारी है तथा हिंदी भाषा दुनिया की शीर्ष भाषाओं में शुमार होने के लिये अग्रसर है।

कार्यशालाएं

'क' क्षेत्र

कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कानपुर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, कानपुर में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक माननीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हिंदी प्रगति रिपोर्टो की तुलनात्मक समीक्षा एवं अन्य मुद्दों व सुझावों पर चर्चा के लिये, आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया की सभी अनुभाग/मंडल प्रधान/प्रभारियों को समिति का सदस्य घोषित किया जाये और उन्हें अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने को आदेशित किया जाये। हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहित करने पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाये जिसमें टिप्पणी और पत्र-संक्षेपण इत्यादि विषय रखे जाये और नोटशीट पर संक्षेपण या रुपांतरण इत्यादि कराये जायें।

सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित समारोहों के क्रम '52वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी' का आयोजन संस्थान के सी वी रमन व्याख्यान-कक्ष में किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए संस्थान के डॉ॰ एस॰एम॰ नानोटी, मुख्य वैज्ञानिक ने कहा कि वैज्ञानिक संगोष्ठियों की यह श्रृंखला वैज्ञानिकों को हिंदी में अपनी बात रखने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। हमें इस मंच का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लिखना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिकों को आह्वाहन किया कि वे राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रकाशित चर्चित हिंदी पत्रिका 'विकल्प' के महत्वपूर्ण विशेषांकों को पढ़ें तथा रचनाओं के माध्यम से इसमें अपना योगदान दें। संगोष्ठियों के इस महत्वपूर्ण मंच से युवा शोधार्थियों को यथासंभव लाभ उठाना चाहिए। राजभाषा अनुभाग के प्रभारी डॉ॰ दिनेश चंद्र चमोला ने कहा कि जब हम ज्ञान-विज्ञान की किसी बात को हिंदी में अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो वह हर श्रोता व पाठक के दिल को स्पर्श करती है, चूंकि हिंदी हृदय की भाषा है, संस्कारों की भाषा है, इसमें किसी को भी प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता है। वैज्ञानिक लेखन में मानकीकृत शब्दावली का प्रयोग कर हिंदी में विज्ञान लेखन को बढ़ावा देना अत्यंत गौरव तथा महत्व का कार्य है। अनुवाद के सहारे नहीं, बल्कि मौलिक लेखन से ही हिंदी में विज्ञान लेखन का भंडार/यज्ञ समृद्ध व संपन्न होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई, उक्त बैठक में तिमाही अवधि की समीक्षा की गई, बैठक की अध्यक्षता मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री ए॰के॰ सिंह ने की। बैठक में मुख्यालय के सभी विभागों एवं कारखानों के राजभाषा संपर्क अधिकारी/उप मुख्य राजभाष अधिकारी एवं विभागेतर इकाइयों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री एम॰एन॰ दूबे ने समिति के सदस्यों को जानकारी दी कि सर्वाधिक हिंदी प्रयोग के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को इस वर्ष रेलमंत्री राजभाषा शील्ड प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसका श्रेय सभी के सम्मिलित प्रयास को दिया। उन्होंने पूरे मनोयोग से हिंदी की प्रगति में अपना भरपूर सहयोग देने का आग्रह किया तथा यह भी कहा कि यदि कहीं कोई कमी रह गई है अथवा कोई समस्या है तो उसे भी समिति के समक्ष नि:संकोच रखा जाए ताकि उसका निराकरण किया जा सके। मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री ए॰के॰ सिंह ने हिंदी के प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में सभी के निरन्तर सकारात्मक सहयोग की बात की। उन्होंने कहा कि सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी प्रगाति के क्षेत्र में हम जिस शिखर पर पहुंच चुके हैं उसमें किसी प्रकार की

कोई गिरावट न आने पाये। इसके लिए हमें अपने कार्यक्षेत्रों में ईमानदारी से प्रयास करना होगा।

आकाशवाणी, माउण्ट आबू

आकाशवाणी आबू पर्वत में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक केंन्द्राध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। यह बैठक राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रगति पर चर्चा एवं विचार हेतु रखी गयी थी। अध्यक्ष महोदय ने हिंदी के प्रसार व प्रचार एवं उपयोग पर बल दिया। केन्द्र में सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। कार्यालय परिसर में हिंदी में कार्य करने के स्लोगन लगाये जाने का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा दिया गया, जिसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। केन्द्र का 90 प्रतिशत से अधिक पत्राचार हिंदी में हो रहा है जिसे शतप्रतिशत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

आकाशवाणी, इन्दौर

आकाशवाणी, इन्दौर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक केन्द्राध्यक्ष श्री सिद्धध्नाथ सोलंकी, कार्यक्रम निष्पादक एवं कार्यक्रम प्रमुख की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने इस केन्द्र में राजभाषा नीति के अनुपालन सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण किया था। समिति के निर्देशों को यथाशीघ्र पूर्ण करना है।

'ख' क्षेत्र

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक केन्द्र निदेशक, श्रीमती सुतपा दत्तगुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा हिंदी में कार्य करना हम सब का संवैधानिक कर्तव्य है, अत: सभी सदस्यगण राजभाषा हिंदी के प्रति पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ सरकारी कार्य कार्यान्वित करें। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में बढ़ावा देने हेतु सभी अनुभाग प्रमुखों को विशेष ध्यान देना होगा व हिंदी एकक को सप्ताह में कम से कम एक बार कार्यक्रम व अन्य अनुभाग में जाकर उपरोक्त कार्य हेतु सहयोग करना है। इसके अतिरिक्त हिंदी की साहित्यिक पुस्तकें व पारिभाषिक शब्दावली आदि की खरीद हेतु हिंदी एकक को सक्रिय सहयोग देना है।

'ग' क्षेत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरू

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु के सभागार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरू की 61वीं अर्ध वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राकेश शर्मा ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि इस समिति का गठन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किया गया है, लेकिन यदि हम इस अवसर का उचित लाभ उठाने का प्रयास करें तो यह सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के साथ-साथ बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और अनुभवों को बांटने का बेहतरीन मंच बन सकता है। इससे एक ओर जहां राजभाषा का बेहतर कार्यान्वयन होगा वही दूसरी ओर बैंकिंग उद्योग के कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी।

आकाशवाणी, हैदराबाद

विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्रीमती डॉ॰ के॰ विजया, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) एवं कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित लक्ष्य ('ग' क्षेत्र के लिए 55 प्रतिशत) की प्राप्ति इस तिमाही के अंत तक की

जाएगी। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि वे भविष्य में अपने-अपने अनुभाग से जारी किए जाने वाले सभी आवधिक रिपोर्टों/रिटर्नों, कार्यक्रम अनुसूचियों के अग्रेषण पत्र द्विभाषी में ही जारी करने के प्रयास करें और जहां आवश्यक हो वे हिंदी अनुभाग की मदद लें। चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि अब से सभी अनुबंधों की प्राप्ति तथा कार्यालय प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, जहां तक संभव हो, हिंन्दी में हस्ताक्षर करेंगे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सिलचर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की 50वीं बैठक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन॰आई॰टी॰) सिलचर के नये अतिथि गृह में प्रो॰ एन॰वी॰ देशपाण्डे, अध्यक्ष, न॰रा॰का॰स॰ सिलचर तथा निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन॰आई॰टी॰) सिलचर एवं श्री बदरी यादव, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। प्रो॰ एन॰वी॰ देशपाण्डे, अध्यक्ष, न॰रा॰का॰स॰ सिलचर तथा निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन॰आई॰टी॰) सिलचर में नियमित हिंदी अधिकारी न होने के बावजूद भी धारा 3(3) के अनुपालन का पूरा प्रयास किया जा रहा है और साथ यह भी बताया की नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय से पत्राचार किया जा रहा है। यहां के प्रत्येक नामपट्ट द्विभाषी कर दिये गये है, हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है एवं वार्तालाप हिंदी में होता है।

दूरदर्शन केंद्र, जम्मू

दूरदर्शन केंद्र, जम्मू के सम्मेलन कक्ष में केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की (जुलाई-सितंबर 2016) तिमाही बैठक श्री रवि कुमार, उप निदेशक अभियांत्रिकी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अपने कार्यालय कार्य में अंग्रेजी के स्थान पर हस्ताक्षर हिंदी में करने का आह्वान किया। इस पर श्रीमती निम्मी पारिमो ने हस्ताक्षर बदले जाने पर शंका व्यक्त की। इस पर स्पष्ट किया गया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने पर कहीं भी आपत्ति नहीं है, मात्र अपने बैंक खातों जैसे स्थानों पर पुन: हिंदी के हस्ताक्षर रजिस्टर कराने भर की आवश्यकता होती है। चर्चा के दौरान सचिव ने प्रशासन अनुभाग से कर्मियों के अर्जित हिंदी ज्ञान का उनकी सेवापंजियों से सत्यापन करके हिंदी अनुभाग को जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

भारत संचार निगम लिमिटेड, संचार सदन, हुबली

मंडल अभियंता (एन॰डब्ल्यू॰ओ॰पी॰) का कार्यालय, दूरभाष केंद्र, हावेरी में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्याशाला दो सत्र में आयोजित की गई। श्री पी॰एस॰ दिग्गावी, मंडल अभियंता (एन॰डब्ल्यू॰ओ॰पी॰), हावेरी ने कार्यशाला में संकाय के रूप में श्री रमेश वी॰ कामत, राजभाषा अधिकारी, म॰प्र॰दू॰ का कार्यालय, दावणगेरे ने भाग लिया। श्री पी॰एस॰ दिग्गावी, मंडल अभियंता (एन॰डब्ल्यू॰ओ॰पी॰), हावेरी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और अपने उद्घाटन भाषण में सभी से इस कार्यशाला का संपूर्ण उपयोग लेने के लिए और राजभाषा हिंदी में प्रयोग में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आग्रह किया। साथ ही वे कंप्यूटरों में हिंदी यूनिकोड कैसे सक्रिय करना है इस बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। कार्यशाला में उपस्थित सभी से कंप्यूटरों में हिंदी के प्रयोग के बारे में अभ्यास करवाया गया।

भाकृअनुप-राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, कोलकाता

भाकृअनुप-राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता में संस्थान के हिंदी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री आर॰डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में 'हिन्दी

टिप्पणी एवं मसौदा लेखन' विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सत्राध्यक्ष श्री आर॰डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कहा कि सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला में हिंदी में काम करते समय आने वाली दिक्कत को कम करें तथा अधिक से अधिक काम हिंदी में करें। इसके बाद श्रीमती राय से सत्र आरंभ करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात उन्होंने कार्यालयीन टिप्पणी के प्रकारों को सविस्तार सोदाहरण देकर समझाया तथा मसौदा लेखन के संबंध में प्रकाश डाला। प्रतिभागियों की भाषा संबंधी अड़चनों से अवगत होते हुए उनकी व्याकरणिक कमियों को दूर करने के गुर सिखाए। इसके अलावा श्रीमती राय ने भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद जैसे 120, 210, 343 से 351 के संबंध में विस्तार से बताया।

हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा

'क' क्षेत्र

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना

अंचल कार्यालय पटना के तत्वावधान में हर्षोल्लास वातावरण में पूरे उत्साह के साथ हिंदी दिवस समारोह पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंचल प्रमुख श्री अरविंद कुमार के साथ साथ स्टाफ सदस्यों ने हिंदी में कार्य करने का संकल्प लिया। अंचल प्रमुख श्री ए के गुप्ता ने बैंक में राजभाषा प्रयोग के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बैंक के राजभाषा मिशन से सभी को अवगत कराया। श्री जी के सिन्हा ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के हिंदी संदेश का पाठ किया। वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री सुभाष चंद्र शाह ने कहा कि हम हिंदी का प्रयोग इस प्रकार करें कि वह हमारे जीवन में रच-बस जाए। संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं के विचारों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में साधन कम होने तथा मानसिकता संबंधित समस्या अधिक की बात सामने आई। संकल्प प्रशिक्षण कार्यशाला, निरंतर अभ्यास प्रयोग एवं विभिन्न माध्यमों से छोटी-छोटी बाधाओं को दूर कर राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस मौके पर अंचल प्रबंधक श्री अरविंद कुमार अटवाल ने कहा कि हिंदी भारतीय अस्मिता की पहचान है। यह देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। अपनी भाषा में अभिव्यक्ति सशक्त होती है अत: संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा बैंक हितों के संरक्षण के लिए हमें राजभाषा हिंदी को अपनाना ही पड़ेगा। उन्होंने हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आह्वान किया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नोएडा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नोएडा द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता निदेशक प्रशासन डॉक्टर रोमी खुराना ने की। उन्होंने हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के द्वारा हिंदी सीखने व प्रतियोगिताओं में भाग लेने की सराहना की तथा आशा व्यक्त की कि भविष्य में और भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि शुरूआती झिझक को छोड़ कर यदि हम बोलचाल की सरल हिंदी के प्रयोग से अपना कार्य आरंभ करें तो स्वयं ही विश्वास बढ़ता है तथा काम में आसानी हो जाती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी जन जन की भाषा तो है ही, देश की संपर्क भाषा और संघ की राजभाषा भी है। कार्यालीन भाषा के रूप में इसे सरल व सहज ही होना चाहिए।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 1, दिल्ली

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय एक तथा इसके अधीनस्थ समस्त मंडल एवं शाखा कार्यालयों में हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के सभी परिसरों में प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गए हिंदी

दिवस के पोस्टर लगाए गए। प्रभारी अधिकारी श्रीमती वंदना ने सभी उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी दिवस के आयोजन के उद्देश्यों के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की स्वप्रेरणा जगानी होगी तभी हिंदी में अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिसकी अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर चेतन सिंह ने की। कार्यक्रम के आरंभ में संयोजक एवं हिंदी अनुवादक श्री राजेश कुमार ने संस्थान में गत एक पखवाड़े से आयोजित की जा रही हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें संस्थान के कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया था। हिंदी निबंध, श्रुतलेख, शब्द ज्ञान व अनुवाद सुलेख कविता, चित्र कहानी लेखन, वाद विवाद, प्रश्न मंच तथा हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन कर हिन्दी प्रोत्साहन के उद्देश्य को बताया गया। समारोह में वक्ताओं के क्रम में प्रसिद्ध रंगकर्मी व अध्येता प्रोफेसर महेश चंपकलाल ने हिंदी दिवस को राष्ट्रीय गौरव दिवस का पर्याप्य बताया तथा उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि और विकास का मार्ग हिंदी के रास्ते ही प्रशस्त होगा। संस्थान में शोधरत अध्येता प्रोफेसर आनंद कुमार ने अपने उद्‌बोधन में हिंदी दिवस को भाषा दिवस के रूप में मनाने का आह्‌वान किया जिससे हिंदी की सभी बोलियों - उपभाषाओं का विकास सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि आज अंग्रेजी हिंदी के सामाजिक स्वरूप के सामने बड़ी चुनौती है। संस्थान में सह अध्येता डॉ॰ शिवशरण कौशिक ने कहा तक आज हिंदी का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक वृहद् भारतीय संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा उन्होंने कहा कि यह हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी लोगों के परस्पर भाषायी लगाव के कारण ही हो सकेगा।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (मध्य)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (मध्य) की वर्ष 2016 की दूसरी बैठक श्री अमिताभ शुक्ला, अपर महानिदेशक (राजभाषा), आकाशवाणी की अध्यक्षता में वाई॰एम॰सी॰ए॰ टूरिस्ट हॉस्टल, 1 जयसिंह रोड नई दिल्ली-110001 के 'ऑडिटोरियम' में संपन्न हुई। सदस्य सचिव महोदया ने मंच पर आमंत्रित अधिकारियों, बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सूचित किया कि नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों से उनके द्वारा हिंदी में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों का ब्यौरा मांगा गया था, और इसकी जांच के लिए एक तीन-सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठित की गयी थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सभी सदस्य कार्यालयों से उनके द्वारा प्रकाशित इन - हाउस हिंदी पत्रिकाएं भी पुरस्कार के लिए आमंत्रित की गई थी और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए भी तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठित की गई थी। जिन कार्यालयों की हिंदी पत्रिकाएं सर्वोत्तम पायी गयीं और समिति द्वारा जिन्हें पुरस्कृत करने की सिफारिश की, उनमें से तीन कार्यालयों को रु॰ 5100/- रु॰ 3100/- रु॰ 2100/- का नकद पुरस्कार, शील्ड एवं प्रमाण-पत्र तथा दो कार्यालयों को रु॰ 1100/-1100/- की नकद राशि, ट्राफी एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

'ख' क्षेत्र

भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा

भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। राजभाषा विषयक सामान्य जानकारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से संकाय/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राजभाषा प्रश्न-मंच कार्यक्रम, अहिंदी-भाषी प्रशिक्षणार्थी

अधिकारियों के लिए प्रेरक हिंदी कहानी प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता, संकाय सदस्यों/अधिकारियों तथा प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के लिए काव्य-गोष्ठी, कर्मचारियों के प्रशासनिक हिंदी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता तथा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा के नाटक विभाग द्वारा ''चीड़ी दीदी दरवाजा खोलो'' हिंदी नाटक का मंचन किया गया तथा महानिदेशक महोदय श्री राजीव गुप्ता द्वारा विजेता अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर महानिदेशक महोदय ने विजेताओं को बधाई दी तथा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने पर जोर दिया गया। मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रोफेसर सिगनल एवं दूरसंचार श्री रवि अग्रवाल ने विजेताओं को बधाई दी और उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा पखवाड़ा तक सीमित न रखें इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं।

आकाशवाणी केंद्र, जलगांव

आकाशवाणी केंद्र, जलगांव में राजभाषा कार्य समिति के द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष निदेशक अभियांत्रिकी एवं केंद्र प्रमुख श्री संजय मोदी जी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कर्मचारियों के लिए हिंदी यूनिकोड प्रणाली से हिंदी में काम करना बहुत ही आसान हो रहा है। सरल एवं आसान हिंदी का प्रयोग भी कार्यालयीन कामकाज में किया जा सकता है। उन्होंने हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, मेघानी नगर, अहमदाबाद

संस्थान में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े का उद्घाटन हिंदी अक्षर से शब्द लेखन प्रतियोगिता द्वारा किया गया। इसके अलावा पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के हिंदी और हिंदीतर भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्थान के वैज्ञानिक आयोजन समिति के समन्वयक लोकेश शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया इस प्रतियोगिता का आयोजन संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हिंदी शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए उद्देश्य से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बताया कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली विश्व भाषाओं में हिंदी अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। हिंदी हमारे देश की संपर्क भाषा है। हिंदी के महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी में सरकारी कामकाज करने से सरकार तथा जनता के बीच परस्पर विश्वास बढ़ता है।

सीएसआईआर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र

सीएसआईआर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि संबंधी प्रयास किए गए। हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण आलेखन, हिंदी अनुवाद, हिंदी निबंध, हिंदी हस्तलिपि, पंच लाइन एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि श्री अमित कुमार अग्रवाल ने अपने अभिभाषण में नागपुर की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर ने राजभाषा अनुपालन में काफी प्रगति की है तथा आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार राजभाषा के प्रचार-प्रसार की दिशा में प्रयास जारी रहेगा।

आकाशवाणी, अकोला

आकाशवाणी, अकोला में श्रीमती श्रीदेवी गोहिल संयुक्त आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में हिंदी दिवस

का उद्घाटन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हिंदी में काम करते समय किस प्रकार सरलता से काम किया जा सकता है। इस मौके पर श्री अजय लहाने ने अपने भाषण में कहा कि भाषा का प्रयोग करते समय शब्द का उचित शब्द प्रयोग नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ निकल सकता है।

मध्य रेल, पुणे मंडल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पुणे के राजभाषा विभाग द्वारा प्रेमचंद जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री मिलिंद देउस्कर ने कहा कि मुशी प्रेमचंद ने साहित्य साधना की है, इनका साहित्य ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा, इनका साहित्य हमारी अनमोल धरोहर है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक श्री बी॰के॰ दादाभोय ने कहा कि यह समारोह मुंशी प्रेमचंद को याद करने का एक अच्छा अवसर है, प्रेमचंद जी का जीवन एवं कार्य अत्यंत प्रेरणास्पद रहा है। प्रेमचंद जी के साहित्य से हमें अनेक जीवन मूल्यों का पता चलता है। मंडल के हिंदी पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य पाठकों को उपलब्ध कराने एवं प्रेमचंद जयंती का सफल आयोजन कराने के लिए उन्होंने राजभाषा विभाग को बधाई दी।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय खडकवासला, पुणे

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान अपर निदेशक, श्री मारूती दत्तात्रेय कुदहे ने अपने उद्घाटन संबोधन में प्रतिभागियों से कहा कि अपना दैनंदिन कार्य हिंदी में करें। कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करते समय होने वाली झिझक को दूर करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी सरल एवं आसान है, हिंदी का प्रयोग शुरू तो कीजिए। प्रभारी सहायक निदेशक डॉ॰ ज्ञान रंजन त्रिपाठी ने प्रतिभागियों से उनके स्तर पर अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने की अपील की। हिंदी में कामकाज करना सरल एवं सहज है, जो आसानी से किया जा सकता है

आकाशवाणी नवरंगपुरा, अहमदाबाद

आकाशवाणी एवं विज्ञापन प्रसारण सेवा में हिंदी दिवस धूमधाम से राजभाषा पर्व के रूप में मनाया गया। 'हिंदी दिवस' के शुभ अवसर पर श्री संजय कुमार सिन्हा, उप महानिदेशक (अभि॰) एवं कार्यालयाध यक्ष ने दीप प्रज्जवल्लित करते हुए सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के कार्यान्वयन में प्रसार भारती सदा तत्पर रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने जन-जन तक हिंदी को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हमें सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ाना चाहिए और यथा संभव सरल शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। अपना अपना सरकारी कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व से राजभाषा हिंदी में करें। तत्पश्चात सचिव ने माननीय महानिदेशक महोदय श्री एफ॰ शहरयार की पील को पढ़ कर सुनाया जिसके कुछ अंश इस प्रकार है-भारत अनेकता में एकता का देश है, इसमें अनके जातियां, संस्कृतियां, भाषाएं और बोलियां विधमान हैं। इस विविधता वाले देश में राजभाषा हिंदी समस्त लोगों को एक सूत्र में बांधे है। हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका सर्व विदित है। हमारा यही प्रयास रहा है कि राजभाषा के साथ सभी को जोड़ते हुए चलें। आकाशवाणी सभी प्रकार के विकासात्मक अभियानों का नेतृत्व कर जनता की अभिरुचियों पर खरा उतरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी में कार्य करना हम सभी का कर्तव्य तो है ही साथ ही यह राष्ट्रीय गौरव का कार्य भी है।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, मुम्बई

राजभाषा विभाग और राजभाषा नीति ने अनुपालन में अपर महानिदेशक (अभि॰) प॰ क्षे॰ आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, मुम्बई–20 के कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। व्याख्यान के दौरान श्री विद्या भूषण तिवारी, सहायक निदेशक (रा॰ भा॰) ने हिंदी वर्णमाला से शुरू करके हिंदी व्याकरण के नियमों को आसान उदाहरणों द्वारा कर्मचारियों को समझाया। तत्पश्चात कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं और परेशानियों तथा मानव टिप्पणियों व प्रारुपों के समाधान रोचक ढंग से प्रस्तुत किए। श्री तिवारी ने उपस्थित कर्मचारियों को बताया कि कैसे वे अपने हिंदी में सोचने के तरीके से कामकाज की टिप्पणियों को हिंदी में सबसे आसानी से फाइल पर लिख सकते हैं और लगातार उसमें सुधार करते जा सकते हैं। कर्मचारियों ने भी अपने कामकाज को हिंदी में करने से संबंधित कई परेशानियों को व्याख्याता के समक्ष रखा।

'ग' क्षेत्र

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, भुवनेश्वर

अंचल कार्यालय भुवनेश्वर में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास व धूमधाम से किया गया। समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक श्री प्रेमानंद दास ने की। इस अवसर पर श्री अंबिका प्रसाद दास संपादक ओडिसा एक्सप्रेस, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। सहायक महाप्रबंधक श्री चरण साहू ने स्वागत भाषण में हिंदी दिवस के प्रभावशाली उपायों के बारे में बताया। सुश्री सागरिका सेठी अधिकारी मानव संसाधन प्रबंधन अनुभाग ने मुख्य अतिथि व विशेष अतिथि का परिचय कराया तथा राजभाषा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

आकाशवाणी, हैदराबाद

हिंदी दिवस समारोह तथा हिंदी पखवाडा उद्घाटन समारोह का आयोजन कार्यालय के सम्मलेन कक्ष में श्रीमती प्रियंवदा निदेशक राजभाषा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा श्रीमती रिचा बनर्जी संयुक्त निदेशक राजभाषा आकाशवाणी महानिदेशालय की गरिमामई उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता श्री राजेश्वर एवं उपनिदेशक एवं उपनिदेशक अभियांत्रिकी श्री उदय शंकर ने की। अध्यक्ष श्री राजेश्वर ने अपने भाषण में अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कंप्यूटर पर यूनिकोड का प्रयोग करने तथा सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम प्रमुख श्री उदय शंकर ने सभी को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, अंत: सरकारी काम हिंदी में करना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकारी कामकाज में सरल हिंदी शब्दों के प्रयोग पर बल दिया।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। केंद्र निदेशक श्रीमती सुपा दत्त गुप्त ने उद्घाटन समारोह में कहा कि हमें यह प्रण करना चाहिए कि हम सब राजभाषा हिंदी में काम करेंगे तथा राजभाषा हिंदी को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। श्री ब्रम्हानंद महतो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आकाशवाणी कोलकाता ने कहा कि हिंदी में काम करने से गौरव की अनुभूति होती है। उन्होंने सभी सफल प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे कहा की हिंदी की कम जानकारी होने पर शुरू में छोटे–छोटे वाक्यों में काम करते रहें। सहायक निदेशक राजभाषा श्री उत्तमचंद साहनी

राजभाषा नीति संबंधी जानकारी दी और कहा कि हिंदी में काम करने में परेशानी एवं दिक्कते आती रहती हैं परंतु काम करते रहने से काम करने का माहौल तैयार हो जाता है।

खादी और ग्रामाद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, तेलंगाना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, तेलंगाना में श्री आर के चौधरी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री आर के चौधरी ने हिंदी दिवस के अवसर पर श्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री भारत सरकार द्वारा दिए गए संदेश को सभी को पढ़कर सुनाया। उन्होंने वर्ष 2016-17 के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य तथा राज्य कार्यालय तेलंगाना में उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से कहा कि अपनी रोजमर्रा के क्रियाकलापों में हिंदी में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, आंध्र प्रदेश

समारोह की शुरूआत राज्य निदेशक डाक द्वारा मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद कमालुद्दीन वरिष्ठ प्राध्यापक हिंदी शिक्षण योजना सिंकदराबाद को पुष्पगुच्छ देकर की गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्रीखुद ने सबसे पहले हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं, हिंदी दिवस के अवसर पर श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा दिए गए संदेश को सभी को पढ़कर सुनाया। उन्होंने वर्ष 2016 के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा भारत में सभी भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों का भी यह उत्तर दायित्व बनता है कि वह अपने अनुभाग विभाग के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन को सुचारू रूप से चला सकें। आगे उन्होंने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में अवश्य भाग लें तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, गुवाहाटी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, आयुत्ताकलय, गुवाहाटी द्वारा सीमा शुल्क भवन, क्रिश्चियन बस्ती में एक दिवसीय 'राजभाषा कार्यशाला' का आयोजन किया गया। कार्यशाला तीन सत्रों मे आयोजित की गई। प्रथम सत्र का विषय था 'हिंदी की उत्पत्ति से लेकर राजभाषा बनने तक का सफर।' तथा दूसरे सत्र का विषय 'राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 रहा। इस पर आयुक्तालय के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री जीवन छेत्री ने भाषा/राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 पर पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से व्यापक चर्चा-परिचर्चा की। इस सत्र का उद्देश्य राजभाषा अधिनियम नियम, संवैधानिक स्थिति से अधिकारियों को परिचित कराना था।

तीसरे तथा अंतिम सत्र का विषय था 'हिंदी में लिंग संबंधी समस्याएं व समाधान।' इस सत्र का संचालन अतिथि वक्ता डा॰ अच्युत शर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के संलापों, शायरी व दैनिक बोलचाल में प्रयोग होने वाले वाक्यों आदि के माध्यम से विषय को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया।

पाठकों के पत्र

उपर्युक्त विषय पर यह जानकारी दी जाती है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन व स्वायत निकाय है। इसके 25 क्षेत्रीय कार्यालय है। आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका राजभाषा भारती का अंक 147 पढ़ने को मिला (अप्रैल-जून, 2016) पत्रिका में प्रकाशित सामग्री रोचक और ज्ञानवर्धक थी।

सी॰ मणि, उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, गुड़गांव (हरियाणा)

'राजभाषा भारती': अंक-147 प्राप्त हुआ। श्री नरेश शर्मा का राजभाषा विषयक आलेख 'राजभाषा हिंदी: अतीत की एक ऐतिहासिक पहल'; डॉ॰ वरुण कुमार तिवारी का साहित्यिक लेख 'डॉ. लक्ष्मी नारायण सुधांशु' की हिंदी निष्ठा तथा श्री सुशील कुमार सूद का सामाजिक लेख 'भारत का प्रगति सूत्र-कौशल विकास' अत्यंत ज्ञानप्रद एवं प्रशंसनीय है। 'राजभाषा भारती' सदैव ही प्ररेणा-स्रोत रही है। पत्रिका का संपादकीय एवं विषय चयन किसी भी पत्रिका के संपादक के लिए अनुकरणीय है। पूर्ण विश्वास है कि 'राजभाषा भारती' निरंतर इसी प्रकार प्रेरणा की संवाहक बनी रहेगी।

डॉ॰ राजनारायण अवस्थी, हिंदी अधिकारी, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

आपके परिपत्र संख्या: 11014/16/2015-रा॰भा॰ (i) दिनांक 20.06.2016 के साथ त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' का जनवरी-मार्च 2016 अंक मिला। राजभाषा हिंदी के विविध पक्षों पर चिंतनपरक लेखों सहित पत्रिका मे वैश्विक परिदृश्य, सांस्कृतिक, अनुवाद जैसे विषयों पर प्रकाशित लेख पाठकों को सोचने की नई दृष्टि भी देते हैं। 'वर्तमान युवा पीढ़ी को श्री रामचरितमानस का संदेश' 'हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक 'चेतना का प्रचार' जैसे लेख अत्यंत सम सामयिक हैं। स्तरीय प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई।

अश्विनी मेहरा, उप प्रबंध निदेशक एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' की प्राप्ति हुई, बहुत-बहुत धन्यवाद। पत्रिका में सम्मिलित की गई सभी रचनाएं श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण हैं। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर छपा तिरंगा एवं अशोक स्तम्भ पत्रिका की शोभा बढ़ा रहा है। प्रोफेसर हेमराज मीणा ''दिवाकर'' का लेख 'सांस्कृतिक समन्वय की भूमि: पूर्वोत्तर भारत' उपयोगी एवं रोचक हैं। श्री वीरेंद्र कुमार यादव का लेख 'विश्व भाषा के रूप में हिंदी: नए प्रतिमान' प्रशंसनीय है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका एक निर्देशिका के रूप में उभर आयी है। राजभाषा भारती के सभी लेख ज्ञानवर्धक एवं यह अंक बेहद प्रेरणादायी है।

रवि कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा), प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद

'राजभाषा भारती' का अंक 146 हमें प्राप्त हुआ। पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख रोचक लगे। विशेषकर 'विश्व भाषा के रूप में हिंदी-नए प्रतिमान' तथा 'डाटा विश्लेषण और बैंकिग' लेख अच्छे लगे। आशा हैं कि इसी तरह भविष्य में भी पत्रिका में अन्य ज्ञानवर्धक लेख भी प्रकाशित होगे।

आर॰ के॰ चौधुरी, राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तेलंगाना

'राजभाषा भारती' के जनवरी-मार्च 2016 अंक की प्रति साभार प्राप्त हुई। पत्रिका ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक रही है। पत्रिका में प्रकाशित लेख स्तरीय हैं। 'हिंदीतर राज्यों में व्यावहारिक हिंदी की दशा, दिशा व संभावनाएं,' 'राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा हिंदी का स्वरूप', 'विश्वभाषा के रूप में हिंदी-नए प्रतिमान, 'संयुक्त राष्ट्र में हिंदी' आदि लेख वाकई जानकारी युक्त हैं। 'अनुवाद कला का व्यावहारिक पक्ष', 'कार्यालयीन सामग्री के कुशल अनुवाद के तरीके' तथा 'वर्तमान युवा पीढ़ी को तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का संदेश' रचनाएं शिक्षाप्रद हैं। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में पत्रिका का योगदान सराहनीय है। पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

अच्युतानंद दास, महाप्रबंधक (सा॰ प्र॰वि॰/राभा)

आपके कार्यालय की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका ''राजभाषा भारती'' के 146वें अंक (जनवरी–मार्च 2016) की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका के प्रकाशन हेतु उपयोग मे लाई गयी सामग्री बहुत रोचक, विचारोत्तेजक एवं प्रेरणादायक हैं। यह पत्रिका हिंदी के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मुरलीधर वैष्णव का लेख 'हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में विलम्ब ठीक नहीं', श्री वीरेन्द्र कुमार यादव का लेख 'विश्व भाषा के रूप में हिंदी: नये प्रतिमान', सुश्री अंजना राणा का लेख ''कार्यालयी सामग्री के कुशल अनुवाद के तरीके'' एवं श्री संजय चौधरी का लेख ''हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना का प्रसार'' विशेष सराहनीय है। पत्रिका के सफल सम्पादन हेतु सम्पादक मण्डल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

सुभाष चंद्र शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी/राजभाषा कक्ष, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान

आपके संस्थान की गृह पत्रिका राजभाषा भारती पत्र संख्या 11014/16/2015–राभा(प) के साथ प्राप्त हुई। धन्यवाद। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ, साज सज्जा बहुत आकर्षणीय हैं। संपादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रिका में प्रकाशित आलेख रोचक एवं सूचनापरक लगे। जैसे अनुवाद कला का व्यावहारिक पक्ष 'हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना का प्रचार' 'गिरमिटिया देशों में हिंदी' 'हिंदीतर राज्यों में व्यावहारिक हिंदी की दशा', दिशा व संभावनाएं। आपके द्वारा राजभाषा भारती का नियमित प्रकाशन हिंदी के प्रचार–प्रसार की दिशा में निश्चित ही एक सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है। पत्रिका की ई–कॉपी या पी॰डी॰एफ आपकी वेबसाईट पर उपलब्ध करा कर आप इसे अधिकाधिक पाठकवर्ग तक पहुंच सकते हैं। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु आपकों शुभकामनाएं। हम इसके उज्जल भविष्य की कामना करते हुए पत्रिका भेजने हेतु पुन: आपका आभार प्रकट करते हैं।

डॉ॰ राकेश शर्मा, हिंदी अधिकारी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा

'राजभाषा भारती' का 146वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका प्रवाहमयी सरिता–सी लगी, जहां से बह निकली, उर्वर करती हुई, कुछ ताजगी देती हुई। समसामयिक विषयों पर भी लेख मिले और राजभाषा की विजय–यात्रा के दृश्य भी देखे।

डॉ॰वी॰ वेंकटेश्वर राव, सहायक महा प्रबंधक (राजभाषा), सिंडिकेट बैंक, मणिपाल

आपकी असीम कृपा से राजभाषा भारती का अंक प्राप्त हुआ जिसमें राजभाषा हिंदी की वर्तमान–विद्यमान की देदीप्यमान व उज्वल वस्तुस्थिति का यथा चित्रण स्पष्ट किया हुआ है। राजभाषा हिंदी की वैश्विक स्तर की प्र॰ एवम् हिंदी के प्रयोग के प्रमाण को जानकर ऐसा प्रतीत होता है कि इक्कीसवीं सदी के उत्तरार्ध के पूर्व ही हिंदी विश्व पटल पर प्रथम क्रमांक की भाषा होगी। पत्रिका में छापा प्रथम लेख शमशाद बेगम का अत्यंत सराहनीय है। नरेश शर्मा द्वारा हिंदी के लिए अतीत की एक ऐतिहासिक झलक बड़ी रोचक लगी। लेकिन श्री त्रिवेनी प्रसाद का आलेख (दूबे मनीष को) उससे भी अधिक प्रभावशाली और प्रशंसनीय है, जिसमें हिंदी की वैश्विक स्तर की ग्राहता की झलक स्पष्ट होती है। हिंदी के बढ़ते पैमाने के प्रयोग को क्रमश: दर्शाया गया हुआ है श्री दूबे जी द्वारा। इसी तरह डॉ॰ वरुण कुमार तिवारी के आलेख ''डॉ॰ लक्ष्मीनारायण सुधांशु की हिंदी निष्ठा'' में हिंदी के लिए विस्तृत वर्णन ऐसा किया गया हुआ है जिसे पाठकों ने दो–तीन बार अवश्य पढ़ा होगा क्योंकि एकक विदेशी का हिंदी के लिए अटूट प्रेम व ललक अप्रतिम दर्शायी हुई है। इसी तरह से डॉ॰ वी॰ के॰ सिंह उर्फ वीरेन्द्र कुमार परमार के लेख में हिंदी को अपनाने के अध्ययन व प्रमाण का पूरा निचोड़ स्पष्ट व प्रकट किया हुआ है–उनके लेख के ये अंतिम वाक्य–पूर्वोत्तर के सात केंद्रीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राज्य के विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन–अध्यापन व अनुसंधान की व्यवस्था है। सैकड़ों छात्र हिंदी में अध्ययन–अनुसंधान कर रहे हैं, यहां के सैंकड़ों मूल निवासी हिंदी का प्राध्यापन कर रहे हैं। पूर्वोतर भारत में हिंदी का भविष्य उज्जवल है। बड़े हृदय स्पर्शी है, हिंदी प्रगति हेतु

स्पर्शी हैं। अंत में वित्तीय मंच के बैंकिंग परिवेश में हिंदी के प्रयोग की महत्ता को उजागर करता हुआ आलेख श्री गुलाबचंद पाठक द्वारा निर्देशित सराहनीय है, प्रशंसनीय एवम् वर्तमान घड़ी में संदर्भित है। पाठकजी ने बखूबी स्पष्ट किया है। इस अंक में समाहित अन्य सभी आलेखों और समसामयिक सभी गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख अत्यंत उत्तस्तरीय व उल्लेखनीय प्रयास रहे हैं। सम्पादक मंडल देर सारी बधाईयों का पात्र है। काश इसी तरह के उच्चकोटि से ओतप्रोत अंक भविष्य में निरंतर सम्पादित हों और हम पाठकों प्राप्त होते रहे। पुनश्च एक बार खूब-खूब शुभकामनाओं व बधाईयों के साथ अगले अंक की प्रतीक्षा में-

हरिचंद्र सागरमल अग्रवाल, महाराष्ट्र

राजभाषा भारती का 147वां अंक प्राप्त हुआ इसके लिए आपकों बहुत-बहुत धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित लेख जैसे-हिंदी का वैश्वीकरण, रचनाकार श्री त्रिवेनी प्रसाद दूबे, श्मशाद बेगम आर० की रचना ''राजभाषा,'' हिंदी का आवश्यकता काफी अच्छी लगी। अंक में प्रकाशित सभी आलेख एवम् रचनाएं उपादेय, ज्ञानवर्धक, रोचक एवं प्रंशसनीय है।

कामना करता हूं कि पत्रिका का प्रकाशन और प्रबंधन अनवरत चलता रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।

अवधेश कुमार, सहायक प्रबंधक (सर्वेक्षण), झारखंड

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा भारती' पत्रिका का अंक-147, वर्ष: 39, अप्रैल-जून 2016 प्राप्त हुआ। पत्रिका का मुख्यपृष्ठ अत्यंत सराहनीय है। इस पत्रिका में निहित राजभाषा गतिविधियों से संबंधित तथा छायाचित्र से युक्त जानकारी ''गागर में सागर'' उक्ति को सार्थक सिद्ध करती है। विशेष रूप से पृष्ठ क्रम 41 पर श्री सुशील कुमार सूद, मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉफ ट्रेनिग सेंटर, गुड़गांव द्वारा लिखित ''भारत का प्रगति सूत्र-कौशल विकास'' लेख अत्यंत रुचिकर लगा। आशा है कि 'राजभाषा भारती' पत्रिका के अगामी अंक भी हमेशा की तरह पाठकों का ज्ञानार्जन विकसित करने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

एक बार फिर पत्रिकाओं के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई।

महेश्वर घनकोट, हिंदी अधिकारी, अंतरिक्ष विभाग

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित राजभाषा भारती पत्रिका के 146वीं अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका प्रेषण के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित देशभर के विभिन्न मंत्रालयों/विभागो/कार्यालयों की हिंदी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस पत्रिका के माध्यम से मिल जाती है, इसके लिए आपको अशेष धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह हमें पत्रिका मिलती रहेगी एवं राजभाषा के प्रचार प्रसार में हमें इस पत्रिका के माध्यम से प्रेरणा मिलती रहेगी। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उत्कृष्ठ साज-सज्जा एवं संपादन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

रबीन्द्र नाथ चान्द, संपादक (वातायन)/हिंदी अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, भुवनेश्वर

राजभाषा भारती का अप्रैल-जून 2016 का 147वां अंक प्राप्त हुआ। पिछले अंकों की भांति यह अंक भी रोचक लेखों और जानकारियों से भरपूर है। इस अंक के माध्यम से राजभाषा हिंदी के बारे में एवं इसके ऐतिहासिक पहलू पर की गई विस्तृत चर्चा प्रशंसनीय है। हिंदी के प्रचार-प्रसार में ''राजभाषा भारती'' एक अहम भूमिका निभा रही है जो प्रशंसनीय है। पत्रिका के आगामी अंकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि भविष्य में यह पत्रिका प्रगति के प्रगामी पथ पर और अधिक अग्रसरित होती रहेगी।

विजय कुमार मिश्र, हिंदी अधिकारी, सीमा सड़क महानिदेशालय, दिल्ली कैंट

पं॰ सं॰ 3246/77
आई एस एम एन

प्रपत्र–4 (देखिए नियम–8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम
समाचार पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम
''राजभाषा भारती'' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली
4.	क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5.	प्रकाशक का नाम व पता	डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक
		राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
		एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
		दूरभाष: 011–23438137
6.	संपादक (पदेन) का नाम व पता	डॉ॰ श्रीप्रकाश शुक्ल
		संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
		एन॰डी॰सी॰सी॰–2, भवन चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110001
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, डॉ॰ धनेश द्विवेदी घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह॰/–
प्रकाशक का हस्ताक्षर

कवर डिजाइन एवं टाइपसेटिंग —भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, आगरा में पुरस्कार विजेताओं के साथ
माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू तथा अन्य अतिथिगण

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, गंगटोक (सिक्किम) में राजभाषा भारती अंक 148 (जुलाई–2016 सितंबर)
की सीडी का विमोचन करते हुए सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री श्री निवास पाटिल,
गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रीजीजू तथा अन्य मंचासीन अतिथिगण

''सन् 1857 के योद्धाओं की वापसी''

हिंदी साहित्य पर कलाकृतियाँ रचते समय कु॰ सुभद्रा कुमारी चौहान की 'वीर रस' की कविता 'लक्ष्मी बाई' ने मेरे मस्तिष्क पर एक ऊर्जावान चित्र उभार दिया। यह वही कविता थी जिसे मैं बाल्यावस्था में उच्च स्वर में गाता था। यह कविता सर्वकाल में प्रत्येक भारतीय बच्चे में राष्ट्रीयता के आदर्शों और त्याग की भावना से ओत-प्रोत करती रहेगी।

बुन्दले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

सन् 1857 के योद्धाओं ने जिस शौर्यता व बलिदान की भावना से राष्ट्र-प्रेम के उच्च मानदडों को स्थापित किया, उसकी ज्वाला असंख्य भारतीयों के हृदय में एकीकृत स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इस तरह भड़की कि जन मानस ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सर्वस्व आहुत किया और अंतता देश स्वतंत्र हुआ। वास्तव में 1857 के योद्धाओं ने बलिदान देकर अपनी आत्माओं को राष्ट्र भक्तों में संचारित कर दिया। अत: उनका बलिदान 'योद्धाओं की वापसी ही था जिसके प्रति हम नतमस्तक हैं और सदैव ऋणी रहेंगे।

—मनजीत सिंह

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली-110003
के लिए डॉ॰ धनेश द्विवेदी, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा
महाप्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक, द्वारा मुद्रित